



वर्ष- 2023-24

हिन्दी व्याकरण माध्यमिक स्तरीय प्रशिक्षण साहित्य

राज्य हिन्दी संस्थान, उ.प्र. वाराणसी

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ

rajyahindisansthan1975@gmail.com

वेबसाइट- rajyahindisansthanupvns.org.in

फोन नं- -0542-2500940

मुख्य संरक्षक

श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा उ०प्र० शासन, लखनऊ।

संरक्षक

श्री विजय किरन आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उ०प्र० तथा
राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ।

निर्देशन

श्री पवन सचान, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
उ०प्र० लखनऊ

समन्वयन

डॉ० ऋचा जोशी, निदेशक राज्य हिन्दी संस्थान, उ०प्र० वाराणसी

परामर्श

डॉ० सत्यपाल शर्मा, प्रोफेसर (हिन्दी), बी०एच०यू०, वाराणसी
डॉ० रामसुधार सिंह, पूर्व अध्यक्ष (हिन्दी विभाग), यू०पी० कॉलेज, वाराणसी
डॉ० उदय प्रकाश पांडेय, प्रोफेसर (हिन्दी), श्री बलदेव पी०जी० कॉलेज बड़ागाँव, वाराणसी

लेखन एवं संपादन

श्री अवधेश कुमार (प्रकाशन प्रशिक्षण एवं शोध अधिकारी), डॉ० शीला सिंह, डॉ० रवींद्र नाथ यादव,
डॉ० शुभा श्रीवास्तव, डॉ० सरदार सरबजीत सिंह, डॉ० अर्पणा, डॉ० विशालाक्षी, श्रीमती नंदिता,
श्री अखिलेश्वर प्रसाद गुप्ता, श्री बच्चाराम वर्मा, श्रीमती निराशा सिंह, श्रीमती नंदिनी, श्री दिलीप कुमार,
श्री अखिलेश कुमार, डॉ० जया त्रिपाठी, डॉ० माया त्रिपाठी, श्रीमती रेखा वर्मा, श्रीमती माया सिंह,
सुश्री अनुराधा कुमारी, श्री अनुपम कछवाह, श्री सुरेश सिंह यादव, श्री प्रदीप कुमार,
श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव, श्रीमती रागिनी गुप्ता, श्री चंद्रकांत पटवा

कम्प्यूटर ले-आउट

श्री अजीत कुमार कौशल, कनिष्ठ सहायक, राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी

मनोज कुमार यादव, सहायक अध्यापक, वाराणसी

श्री दीपक कन्नौजिया।

विषय—सूची

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्राक्कथन	01
2.	व्याकरण प्रशिक्षण मॉड्यूल क्यों?	02
3.	वर्ण विचार : स्वर, व्यंजन और उच्चारण	03—11
4.	अनुनासिक, अनुस्वार, 'र' के विविध रूप और संयुक्ताक्षर	12—18
5.	शब्द और उसके प्रकार	19—27
6.	संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण	28—33
7.	उपसर्ग और प्रत्यय	34—38
8.	क्रिया और काल परिचय	39—46
9.	अव्यय, क्रियाविशेषण, वचन और लिंग	47—52
10.	संधि	53—59
11.	समास	60—64
12.	वाक्य—विचार	65—68
13.	शब्द—युग्म और वाक्यांश के लिए एक शब्द	69—73
14.	विराम चिह्न	74—86
15.	वर्तनी	87—96
16.	मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ	97—102
17.	अलंकार	103—110
18.	निबंध, पत्र—लेखन	111—114
19.	सत्र—योजना, समय—सारणी	115—136
20.	पश्चपोषण / मूल्यांकन	136

प्राक्कथन

हर भाषा की अपनी एक अलग प्रकृति होती है। किन्हीं दो भाषाओं का स्वभाव पूरी तरह एक-सा नहीं होता। भाषा की इस विशेष प्रकृति को ध्यान में रखकर व्याकरण अक्षरों, उनके मेल, शब्द, उनके प्रयोग और उनके बदलते हुए रूप को स्पष्ट करता है, साथ ही कही जाने वाली बात के अनुसार वाक्य की बनावट आदि में कौन-कौन से नियम काम करते हैं, यह समझाता है। व्याकरण का ज्ञान जहाँ हमें सही-सही बोलने, लिखने और अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है, वहीं उच्चारण और लेखन की अशुद्धियों से बचाता भी है। इस प्रकार किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना अपरिहार्य हो जाता है। ऐसी ही आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत प्रशिक्षण साहित्य को अंतिम रूप दिया गया है। इसके माध्यम से अध्यापकों को विषय की सैद्धांतिक जानकारी देने के साथ-साथ व्यावहारिक पक्ष का भी बोध कराया गया है। व्याकरण से संबद्ध सभी महत्वपूर्ण विषयों; यथा-वर्ण, उच्चारण स्थान, शब्द के प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रियाविशेषण, काल, अव्यय, लिंग, वचन, समास, संधि, विराम चिह्न, शुद्ध वर्तनी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार इत्यादि का यथोचित विवेचन किया गया है।

यह प्रशिक्षण साहित्य हिन्दी भाषा के विशेषज्ञों, राज्य हिन्दी संस्थान के अधिकारियों, राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापकों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के सहयोग से तैयार किया गया है।

आशा करती हूँ कि यह प्रयास माध्यमिक विद्यालयों में भाषा और व्याकरण के शिक्षण को प्रभावी बनाने में शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

(डॉ. ऋचा जोशी)

निदेशक

राज्य हिन्दी संस्थान, उ. प्र. वाराणसी

व्याकरण मॉड्यूल क्यों ?

हमारी भाषा हमारा अपना ही प्रतिबिंब है। भाषा सरल, सहज और सुगम होने के साथ ही साथ पारस्परिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच सेतु का काम करती है। भाषा के माध्यम से विचारों को दूर-दूर तक संप्रेषित किया जा सकता है और दूसरे के भावों को समझने का अवसर मिलता है। भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित होती है। यूँ तो बच्चा अपने घर, परिवार तथा आस-पास बोली जाने वाली भाषा को सुनकर-बोलकर स्वतः सीख लेता है किंतु शुद्ध एवं मानकीकृत भाषा, भाषा के व्यवस्थित शिक्षण से ही सीखी जा सकती है। भाषा शिक्षण में व्याकरण की शिक्षा अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है जो भाषा का दिशा निर्देशन कर उसे सरलता से अपेक्षित लक्ष्य तक पहुँचाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य संरचना की योग्यता का विकास कर उसको शुद्ध लिखने-बोलने के कौशल से युक्त/सम्पन्न करता है।

व्याकरण मॉड्यूल की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि जहाँ एक ओर हमारा ज्ञान-विज्ञान समुद्र के अतल गहराइयों से लेकर सौरमंडल के ग्रह व नक्षत्रों तक को अपने परिधि में बाँधकर निरंतर सफलता की पराकाष्ठा को छू रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे विद्यार्थियों की भाषा संरचना का स्वरूप कहीं न कहीं बिखरता जा रहा है। इसके पीछे बहुत से कारणों में एक प्रमुख कारण यह भी है कि उनमें व्याकरण के समुचित ज्ञान का अभाव है और ऐसा इसलिए हुआ है कि व्याकरण को बोझिल समझकर उसके वास्तविक स्वरूप को जानने, पहचानने और समझाने का प्रयत्न करना छोड़ ही दिया गया जबकि व्याकरण भाषा और भाव को सिर्फ व्यवस्थित ही नहीं करता अपितु उसे सजाता, सँवारता, आकर्षक और प्रभावशाली भी बनाता है।

व्याकरण के संबंध में एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है जो इस प्रकार है—

“यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्।

स्वजनः श्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृत् शकृत् ।।”

अर्थात् पुत्र यद्यपि तुम बहुत ना पढ़ो, तथापि व्याकरण पढ़ो। इसलिए कि स्वजन (अपने लोग) का श्वजन (कुत्ते) न हो, सकल (सब) का शकल (टुकड़े) न हो और सकृत् (एक बार) का शकृत् (मल) ना हो। अर्थ का अनर्थ न हो, इसलिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है।

भाषा में अनुशासन, कौशल विकास, सरलता, सुगमता, स्पष्टता, शुद्धता और व्यावहारिक विश्लेषण के साथ ही भाषा को संगठित और शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के लिए व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि व्याकरण प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को भाषा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने में प्रवीण बनाना है।

माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों के भाषायी दक्षता विकास के क्रम में विधाओं की समझ के साथ-साथ उनमें निहित व्याकरणिक पक्षों पर भी बेहतर समझ बनाने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस मॉड्यूल के अंतर्गत भाषा और वर्ण विचार, अनुनासिक, अनुस्वार, संयुक्ताक्षर, ‘र’ के विविध रूप, शब्द और उसके प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया, काल, अव्यय, क्रियाविशेषण, वचन, संधि, समास, वाक्य, शब्दयुग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विरामचिह्न, मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार, शुद्ध वर्तनी, निबंध, पत्र लेखन इत्यादि को समाहित करते हुए मॉड्यूल की संरचना की गई है।

भाषा प्रयोग के विषय में, जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ अशुद्ध शब्द इस तरह से भाषा में समाहित हो गए हैं कि उन्हें मानक भाषा से अलग कर पाना कठिन कार्य प्रतीत होता है। इसलिए हम शिक्षकों का दायित्व है कि वे बच्चे को भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराएँ। इस कार्य में शिक्षकों को इस मॉड्यूल से सहायता मिलेगी साथ ही भाषा के सैद्धांतिक पक्ष के साथ-साथ व्यावहारिक पक्ष को भी बल मिलेगा।

हिन्दी वर्णमाला : लेखन विधि

ॐ ॐ अ अ आ आ	क क ख ख ग ग	ण ण त त	व व श श स स
इ इ ई ई	घ घ ङ ङ	द द	ष ष र र स स
उ उ ऊ ऊ	च च छ छ	ध ध न न	ह ह ण ण क्ष क्ष
ऋ ऋ ॠ ॠ	ज ज झ झ	प प फ फ	त्र त्र र र ल ल
ए ए ऐ ऐ	ञ ञ	ब ब भ भ	श श ष ष ड ड ड
ओ ओ औ औ	ट ट ठ ठ	म म य य	ढ ढ ढ
	ड ड ढ ढ	र र ल ल	

स्रोत- देवनागरी लिपि तथा वर्तनी का मानकीकरण
केन्द्रीय हिंदी निदेशालय

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार

मौखिक या लिखित रूप में हमारी भावनाओं या विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। भाषा के द्वारा ही हम दूसरों की बातों को सुनते हैं और अपनी बातें उन तक पहुँचाते हैं। बालक को भाषा का प्रारंभिक ज्ञान अपने परिवार, पास-पड़ोस, विद्यालय और समाज से मिलता है। बालक परिवार में अपने माता-पिता तथा अन्य सगे-संबंधियों को बोलते हुए सुनता है, उनका अनुकरण करता है, सीखता है और फिर स्वयं भी बोलने लगता है। विद्यालय जाने पर वह अपने अध्यापकों, सहपाठियों आदि की बातें सुनता है और उसी क्रम से स्वयं भी बोलना सीख जाता है। इसी बोली के आधार पर उसके लिखने और पढ़ने की भी दिशा निर्धारित होती है। इस प्रकार वह भाषा के विकास के चारो स्तरों—सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना से बार-बार गुजरते हुए भाषा का भली-भाँति उपयोग करना सीख जाता है।

भाषा का छोटा रूप वाक्य होता है। वाक्य की रचना पदों से होती है,
पद शब्दों से बनते हैं और शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है।

प्रयोग की दृष्टि से भाषा के दो रूप देखने में आते हैं—

1. मौखिक भाषा

2. लिखित भाषा

आमने-सामने की बातचीत या दूरभाष आदि पर होने वाली वार्ता **मौखिक भाषा** की श्रेणी में आती है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों, शिलालेखों आदि में जिस भाषा का प्रयोग होता है, वह **लिखित भाषा** है। बोलने में शुद्ध उच्चारण, वर्णों के उच्चारण स्थान, ध्वनि में उतार-चढ़ाव आदि का ध्यान रखना होता है। लिखते समय वर्णों की संरचना, उनके सही और स्वीकृत रूप, मात्राओं का प्रयोग, संयुक्ताक्षरों की आकृति आदि ध्यान देने योग्य होते हैं।

लिपि—भाषा को मौखिक रूप से लिखित रूप में लाने के लिए अर्थात् वर्णों की ध्वनि को एक निश्चित आकार प्रदान करने के लिए जिन संकेत-चिह्नों का प्रयोग होता है, उन्हें लिपि कहते हैं। हिन्दी भाषा को लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग होता है, उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है।

व्याकरण—व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध और व्यवस्थित ढंग से लिखना-बोलना सीखते हैं। व्याकरण भाषा की विशेष प्रकृति (स्वभाव) और प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए वर्णों, शब्दों, पदों और वाक्यों के नियमों का सूक्ष्म अध्ययन कर उन्हें स्पष्ट करता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह भाषा को सुधारता, सँवारता और प्रभावशाली बनाता है।

“व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण है।”

— डॉ० स्वीट

“जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है, उसे व्याकरण कहते हैं।

— कामता प्रसाद गुरु

व्याकरण शब्द **वि+आ+कृ** धातु से ल्युट् प्रत्यय के योग से बना है। जिसका अर्थ है “**व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन**” अर्थात् इसके द्वारा शब्दार्थ संबंध की विवेचना होती है। व्याकरण की सहायता से हम शब्द रचना, वाक्य रचना तथा भाषा व्यवस्था संबंधी नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं।

व्याकरण का महत्व—

1. व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप की रक्षा करता है।
2. व्याकरण भाषा को स्पष्टता प्रदान करता है।
3. व्याकरण भाषा को प्रभावित करता है।
4. व्याकरण द्वारा भाषा में एकरूपता आती है।
5. व्याकरण भाषा को मानकीकृत करता है।
6. व्याकरण भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भाषा के नियमों को सुरक्षित रखता है।

व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य—

1. शिक्षार्थी भाषा की ध्वनि, शब्द, वाक्य, शब्दार्थ, शब्द की रचना, वाक्य की रचना तथा शब्द प्रयोग के नियमों से परिचित होते हुए भाषा के व्यवहार की योग्यता विकसित कर सकेंगे।
2. शुद्ध एवं मानक भाषा के प्रयोग के लिए अभ्यस्त हो सकेंगे तथा अन्य भाषाओं के अशुद्ध प्रभावों से अपनी भाषा को बचा सकेंगे।

3. भाषा के अशुद्ध स्वरूप को परखने की क्षमता विकसित कर सकेंगे।

व्याकरण भाषा की शुद्धि साधना का शास्त्र है। इससे शब्दों की बनावट और उसके शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्याकरण को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—

1. वर्ण—विचार

2. शब्द—विचार

3. वाक्य—विचार

वर्ण— ध्वनि और वर्ण भाषा की एक ही इकाई के दो नाम हैं। अंतर केवल यह है कि ध्वनि बोलने और सुनने में प्रयुक्त होती है, उसके स्वरूप को हम देख नहीं सकते, वहीं वर्णों को बोलने और सुनने के साथ ही साथ लिखित रूप में भी देखा जा सकता है। लिखित वर्ण को पढ़ा भी जा सकता है। वाणी द्वारा व्यक्त ध्वनियों के प्रतीक या चिह्न को वर्ण कहते हैं।

वर्ण की परिभाषा

“वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, जिसके खण्ड न हो सके; जैसे—अ, इ, क, ख इत्यादि।
वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं।”

कामता प्रसाद गुरु

“शब्दों की रचना वाग्—ध्वनियों से होती है। लघुतम वाग्—ध्वनि को वर्ण कहते हैं।
किसी भाषा में जितने वर्ण प्रयुक्त होते हैं, उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं।”

बदरीनाथ कपूर

उच्चारण के आधार पर ध्वनियों या वर्णों के दो भेद हैं—

✂ स्वर ✂ व्यंजन

स्वर— जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है—
अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।

स्वरों के भेद

स्वरों के तीन भेद होते हैं—

1. ह्रस्व स्वर

2. दीर्घ स्वर

3. प्लुत स्वर

1. **ह्रस्व स्वर**—जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार हैं— अ, इ, उ, ऋ।

इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं से दीर्घ और संयुक्त स्वर बनते हैं। भीमसेन शास्त्री एक मात्रा के समय को एक सेकेंड का समय मानते हैं।

लघु सिद्धांत कौमुदी

2. **दीर्घ स्वर**—जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना अर्थात् दो मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है।

ये सात हैं— आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।

‘ए’, ‘ऐ’, ‘ओ’, और ‘औ’, स्वर ऐसे हैं जो दीर्घ होने के साथ-साथ दो स्वरों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है—

अ+इ=ए

अ+उ=ओ

अ+ए=ऐ

अ+ओ=औ

3. प्लुत स्वर—जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक अर्थात् तीन मात्राओं का समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहे जाते हैं। संस्कृत भाषा में और उसमें भी वैदिक साहित्य में इसका मुख्यतः प्रयोग देखा जाता है; जैसे—ओऽम्।

स्वर की मात्रा—व्यंजन वर्णों के साथ संयुक्त होने पर स्वर जिस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उस रूप को स्वर की मात्रा कहा जाता है।

‘अ’ स्वर के लगने पर व्यंजन वर्ण के नीचे लगा हुआ चिह्न () हट जाता है और व्यंजन स्वर से युक्त हो जाता है। इसलिए ‘अ’ का अपना कोई मात्रा चिह्न नहीं होता। शेष दस स्वरों की मात्राएँ इस प्रकार हैं—

स्वर—	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ए	ऐ	ओ	औ
स्वर की मात्रा—	।	ि	ी	ु	ू	ृ	े	ै	ो	ौ

स्वरों की इन दस (10) मात्राओं के आगे ‘अनुस्वार’ और ‘विसर्ग’ के रूप को जोड़ते हुए हिन्दी की बारहखड़ी बनती है। अनुस्वार और विसर्ग को लगाने का क्रम इस प्रकार है— $क+अ+ं = कं$, $क+अ+ः = कः$

 **इसे भी जानें—**

✿ ह्रस्व ‘इ’ ‘उ’ के स्थान पर दीर्घ ‘ई’ ‘ऊ’ का उच्चारण और इसी प्रकार दीर्घ ‘ई’ ‘ऊ’ के स्थान पर ह्रस्व ‘इ’ ‘उ’ का उच्चारण प्रायः देखने में आता है; जैसे—हरी, कवि आदि शब्दों का हरी, कवी जैसा उच्चारण, गुरु, मधु आदि शब्दों का गुरु, मधू जैसा उच्चारण और पूज्य, मूल्य आदि शब्दों का पुज्य, मुल्य जैसा उच्चारण अशुद्ध है। अतः इस पर विशेष ध्यान देते हुए बच्चों से शुद्ध उच्चारण का बार-बार अभ्यास कराया जाना चाहिए।

✿ आजकल ‘ऋ’ का उच्चारण ‘रि’ के रूप में किया जाने लगा है। किन्तु ऋ का वास्तविक उच्चारण स्थान मूर्धा है। जिह्वा का मूर्धा से स्पर्श होने पर ऋ का सही उच्चारण होता है। ऊपर वाले दाँतों के पीछे का भाग तालु और तालु के पीछे का भाग मूर्धा कहा जाता है।

✿ ‘ऐ’ का उच्चारण ‘अइ’ जैसा और ‘औ’ का उच्चारण ‘अउ’ जैसा किया जाता है जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। स्थानीय बोलियों के प्रभाव के कारण भी इस प्रकार का अंतर उत्पन्न हो जाता है। हम जैसा लिखते हैं, वैसा ही हमारा उच्चारण भी होना चाहिए। इसलिए पैसा के स्थान पर पइसा, मौज के स्थान पर मउज आदि उच्चारणों से बचना चाहिए।

व्यंजन—जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही संभव होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये मूल रूप से 33 हैं—

क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण
त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म
य	र	ल	व	
श	ष	स	ह	

‘ङ’ ‘ढ’ ये दोनों हिन्दी के विकसित व्यंजन हैं। इनका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। ‘ङ’ ‘ढ’ के नीचे बिन्दु लगाकर दो नये अक्षर ‘ङ’ और ‘ढ’ बनाए गए हैं। इनकी मूल ध्वनि ‘ङ’ और ‘ढ’ की ही है। इन्हें उद्धिप्त व्यंजन कहते हैं।

व्यंजनों के भेद

इनके तीन भेद होते हैं—

1. स्पर्श व्यंजन
2. अंतःस्थ व्यंजन
3. ऊष्म व्यंजन

1. स्पर्श व्यंजन—ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के अलग-अलग स्थानों का स्पर्श करती हैं, वे स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। क से म तक इनकी संख्या 25 है। वर्ग के पहले अक्षर के आधार पर वर्ग का नाम निर्धारित है; जैसे— क वर्ग, च वर्ग आदि।

क	ख	ग	घ	ङ	(क वर्ग)
च	छ	ज	झ	ञ	(च वर्ग)
ट	ठ	ड	ढ	ण	(ट वर्ग)
त	थ	द	ध	न	(त वर्ग)
प	फ	ब	भ	म	(प वर्ग)

2. अंतःस्थ व्यंजन—जो व्यंजन स्वर और व्यंजनों के बीच में रहते हैं, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की स्थिति न तो स्पर्श व्यंजनों जैसी होती है और न ही स्वरों जैसी। ये संख्या में चार हैं—

य, र, ल, व

3. ऊष्म व्यंजन—ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण से मुख से ऊष्मा (गर्म वायु) निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या चार है—

श, ष, स, ह

जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में जुड़े हुए हों और उनके मध्य कोई स्वर न आया हो, तो ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या चार है—

क्ष=क्+ष

ज्ञ=ज्+ञ

त्र=त्+र

श्र=श्+र

विशेष—❖ 'ड' और 'ञ' को लिखते समय तो सही लिखा जाता है, किंतु बोलते समय इनके पहले क्रमशः 'अ' और 'इ' जोड़कर 'अड' और 'इञ' उच्चारण प्रायः सुनने में आता है। निरंतर अभ्यास से इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है।

❖ 'छ' 'च्छ' और 'क्ष' के उच्चारण में प्रायः अंतर नहीं किया जाता है। 'क्ष' के स्थान पर 'छ', 'छ' के स्थान पर 'क्ष' और 'च्छ' के स्थान पर 'छ' या 'क्ष' का उच्चारण सुनाई देता है। इन तीनों का अलग-अलग अभ्यास बच्चों को कराना चाहिए।

छ—छात्र, छिद्र, छल, छात्रावास आदि।

च्छ—अच्छा, स्वच्छ, तुच्छ, इच्छा आदि।

क्ष—शिक्षक, कक्षा, रक्षा, वृक्ष आदि।

❖ 'ट' और 'ठ' का उच्चारण भी परस्पर बदल जाता है; जैसे—'मिष्टान्न' सही है किंतु 'मिष्ठान्न' प्रचलन में है, जिस पर ध्यान अपेक्षित है।

❖ इसी प्रकार बच्चे 'ण' के स्थान पर 'ड़' का, 'ड़' के स्थान पर 'ण' का और 'व' के स्थान पर 'ब' का उच्चारण कर बैठते हैं, जो शुद्ध नहीं कहा जा सकता है; जैसे—'गरुड़' के स्थान पर 'गरुण', 'गुण' के स्थान पर 'गुड़', 'वृक्ष' के स्थान पर 'बृक्ष' और 'वन' के स्थान पर 'बन' का उच्चारण करते हैं। इसमें सुधार कर शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जा सकता है।

❖ 'श' 'ष' और 'स' के उच्चारण में प्रायः अशुद्धि देखी जाती है। 'स' का उच्चारण जिह्वा का दाँतों से स्पर्श होने पर होता है। इस कारण इस 'स' को 'दंत्य' कहा जाता है। ऊपर वाले दाँतों के पीछे का हिस्सा 'तालु' और उससे भी पीछे का हिस्सा 'मूर्धा' कहा जाता है। जब जिह्वा तालु का स्पर्श करती है तब तालव्य 'श' का और जब जिह्वा मूर्धा का स्पर्श करती है तब मूर्धन्य 'ष' का उच्चारण होता है। बच्चों को इसका निरंतर अभ्यास कराया जाना चाहिए।

स—सार, सुधा, सरल, प्रसाद, स्त्री आदि।

श—देश, शिक्षण, शोभा, कलश, इत्यादि।

ष—संतोष, हर्ष, विषय, धनुष, ऋषि आदि।

अयोगवाह—स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त दो और ध्वनियाँ हैं—

1. अनुस्वार—अं (ँ) 2. विसर्ग—अः (:)

इन दोनों को स्वरों के ठीक बाद लिखा जाता है, किंतु वास्तव में ये दोनों स्वर नहीं हैं और इनका उच्चारण व्यंजनों की भाँति स्वरों के सहयोग से होता है। इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है—योग न होने पर भी जो साथ रहे; जैसे—अंग, स्वयं, पुनः, प्रातः आदि।

अनुस्वार (ँ) का उच्चारण नासिका से होता है। इसी प्रकार सभी वर्गों के पाँचवें अक्षर (ङ , ञ , ण , न , म) अपने-अपने उच्चारण स्थानों के साथ ही साथ नासिका से भी उच्चरित होते हैं।

विसर्ग (:) कंठ से उच्चरित होने वाला वर्ण है। इसका उच्चारण स्वर रहित 'ह' के समान सुनाई देता है। अनुस्वार और अनुनासिक की भाँति इसका उच्चारण किसी स्वर के पश्चात् ही होता है; जैसे— दुःख, अंतःकरण, छिः इत्यादि।

वर्णों का उच्चारण स्थान



नाम	उच्चारण	स्वर	व्यंजन	अंतःस्थ ध्वनि	रुष्म
कंठ्य	कंठ	अ ,आ, ऑ	क,ख,ग,घ,ङ	—	ह, : (विसर्ग)
तालव्य	तालु	इ , ई	च,छ,ज,झ,ञ	य	श
मूर्धन्य	मूर्धा	ऋ	ट,ठ,ड,ढ,ण	र	ष
दंत्य	दंत	—	त,थ,द,ध,न	ल	स
ओष्ठ्य	ओष्ठ	उ,ऊ	प,फ,ब,भ,म	—	—
कंठ-तालव्य	कंठ-तालु	ए,ऐ	— — —	—	—
कंठोष्ठ्य	कंठ-ओष्ठ	ओ,औ	— —	—	—
दंतोष्ठ्य	दंत-ओष्ठ	— —	— —	व	—

📖 इसे भी जानें—

1. 'ऑ' मूल रूप से हिन्दी का स्वर नहीं है। यह अंग्रेजी के प्रभाव के माध्यम से हिन्दी में आया है। इसका उच्चारण 'आ' और 'ओ' के बीच का सुनाई पड़ता है। 'आ' की ही भाँति यह भी कंठ से उच्चरित होता है; जैसे—डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज, ऑनलाइन इत्यादि।
2. 'ड़' और 'ढ़' वस्तुतः देशज ध्वनियाँ हैं जो अब हमारी भाषा का अंग बन चुकी हैं। 'ड' और 'ढ' की भाँति इनका भी उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसलिए इन्हें भी मूर्धन्य वर्णों के साथ गिना जाना चाहिए।

📌 गतिविधि —

शिक्षक बच्चों से दिये गये बाक्स में से निर्देशानुसार वर्णों को छोटने के लिए कहें—

ख	च	घ	फ	भ	क्ष	त्र	ज्ञ	श्र
ट	ग	न	व	भ	य	ख	घ	क
ड	त	थ	र	व	ल	छ	ज	ब
अ	ढ	ठ	र	ग	अं	झँ	ष	ज
ध	इ	ल	ट	ख	अः	स	श	म
ठ	थ	उ	क	घ	ऊ	ज	सं	ड़
च	घ	ल	ऋ	ण	न	प	ह	ण
ए	ऐ	ओ	औ	आ	ई	ऊ	फ	तं

1. ह्रस्व स्वर — — — —
2. दीर्घ स्वर — — — —
3. अंतःस्थ वर्ण — — — —
4. ऊष्म वर्ण — — — —
5. संयुक्त व्यंजन — — — —
6. अयोगवाह — — — —
7. अनुनासिक वर्ण — — — —

भाषा के रूप लिखिए— (लिखित/मौखिक)

1. कहानी सुनाना—
2. पुत्र द्वारा पिता को पत्र भेजना—
3. कक्षा में दिए गए गृहकार्य को अभ्यास पुस्तिका में करना—
4. प्रार्थना—सभा में ईश्वर—वंदना करना—
5. आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाना—
6. कबड्डी/खो-खो खेलना—

.....

व्यंजन-स्वर सम्मेलन (मिश्रण)

- ❖ राम = र् + आ + म् + अ
- ❖ काली = क् + आ + ल् + ई
- ❖ भक्ति = भ् + अ + क् + त् + इ
- ❖ पक्का = प् + अ + क् + क् + आ
- ❖ क्यारी = क् + य् + आ + र् + ई
- ❖ क्रम = क् + र् + अ + म् + अ
- ❖ क्लेश = क् + ल् + ए + श् + अ
- ❖ लक्ष्मी = ल् + अ + क् + ष् + म् + ई
- ❖ श्लाघ्य = श् + ल + आ + घ् + य् + अ
- ❖ अच्छा = अ + च् + छ् + आ
- ❖ ज्योत्सना = ज् + य् + ओ + त् + स् + अ + न् + आ
- ❖ ज्ञान = ज् + ज्ञ् + आ + न् + अ
- ❖ राज्य = र् + आ + ज् + य् + अ
- ❖ वज्र = व् + अ + ज् + र् + अ
- ❖ ज्वर = ज् + व् + अ + र् + अ
- ❖ त्रास = त् + र् + आ + स् + अ
- ❖ पृथ्वी = प् + ऋ + थ् + व् + ई
- ❖ गद्गद्दा = ग् + अ + द् + द् + आ
- ❖ विद्या = व् + इ + द् + य् + आ
- ❖ उन्मेष = उ + न् + म् + ए + ष् + अ
- ❖ न्यास = न् + य् + आ + स् + अ
- ❖ तर्क = त् + अ + र् + क् + अ
- ❖ शब्द = श् + अ + ब् + द् + अ
- ❖ ब्रह्म = ब् + र् + अ + ह् + म् + अ
- ❖ ग्राम्य = ग् + र् + आ + म् + य् + अ
- ❖ प्रश्न = प् + र् + अ + श् + न् + अ
- ❖ विश्राम = व् + इ + श् + र् + आ + म् + अ
- ❖ स्रोत = स् + र् + ओ + त् + अ
- ❖ स्वामी = स् + व् + आ + म् + ई
- ❖ हास = ह् + र् + आ + स् + अ
- ❖ चिह्न = च् + इ + ह् + न् + अ
- ❖ अर्घ्य = अ + र् + घ् + य् + अ

अनुस्वार और अनुनासिक

अंक	यहाँ
अंश	काँच
संसार	हँसना
पतंग	आँख
शंख	माँ
सिंह	साँप

उपर्युक्त उदाहरणों से अनुस्वार और अनुनासिक के भेद को समझा जा सकता है। अनुस्वार एक ध्वनि है जबकि अनुनासिक स्वर का नासिक्य रूप है। हिन्दी में इन दोनों के प्रयोग में अर्थ में भी भिन्नता देखी जा सकती है, इसलिए हिन्दी में अनुस्वार (ँ) और अनुनासिक चिह्न (ँ) दोनों ही प्रचलित हैं।

अनुस्वार—यह स्वर के बाद आने वाली ध्वनि है, जो नाक से अधिक निकलती है। इसका उच्चारण स्वर के बाद ही होता है; जैसे—अंगूर अंगद, कंकण आदि।

मानक वर्तनी में पंचम वर्ण (ङ, ञ, ण, न, म) का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है।

अनुनासिक—जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ-साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम साँस निकलती है और मुँह से अधिक; जैसे—काँच, पाँच, माँ इत्यादि।

अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर—

अनुस्वार और अनुनासिक में पर्याप्त अंतर है, परंतु आजकल हिन्दी में चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जा रहा है। इससे उच्चारण में दोष तो आते ही हैं, साथ ही हिन्दी का स्वरूप भी खण्डित होता है।

1. अनुस्वार अन्य स्वरों और व्यंजनों के समान ही एक स्वतंत्र ध्वनि है, किंतु अनुनासिक की ध्वनि स्वतंत्र न होकर नासिक्य स्वर में मिल जाती है।
2. अनुस्वार के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक के उच्चारण में वायु, मुख और नाक दोनों से एक साथ निकलती है।
3. अनुस्वार धीमी ध्वनि है और अनुनासिक तीव्र ध्वनि है; जैसे—दंत और दाँत आदि।
4. संस्कृत शब्दों के अंत में जो अनुस्वार आता है, उसका उच्चारण 'म' होता है; जैसे—स्वयं (स्वयम्), एवं (एवम्), परं (परम्), शिवं (शिवम्) आदि।

अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—

1. अनुस्वार ऐसी नासिक्य ध्वनि है जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण न कर श, ष, स, ह के पूर्व उच्चारित करते हुए करते हैं; जैसे—संशय, प्रशंसा, अंश, हंस आदि।
2. अब पंचम वर्ण के स्थान पर पूर्व वर्ण के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हिन्दी वर्तनी में किया जाने लगा है; जैसे—अंग, पंचम, कंटक, अंत, पंप आदि।
3. पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार लगाने की व्यवस्था होते हुए भी कुछ शब्दों में पंचम वर्णों का प्रयोग यथावत् रहता है। जब

जब एक ही वर्ग के दो पंचम वर्ण एक साथ प्रयुक्त हुए हों; जैसे—अन्न, गन्ना, प्रसन्न, अम्मा, सम्मान आदि।

4. ऊष्म वर्ण (श, ष, स, ह) और अंतःस्थ वर्ण (य, र, ल, व) के पूर्व अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए; जैसे—अंश, हंस, संसार, संहार, संयम, संरक्षक, संवाद आदि।

5. कुछ शब्दों में अनुस्वार और नासिक्य दोनों का प्रयोग किया जाता है; जैसे—संन्यास, संन्यासी आदि।

6. कई प्रांतों की राजकीय पाठ्य पुस्तकों में क, च और ट वर्ग के व्यंजनों के साथ अनुस्वार (•) तथा त और प वर्ग के व्यंजनों के साथ संबंधित (पंचम वर्ण) का प्रयोग मिलता है; जैसे—गंगा, चंचल, पंडित, हिन्दी, अंत, पम्प, परम्परा आदि।

7. अनुस्वार से ध्वनि भेद को स्पष्ट करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग यथास्थान अवश्य किया जाना चाहिए; यथा—हँसमुख, महँगा, दाँत, बँटी आदि।

विशेष—

✿ अंग्रेजी, उर्दू से गृहीत शब्दों में आधे वर्ण या अनुस्वार के भ्रम को दूर करने के लिए पंचम वर्ण को पूरा लिखना अच्छा रहेगा; जैसे—तनखाह, तिनका, तमगा, कमसिन आदि।

✿ अनुनासिक चिह्न व्यंजन नहीं है, स्वरों का ध्वनिगुण है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुँह और नाक से हवा निकलती है; जैसे—आँ, ऊँ, ऐँ, हूँ, आँँ आदि।

✿ चंद्रबिंदु के प्रयोग के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की संभावना रहती है; जैसे—हंस और हँस, अंगना और अँगना, स्वांग और स्वाँग आदि। ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए।

 **निर्देश**—शिक्षक बच्चों को संकेतानुसार (ऊपर से नीचे, दाँये से बाँये, तिर्यक् तथा सीधे लाइन) अनुस्वार और अनुनासिक की सहायता से बनने वाले सार्थक शब्दों को छाँटकर लिखने के लिए कहेंगे।

ज	र	अं	ब	ख	ष	त	फ	ठ
म	सं	क	ल	न	ह	ल	ट	गा
बं	द	सा	ख	कं	चं	पां	व	ज
धु	र्भ	घ	र	च	ना	ऐँ	य	हाँ
क	र	त	ल	न	ग	प	ट	अ
य	आँ	न	षं	का	त्र	साँ	कं	घा
रं	ग	ख	मे	ह	दी	पूँ	प	र
आ	न	इ	हं	स	काँ	हुँ	छ	तं
ग	के	वं	द	ना	च	नि	ए	क्ष

‘र’ के विविध रूप

‘र’ के विविध रूप— (ˌ ˈ ˘) अपने आकार और प्रयोग की दृष्टि से ‘र’ हिन्दी वर्णमाला का विशिष्ट वर्ण है। इसका प्रयोग चार रूपों में होता है—

1. मूल रूप में—

उदाहरण—राम, राजा, राहुल, कमर, गरदन आदि।

उपर्युक्त उदाहरणों में ‘र’ वर्ण का प्रयोग मूल रूप में किया गया है।

2. संयुक्ताक्षर के रूप में—

स्वररहित ‘र’—यह वर्ण दूसरे वर्णों से जुड़ता है अर्थात् स्वररहित होता है तब रेफ (ˊ) का रूप धारण कर लेता है; जैसे—कर्म, अधर्म, शौर्य आदि।

यहाँ ध्यान दीजिए—

स्वररहित ‘र’ को रेफ (ˊ) कहते हैं।

क— ‘र’ वर्ण जिस व्यंजन के पूर्व उच्चरित होता है, उसी के ऊपर लगाया जाता है। उदाहरण—शब्दार्थ, पर्व, नर्म, निर्मित आदि।

ख— व्यंजन की पाई के ठीक ऊपर ‘रेफ’ को लगाते हैं। जैसे—पूर्ण, निर्दय आदि।

ग— शब्द में यदि कोई मात्रा है, तो मात्रा के ऊपर या ठीक बाद में रेफ लगाया जाता है। जैसे—दुर्योधन, दुर्नीति आदि।
स्वरसहित ‘र’ के दो रूप मिलते हैं—

3. तिरछी पाई (ˌ) के रूप में—

जब ‘र’ व्यंजन अंतपाई और मध्यपाई वाले वर्णों से जुड़ता या संयुक्त होता है, तब वह एक तिरछी पाई (ˌ) के रूप में होता है।

उदाहरण— क् र म = क्रम

ह् रा स = हास

ग् र ह = ग्रह

4. उल्टे वी (˘) के रूप में—

बिना पाई या गोल पेंदी वाले व्यंजनों से संयुक्त होने पर ‘र’ उस व्यंजन के नीचे उल्टे वी (˘) के रूप में जुड़ता है; जैसे—ट्+र=ट्र (ट्रक, ट्रेन), ड्+र=ड्र (ड्रम) आदि।

विशेष—संयुक्त व्यंजन के उच्चारण में जिस व्यंजन का उच्चारण पहले होता है, वह आधा अर्थात् स्वररहित होता है। जिस व्यंजन का उच्चारण बाद में होता है, वह व्यंजन पूर्ण अर्थात् स्वरसहित होता है।

उदाहरण— प् + र + श् + अं + स् + आ = प्रशंसा

क् + र + म = क्रम

न + म् + र = नम्र

ट् + र + क = ट्रक

उक्त उदाहरणों में ‘प्रशंसा’ शब्द में ‘र’ युक्त ‘प्र’ को देखा जाए तो इसका रूप देखने में ‘प’ पूर्ण और ‘र’ (ˌ) अपूर्ण दिखता है, किंतु यह सही नहीं है। उच्चारण करने पर ‘प’ का श्रवण पहले और ‘र’ का श्रवण बाद में होता है, इसलिए प् अपूर्ण (बिना ‘स्वर’ के) और र पूर्ण (स्वर सहित) है।

इसे भी जानें—

‘र’ व्यंजन में ‘उ’ और ‘ऊ’ अन्य व्यंजनों की भाँति व्यंजन वर्ण के नीचे न जुड़कर, बीच में जुड़ता है; जैसे— र + उ = रु (रुपया)
एवं र + ऊ = रू (रूप)।

दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें—

अपनी ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताओं के माध्यम से सुप्त भारतीय जनता को जागरण देने वाले कवियों में सोहनलाल द्विवेदी का विशिष्ट स्थान है। इनकी राष्ट्रप्रेम की भावनायें अहिंसात्मक हैं और गांधीवादी रक्तहीन क्रान्ति की समर्थक हैं। डॉ० भवानी प्रसाद के अनुसार—“ सोहनलाल द्विवेदी की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, उद्बोधन व जागरण का पावन संदेश है। देश—प्रेम और राष्ट्रप्रेम की भावना उनकी कविताओं का मुख्य विषय है। वे प्रत्येक भारतीय के हृदय में राष्ट्रप्रेम का भाव उत्पन्न करना चाहते थे।”

गतिविधि—शिक्षक बच्चों से अपने मार्गदर्शन में करवाएँ—

ऊपर दिए गए अनुच्छेद में ‘रेफ’ का प्रयोग किन—किन वर्णों के साथ किस रूप में प्रयोग हुआ है, छाँटकर इस कॉलम में निर्देशानुसार सूची में अंकित करें—

(-)	(^९)	(^)

 निर्देश—शिक्षक कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तक के अन्य पाठों में दिए गए रेफ के विभिन्न प्रयोगों को उदाहरण के रूप में अभ्यास कराएँ।

संयुक्ताक्षर

क् + ष = क्ष

त् + र = त्र

ज् + ञ = झ

श् + र = श्र

उपर्युक्त उदाहरणों को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि दो व्यंजनों की सहायता से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं।

दो व्यंजनों का संयुक्त रूप संयुक्ताक्षर है।

अर्थात् जब दो व्यंजनों के बीच किसी स्वर वर्ण का व्यवधान न हो और दोनों व्यंजन आपस में जुड़ जाएँ, उसे ही संयुक्ताक्षर कहते हैं।

संयुक्ताक्षर के दो रूप मिलते हैं:-

1. समध्वनि संयुक्ताक्षर

2. विषमध्वनि संयुक्ताक्षर

1- समध्वनि संयुक्ताक्षर- जब दो समान रूप वाले व्यंजन वर्ण एक साथ आएँ, तो उन्हें समध्वनि संयुक्ताक्षर अथवा व्यंजन द्वित्व कहते हैं; जैसे-द्विकत, अक्षुण्ण, उत्फुल्ल, प्रसन्नता आदि।

अन्य उदाहरण- पक्का = प् + अ + क् + क् + आ

कच्चा = क् + अ + च् + च् + आ

खट्टा = ख् + अ + ट् + ट् + आ

उच्च = उ + च् + च् + अ

समान वर्णों का संयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता।

उपर्युक्त उदाहरणों में क्रमशः क, च, ट, च, त आदि व्यंजन वर्ण अपनी समान ध्वनि या वर्ण के साथ संयुक्त हुए हैं। अतः ये समध्वनि संयुक्ताक्षर या व्यंजन द्वित्व कहे जाएँगे।

भोलानाथ तिवारी ने इस प्रकार के द्वित्वों को 'दो क' न कहकर 'क' का दीर्घ रूप या दीर्घ व्यंजन 'क' या प्रलंबित 'क' कहना अधिक उपयुक्त समझा है।

2- विषमध्वनि संयुक्ताक्षर- जब दो विषम व्यंजनों का संयोग होता है, तो उसे विषमध्वनि संयुक्ताक्षर कहते हैं।

उदाहरण- तत्काल = त् + अ + त् + क् + आ + ल् + अ

श्मशान = श् + म् + अ + श् + आ + न् + अ

लग्न = ल् + अ + ग् + न् + अ

सभ्य = स् + अ + भ् + य् + अ

पुण्य = प् + उ + ण् + य् + अ

वन्दना = व् + अ + न् + द् + अ + न् + आ

उपर्युक्त उदाहरणों को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि 'त्' का 'क' वर्ण से, श् का म से, ग् का न से, भ् का य से, ण् का प से, न् का द वर्ण से संयोग हुआ है, जो समध्वनि नहीं है। अतः इन्हें विषमध्वनि संयुक्ताक्षर कहेंगे।

वर्णों के संयुक्तीकरण के कुछ सामान्य नियम—

हिन्दी भाषा में वर्णों को संयुक्त करने के सम्बन्ध में कुछ भ्रांतियाँ हैं। इन्हें दूर करने के लिए वर्णों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं—

✿ **अंत पाई वाले व्यंजन—** वे व्यंजन वर्ण जिनके अंत में एक खड़ी पाई होती है; जैसे—ख, ग, च, ध, न इत्यादि। इन वर्णों को दूसरे व्यंजनों के साथ संयुक्त करते समय इनकी अंत पाई को हटा देते हैं।

उदाहरण—

ख, ग, घ = ख्याति, मुख्य, ग्लानि, अग्नि, विघ्न, शत्रुघ्न, कृतघ्न, ।

च, ज, झ, ञ = अच्छा, सज्जन, सञ्चय, चञ्चल ।

ण = अरण्य, नगण्य, पुण्य, अक्षुण्ण ।

त, थ, ध, न = तत्काल, तथ्य, सन्ध्या, अन्न, कथ्य, पथ्य, ध्यान, अन्याय, न्यून ।

प, ब, भ, म = प्यास, प्याज, शब्द, क्षुब्ध, सभ्य, म्लान, सम्मान ।

य, ल, व = शय्या, मूल्य, व्यय, व्याकुल, शल्य ।

श, ष, स = श्मशान, श्याम, शुष्क, पुष्प, स्नान, स्कूल ।

क्ष = लक्ष्य, साक्ष्य

त्र = त्र्यम्बक, त्र्यंगुल

✿ **मध्य पाई वाले या शुंडिका वाले व्यंजन—** जिन वर्णों के मध्य में पाई होती है, उन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ संयुक्त करते समय उनकी शुंडिका का नीचे लटकने वाला भाग हटा दिया जाता है; जैसे—

क— क्यारी

फ— मुफ्त

✿ **बिना पाई या गोल पेंदी वाले व्यंजन—** इस प्रकार के व्यंजनों को दूसरे व्यंजनों के साथ संयुक्त करते समय इनके नीचे हल् (,) का चिह्न लगा दिया जाता है; जैसे—

ड — वाङ्मय

छ — उच्छ्वास

ट — लट्ठ, मट्ठा, अट्ठासी

ठ ढ — ये वर्ण किसी वर्ण के साथ किसी शब्द में संयुक्त रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं।

ड — लङ्छू, गङ्गा

द — विद्यालय, विद्या

ह — चिह्न

'ह' वर्ण हलंत (,) करके (ह) अथवा दायीं ओर की शुंडिका को सीधा करके (ह) संयुक्त किया जाता है।

विशेष— क्ष, त्र, ज्ञ, श्र इन संयुक्ताक्षरों को छोड़कर, एक व्यंजन के साथ जुड़े दूसरे व्यंजन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। संयुक्त वर्णों के लेखन से भ्रम की स्थिति बनती है। अतः परंपरागत रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले संयुक्ताक्षरों का आधुनिक मानकीकृत रूप में प्रयोग ज्यादा समीचीन है।

कुछ व्यंजन वर्णों के प्राचीन और आधुनिक रूप निम्नलिखित हैं—

प्राचीन/परंपरागत रूप	आधुनिक/स्वीकृत रूप	प्राचीन/परंपरागत रूप	आधुनिक/स्वीकृत रूप
द्य	द्य	ड्य	ड्य
ह्व	ह्व	ढ्य	ढ्य
ह्न	ह्न	ढ्न	ढ्न
ह्म	ह्म	ढ्म	ढ्म
द्व	द्व	ढ्व	ढ्व
दध	दध	ढ्द	ढ्द
श्च	श्च	ढ्त्त	ढ्त्त

विशेष—जब दो से अधिक व्यंजन वर्णों का संयोग होता है तो उसे व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं; जैसे—स्वास्थ्य, उज्ज्वल, अन्त्याक्षरी आदि।

प्रायः संयुक्त ध्वनियों के उच्चारण में पूर्वापर आगे-पीछे संबंध का ज्ञान एवं अभ्यास न होने के कारण लोग 'स्नान' का अशुद्ध उच्चारण 'अस्नान' या 'सनान' और 'स्कूल' का 'इस्कूल' या 'सकूल' कर बैठते हैं, जो विचारणीय है, इससे बचना चाहिए।

स्वर और व्यंजन को अलग-अलग करना ही वर्ण-विच्छेद कहलाता है।

गतिविधि—

नीचे दिए हुए शब्दों में से छोटकर उचित कालम में लिखने के लिए कहें—

प्रसन्नचित्त, ग्वाला, गड़ढा, पट्टा, कच्चा, उत्तर, उत्कट, सत्कार, तन्त्र, समुत्थान।

समध्वनि संयुक्ताक्षर	विषमध्वनि संयुक्ताक्षर

शब्द और उसके प्रकार

रुठ गए ! कुँवर, रुठने से राजवंश नहीं चलते । जाओ ! विश्राम करो । देखो, तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है । दिनभर तुम तलवार का खेल खेलते रहे हो । थक गए होगे । जाओ, सो जाओ । मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूँगी ।

जब हम उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में चित्र उभरते हैं, उनके दृश्य कल्पना में आने लगते हैं परंतु इसी को यदि ऐसे लिखा जाए और पढ़ा जाए लच हप जक नटक रप है । तो कुछ समझ नहीं आएगा और न किसी प्रकार का चित्र अथवा कल्पना ही हमारे मन में उभरेगी ।

अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है । एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं; जैसे — लड़की में आ, मैं, धीरे, परंतु इत्यादि । अतः, शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक । किंतु, व्याकरण में ध्वनियात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है । वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्व है, जो सार्थक हैं, जिनके अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है । व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं होता ।

समान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं— सार्थक और निरर्थक । सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते, जैसे — ‘पानी’ सार्थक शब्द है और ‘नीपा’ निरर्थक शब्द, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं ।

भाषा की परिवर्तनशीलता उसकी स्वाभाविक क्रिया है । समय के साथ संसार की सभी भाषाओं के रूप बदलते हैं । हिंदी इस नियम का अपवाद नहीं है । संस्कृत के अनेक शब्द पालि, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं । इनमें कुछ शब्द ज्यों—के—त्यों अपने मूल रूप में हैं और कुछ देशकाल के प्रभाव के कारण विकृत हो गए हैं ।

इसे ऐसे भी समझ सकते हैं—

क् + अ + म् + अ + ल् + अ = कमल

श् + ए + र् + अ = शेर

उपर्युक्त शब्द कमल और शेर कई वर्णों से मिलकर बने हैं ।

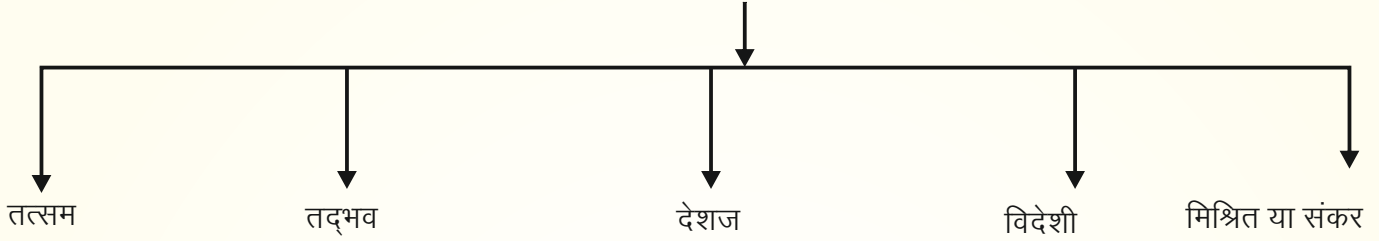
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि—

‘वर्णों के ऐसे समूह, जिनका कोई निश्चित अर्थ हो, शब्द कहे जाते हैं ।’

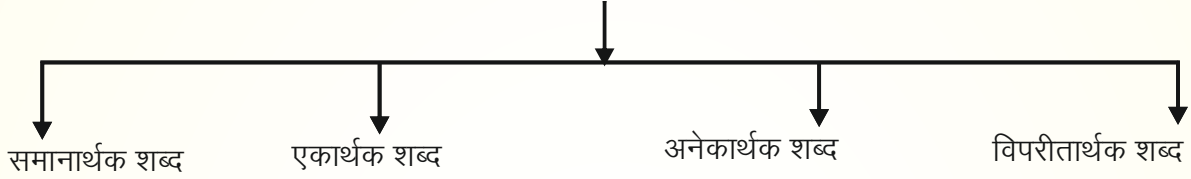
शब्द की परिभाषा—‘ध्वनियों/ वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है; जैसे घर, लड़का, देश, सुंदर.....इन्हें हम दो रूपों में पाते हैं—एक तो इनका अपना रूप है (बिना मिलावट के) जिसे प्रकृति या प्रातिपदिक कहते हैं और दूसरा वह जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल बताने वाले अंश को आगे—पीछे लगाकर बनाया जाता है जिसे पद कहते हैं अर्थात् वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है; जैसे—वाणी, मीठी, बोलो । इन तीनों से एक वाक्य बनता है—मीठी वाणी बोलो । (मीठी—विशेषण पद, वाणी—नाम पद (संज्ञा) और बोलो—क्रिया पद)

हिन्दी में शब्द अनेक प्रकार के हैं, अतः शब्दों का विभाजन कई आधारों से किया जाता है—

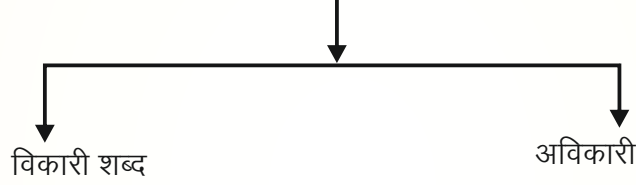
1 स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर



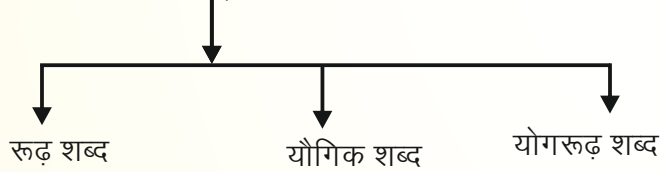
2 अर्थ के आधार पर



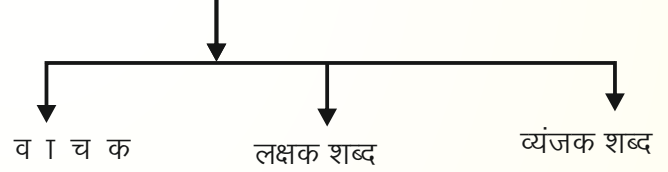
3 रूपान्तर या प्रयोग के आधार पर



4 रचना अर्थात् बनावट के आधार पर



5 शब्द-शक्ति के आधार पर



स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर

तत्सम शब्द— किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्दों तत्+सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है—उसके तथा सम का अर्थ है—समान अर्थात् ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन ले लिया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं।

1. तत्सम का शाब्दिक अर्थ है—उसी (तत्) के समान, अर्थात् वही प्राचीन (मूल) भाषा संस्कृत के समान।
2. संस्कृत के वे शब्द जो हिन्दी में बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण किए गए हैं तथा उनमें कोई ध्वनि परिवर्तन भी नहीं हुआ है, तत्सम कहे जाते हैं; जैसे—प्रकाश, ऋषि, पत्र, सूर्य, वायु आदि।

तत्सम	हिन्दी
आम्र	आम
उष्ट्र	ऊँट
शलाका	सलाई
चंचु	चोंच

तत्सम	हिन्दी
त्वरित	तुरन्त
खर्पर	खप्पर
तिक्त	तीता
सूचि	सुई

तत्सम	हिन्दी
गोमय	गोबर
घोटक	घोड़ा
शत	सौ
सपत्नी	सौत

तद्भव शब्द— ऐसे शब्द, जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिन्दी में आए हैं, तद्भव कहे जाते हैं। तत्+भव का अर्थ है—‘उससे उत्पन्न’। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पालि, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिन्दी में आए हैं। इसके लिए एक लम्बी यात्रा तय करनी पड़ी है। सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आए हैं, परंतु कुछ शब्द देशकाल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गए हैं कि उनके मूल रूप का पता नहीं चलता। फलतः तद्भव शब्द दो प्रकार के हैं—

क. संस्कृत से आने वाले और

ख. सीधे प्राकृत से आने वाले

निम्नलिखित उदाहरणों से तद्भव शब्दों के रूप स्पष्ट हो जाएँगे—

संस्कृत	प्राकृत	तद्भव हिन्दी
अग्नि	अग्गि	आग
पुष्प	पुष्फ	फूल
चतुर्थ	चउट्ठ	चौथा
मयूर	मऊर	मोर
नव	नअ	नौ

इस प्रकार यह भी कह सकते हैं कि वैसे शब्द; जो तत्सम से विकास करके बने हैं और कई रूपों में उनके (तत्सम के) समान दिखाई देते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं।

जैसे:—ओष्ठ से —→ ओठ या होंठ

पानीय से —→ पानी

श्रेष्ठ से —→ सेठ

कर्म से —→ काम

देशज शब्द— कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके मूल का पता नहीं लगता। ये शब्द जनसामान्य से आए हुए हैं, इसलिए इन्हें देशज अर्थात् देश से उत्पन्न शब्द कहा जाता है; जैसे—गाड़ी, पगड़ी, लोटा, जूता, रोड़ा, पैसा, खिड़की आदि।

- देशज शब्द का अर्थ है—देश में उत्पन्न अथवा बोलचाल की भाषा से स्वतः उत्पन्न हुए शब्द हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिनका विकास स्थानीय स्तर पर होता है।
- ऐसे शब्द जो हमारे जनसामान्य की बोलचाल से उत्पन्न हो, उन्हें देशज शब्द कहते हैं।
- देशज वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता।

हेमचंद्र ने इन्हें देशी कहा है जिनकी उत्पत्ति व्याकरण के नियमों से नहीं हुई है।

जॉन बीन्स ने देशज शब्दों को अनार्य स्रोत से संबद्ध माना है।

उदाहरण तालिका –

लोटा	पगड़ी	खिड़की	पैसा
रोड़ा	कटोरी	ओढ़नी	पोखरा
पतोहू	मेहरारू	घण्टा	डिबिया
मचान	दलान	अंगनवा	दुआर

विदेशी शब्द— ये शब्द हिन्दी में विदेशी भाषा से आए हैं। विदेशी भाषाओं से हिन्दी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएँ मुख्य हैं। अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिन्दी ने अपने उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश रूप में ढाल लिया है।

(अ) फारसी शब्द –

अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदनी, आवारा, आफत, आवाज, आइना, उम्मीद, कबूतर, कुश्ती, किशमिश, कमरबंद, किनारा, खाल, खूब, खामोश, खुश, खुराक, खूब, गज, गवाह, गिरफ्तार, गरम, गुलाब, चाबुक, चादर, चिराग, चश्मा, चरखा, चाशनी, जोर, जिंदगी, जादू, जोश, तेज, तेज, तीर, तबाह, तनखाह, दीवार, देहात, दुकान, दरबार, दंगल, दिल, नाव, नापसंद, पलंग, पैदावार, पुल, पारा, पेशा, पैमाना, बहरा, बीमार, मलाई, मुफ्त, मोर्चा, मुर्गा, मरहम, यार, याद, रंग, रोगन, लगाम, वापिस, शोर, सितारा, सरदार, सूद, सौदागर, हजार इत्यादि।

(आ) अरबी शब्द –

अदा, अजब, अमीर, अजीब, अजायब, अक्ल, असर, आसार, आखिर, आदमी, आदत, इनाम, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औसत, औरत, औलाद, कसूर, कदम, कब्र, कमाल, कर्ज, किस्मत, किस्सा, किला, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी, किताब, खबर, खत्म, खत, गरीब, गैर, जलसा, तनाव, जवाब, जहाज, जिक्र, तमाम, तकदीर, तारीख, तकिया, तमाशा, तरफ, तादाद, तरक्की, दाखिल, दिमाग, दवा, दावत, दफ्तर, दुआ, दुकान, दुनिया, दौलत, दान, नतीजा, नशा, नकद, नकल, नहर, फकीर, फैसला, बहस, मुहावरा, मदद, मिसाल, मजबूर, मामूली, मुकदमा, मुल्क, मल्लाह, मौसम, मौका, मुसाफिर, मशहूर, मतलब, लिहाज, लिफाफा, लायक, वहम, वकील, शराब, हिम्मत, हैजा, हिसाब, हुक्म, हाजिर, हाशिया, हाकिम, हौसला इत्यादि।

(इ) तुर्की शब्द –

आका, उर्दू, कालीन, काबू, कैची, कुली, चेचक, चमचा, तोप, बेगम, बहादुर, मुगल, सौगात, सुराग।

(ई) अँगरेजी शब्द —

अँगरेजी शब्द	तद्भव	अँगरेजी शब्द	तद्भव
ऑफीसर	अफसर	टरपेंटाइन	तारपीन
एंजिन	इंजन	माइल	मील
डॉक्टर	डाक्टर	बॉटल	बोतल
लैनटर्न	लालटेन	कैप्टन	कप्तान
हॉस्पिटल	अस्पताल		

इनके अतिरिक्त हिन्दी में अँगरेजी के कुछ तत्सम शब्द ज्यों—के—त्यों प्रयुक्त होते हैं । इनके उच्चारण में प्रायः कोई भेद नहीं रह गया है; जैसे— अपील, आर्डर, इंच, इण्टर, इयरिंग, एजेंसी, कंपनी, कमीशन, कमिश्नर, कैप, क्लास, क्वार्टर, काउंसिल, गार्ड, गजट, जेल, चेयरमैन, ट्यूशन, डायरी, डिप्टी, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड, ड्राइवर, पेंसिल, फाउंटेन पेन, नंबर, नोटिस, नर्स, थर्मामीटर, दिसंबर, पार्टी, प्लेट, पार्सल, पेट्रोल, पाउडर, प्रेस, मीटिंग, कोर्ट, होल्डर, कालर इत्यादि ।

संकर अथवा मिश्रित शब्द—ऐसे शब्द जो हिन्दी और किसी अन्य भाषा के शब्द को मिलाकर बनाए गए हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं; जैसे— संस्कृत और हिन्दी से बने शब्द—माँगपत्र, जाँचकर्ता ।

(माँग+पत्र, जाँच+कर्ता)

हिन्दी और अरबी—फारसी से बने शब्द—घड़ीसाज, किताबघर, फूलदान ।

(घड़ी+साज, किताब+घर, फूल+दान)

हिन्दी और अंग्रेजी से बने शब्द—रेलगाड़ी, टिकटघर ।

(रेल+गाड़ी, टिकट+घर)

अर्थ के आधार पर

समानार्थक शब्द— जिन शब्दों की ध्वनियाँ अलग या रूप अलग-अलग होते हुए भी समान अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें समानार्थक या समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं।

उदाहरणार्थ—

शब्द	समानार्थी शब्द
पानी	जल, नीर
राजा	भूप, नृप
बादल	मेघ, जलद
कमल	सरोज, पंकज

समानार्थी शब्द का अर्थ है—समान अर्थ वाले शब्द।

पर्यायवाची शब्द का अर्थ है—किसी शब्द के स्थान पर समान अर्थ देने वाले शब्द का प्रयोग।

उदाहरण— 'पंकज' का शाब्दिक अर्थ है— कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात् पंक अथवा कीचड़ में जो भी उत्पन्न होगा जैसे घास, सिवार, कमल इत्यादि, किंतु पंकज शब्द योगरूढ़ होकर कमल के अर्थ में ग्राह्य होता है। अतः हम यहाँ शाब्दिक अर्थ का ग्रहण न करके 'पंकज' को 'कमल' के पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द के रूप में ग्रहण करते हैं।

एकार्थक शब्द— ऐसे शब्द जिनका साधारणतः एक ही अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ प्रकट नहीं होता, ऐसे शब्दों को 'एकार्थक' शब्द कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ इस प्रकार के शब्दों की सर्वप्रमुख उदाहरण हैं।

उदाहरण—

मनुष्यों के नाम — कमला, राधा, राम आदि।

देशों के नाम — भारत, चीन आदि।

उपाधियों के नाम— निराला, रत्नाकर आदि।

अनेकार्थक शब्द— एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को 'अनेकार्थी शब्द' कहते हैं। इन शब्दों का प्रसंग बदलने पर अलग-अलग अर्थ निकलता है।

ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं।

उदाहरण— 'अज' शब्द के निम्नलिखित अनेक अर्थ हैं— शिव, ब्रह्मा, बकरा, अजन्मा।

'अर्थ' शब्द के कई अर्थ हैं— धन, उद्देश्य, व्याख्या, मतलब, प्रयोजन।

विपरीतार्थक शब्द—जो शब्द अपने सामने वाले शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं।

जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहे जाते हैं अथवा एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहे जाते हैं।

उदाहरण—

युक्त – मुक्त

अस्त – उदय

पाप – पुण्य आदि।

रूपांतर/प्रयोग के आधार पर

विकारी शब्द— जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक काल आदि के कारण विकार होते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकार से शब्दों के रूप में अंतर आ जाता है। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं—

संज्ञा	सर्वनाम	विशेषण	क्रिया
बच्चा	मैं	अच्छा	पढ़ना
बच्चों ने	मुझ	अच्छी	पढ़ता
बच्चों के लिए	मुझे	अच्छे	पढ़ते
	मेरा		
	मेरी		
	मेरे		

अविकारी शब्द— जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं तथा अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहते हैं। अव्यय चार प्रकार के होते हैं —

क्रियाविशेषण	संबंधबोधक	समुच्चयबोधक	विस्मयबोधक
तेज	के भीतर	और	या!
धीरे	के बाहर	तथा	अरे!
बाहर	की ओर	किंतु	अहा!
नीचे		परंतु	हाय!
क्यों		अथवा	
		इसलिए	

टिप्पणी—इस प्रकार विकारी और अविकारी मिलाकर प्रयोग के आधार पर शब्द आठ प्रकार के होते हैं—

विकारी शब्द—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया

अविकारी शब्द—क्रियाविशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयबोधक

प्रयोग के आधार पर शब्द—भेद

विकारी शब्द —	• संज्ञा • सर्वनाम • क्रिया • विशेषण	अविकारी शब्द —	• क्रिया विशेषण • संबंध बोधक • समुच्चय बोधक • विस्मायादि बोधक
---------------	--	----------------	---

रचना अथवा बनावट के आधार पर

रुढ़ शब्द— इसमें हम प्रायः ऐसे मूल शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका खंड न हो, विच्छेद न किया जा सके, उनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले, उन्हें रुढ़ शब्द कहा जाता है। उदाहरण—जल, पैसा, रात, राह।

1. ये शब्द अपने में ही पूर्ण होते हैं, इन शब्दों का सार्थक विभाजन नहीं किया जा सकता है।

2. जिन शब्दों के खंड सार्थक न हों, उन्हें रुढ़ कहते हैं—

यहाँ प्रत्येक शब्द के अनुसार खंड; जैसे—खा+न, पा+न आदि अर्थहीन हैं।

अन्य उदाहरण—मा और ता

दे और श

पु और त्र

यौगिक शब्द— जब दो सार्थक शब्द जुड़ने पर एक नवीन अर्थ निर्मित करते हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं;

उदाहरण—मातृभूमि=मातृ+भूमि

परोपकार=पर+उपकार

जनाधार=जन+आधार

1. ऐसे शब्द, जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक हों, वे शब्द यौगिक शब्द कहे जाते हैं।

2. वे शब्द जो रुढ़ शब्द में अन्य शब्दांश (उपसर्ग, प्रत्यय) जुड़ने से निर्मित होते हैं, यौगिक शब्द कहे जाते हैं।

उपसर्ग— 1. निरु+आशा=निराशा **प्रत्यय**— 3. धन+वान=धनवान

2. पर+जीवी=परजीवी 4. अपना+पन=अपनापन

योगरुढ़ शब्द— जो शब्द सामान्य अर्थ को छोड़कर अपने नए अर्थ को प्रमुखता प्रदान करते हैं, अर्थात् यौगिक होते हुए भी वे शब्द योगरुढ़ होते हैं।

1. जो यौगिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताने लगे, तब वे योगरुढ़ कहे जाते हैं और प्रायः बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त होते हैं।

उदाहरण—गजानन=गज+आनन अर्थात् गणेश के अर्थ में

पीताम्बर=पीत+अम्बर अर्थात् श्रीकृष्ण के अर्थ में

ये शब्द यौगिक हैं और इनका प्रयोग एक निर्धारित अर्थ में ही होता है। 'जलज' शब्द का अर्थ जल से उत्पन्न या जल से पैदा हुए किसी भी वस्तु से है, किंतु वह शब्द कमल के अर्थ में रुढ़ हो गया है।

शब्द-शक्ति के आधार पर

वाचक शब्द— मुख्य अर्थ बताने वाले शब्द को वाचक कहते हैं। वाचक शब्द की शक्ति का नाम 'अभिधा' है। यह कोशगत अर्थ का बोध कराती है। जैसे— 'गाय' शब्द से एक ही अर्थ का बोध होता है— एक पशु विशेष।

लक्षक शब्द— मुख्य अर्थ से संबद्ध अर्थ का बोध कराने वाले शब्द लक्षक कहे जाते हैं। लक्षक शब्द की शक्ति का नाम लक्षणा है। शब्द की जिस शक्ति से उसका साधारण से भिन्न और दूसरा वास्तविक अर्थ प्रकट होता है, उसे लक्षणा कहते हैं; जैसे—

गोलू उल्लू है, अर्थात् मूर्ख है।

उसका मन कोमल है, अर्थात् दयालु है।

तुम्हारा हाथ लोहा है, अर्थात् बहुत कड़ा है।

व्यंजक शब्द— संकेत से अर्थ बताने वाले शब्द को व्यंजक कहते हैं। इसकी शक्ति को व्यंजना कहते हैं। यह अर्थ नहीं; भाव, उद्देश्य या तात्पर्य बताता है। व्यंजना का अर्थ है—प्रकाशित करना। जिसके द्वारा मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न तीसरा अर्थ प्रकाशित होता है, उसे व्यंजना कहते हैं; जैसे—'संध्या हो गई' कहने से अनेक भाव व्यक्त हो रहे हैं—दिया जला दो, पढ़ने बैठ जाओ, खेलना बंद करके घर में आ जाओ इत्यादि।

उपर्युक्त पंक्तियों को देखकर हम कह सकते हैं कि प्रसंग और संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द से अनेक संकेत मिल रहे हैं। 'संध्या हो गई' अर्थात् पूजन का समय हो गया है, रात के खाने की तैयारी करनी है, पढ़ाई का समय हो गया है आदि। आइए एक और उदाहरण से समझें—'परीक्षा होने वाली है' अर्थात् संबंधित पाठ दोहरा लो, अब पढ़ाई के प्रति गंभीर हो जाओ, पूरे साल की मेहनत रंग लाने वाली है आदि भाव निकल रहे हैं।

संज्ञा

‘ठेले पर हिमालय’ – खासा दिलचस्प शीर्षक है ना। और यकीन कीजिए, इसे बिल्कुल ढूँढ़ना नहीं पड़ा। बैठे-बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सिलें लादे हुए बर्फवाला आया। ठण्डे, चिकने, चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी।

जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं; जैसे— ठेला, हिमालय, पान, दुकान, गुरुजन, मित्र, बर्फ आदि।

संज्ञा के भेद— संज्ञा के पाँच भेद हैं—

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा
2. जातिवाचक संज्ञा
3. समूहवाचक संज्ञा
4. द्रव्यवाचक संज्ञा
5. भाववाचक संज्ञा

व्यक्तिवाचक संज्ञा— किसी भी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह सदैव एकवचन में होती है। इससे केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है; जैसे—गाजीपुर, गंगा, हिमालय आदि। इन उदाहरणों में गाजीपुर एक स्थान विशेष का बोध करा रहा है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है।

जातिवाचक संज्ञा— जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे—लड़का, औरत, पेड़, पहाड़ आदि।

समूहवाचक संज्ञा— जिन शब्दों से किसी समुदाय अथवा समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे—अंगूर का गुच्छा, भीड़, छात्रगण, झुंड, जत्था, टुकड़ी, दल, टोली, पार्टी आदि।

द्रव्यवाचक संज्ञा— जो शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे—सोना, चाँदी, दूध, अनाज, तेल आदि।

भाववाचक संज्ञा— जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील भाव, अवस्था आदि का बोध हो, वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं; जैसे—सुख, दुख, गर्मी, ठंडी, बुढ़ापा आदि।

भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण— भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है—

उदाहरणार्थ :— (क) जातिवाचक संज्ञा— बूढ़ा—बुढ़ापा, लड़का—लड़कपन।

(ख) विशेषण— गर्म—गरमी, मीठा—मिठास (ग) क्रिया— घबराना—घबराहट, सजाना—सजावट

(घ) सर्वनाम— अपना—अपनापन, मम—ममता, ममत्व (ङ) अव्यय— दूर—दूरी, समीप—सामीप्य, निकट—नैकट्य।

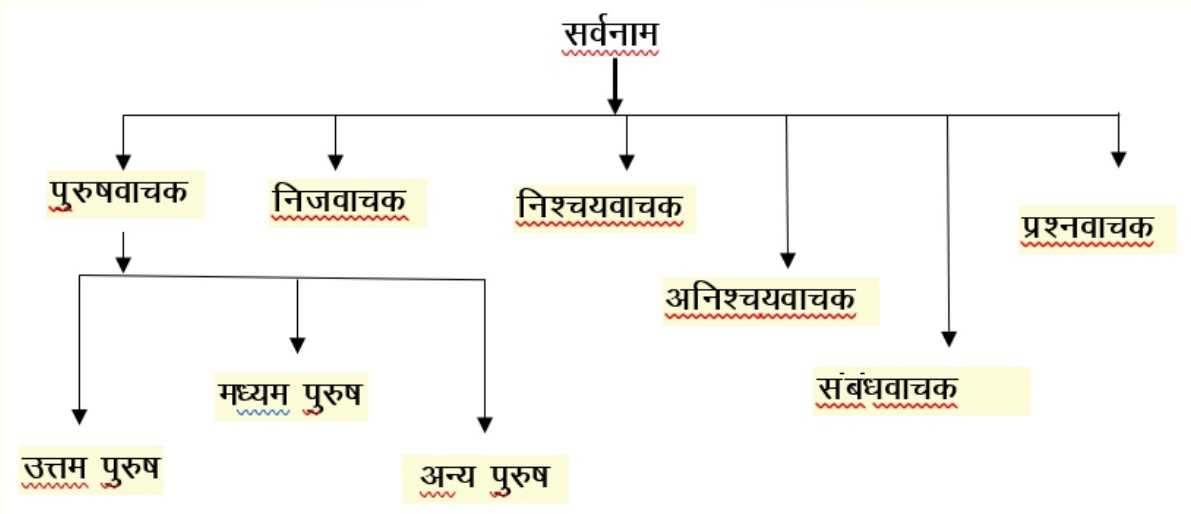
सर्वनाम

लेकिन सुभागी यों चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिकादीन के घर गयी और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा— कल का बानी आज का सेठ, खेत जोतने चले हैं, देखें, कौन मेरे खेत में हल ले जाता है? अपना और उसका लहू एक कर दूँ। पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया, सब तो हैं, आपस में यह चढ़ा—उतरी नहीं करना चाहिए।

जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं।

ऊपर दिये गये वाक्यों में—वह, अपना, उसका, मेरे ये सभी शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं।

जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं।



पुरुषवाचक— पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों (स्त्री या पुरुष) के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष अर्थात् मैं, मध्यम पुरुष अर्थात् तुम, अन्य पुरुष अर्थात् वह आदि। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता और अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़कर अन्य लोग आते हैं। इस प्रकार तीन भेद होते हैं—

(i) उत्तम पुरुष (ii) मध्यम पुरुष (iii) अन्य पुरुष

उत्तम पुरुष— जो सर्वनाम हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं; जैसे—मैं, हम, मेरा, मेरी, हमें, हमारा आदि।

मध्यम पुरुष— सुनने वाले के लिए हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं; जैसे—तू, तुम, तेरा, तुम्हारी, आपका, तुम्हारा आदि।

अन्य पुरुष— बोलने वाले तथा सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं; जैसे—वे, वह, उसका, उसकी, उसे आदि।

निजवाचक सर्वनाम— जो सर्वनाम स्वयं (अपने) के लिए प्रयोग किये जाते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे—आप, स्वयं, स्वतः (अपने—आप) खुद आदि।

निश्चयवाचक सर्वनाम— वह सर्वनाम जो पास या दूर किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे—यह, उसे, ये, वे, वह आदि।

अनिश्चयवाचक सर्वनाम— वह सर्वनाम जो किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे—कोई, कुछ आदि।

संबंधवाचक सर्वनाम— जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि से संबंध प्रकट हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे—जो, जिसे, जैसे आदि।

(i) वह किताब जिसकी थी, उसे मिल गयी।

(ii) जिसकी लाठी उसकी भैंस।

प्रश्नवाचक सर्वनाम— जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे—कौन, किसका इत्यादि।

(i) यह कलम किसकी है ?

(ii) तुम क्या कर रहे हो ?

कारक	मैं उत्तम पुरुष एकवचन/बहुवचन	तू मध्यम पुरुष एकवचन/बहुवचन	वह अन्य पुरुष एकवचन/बहुवचन	यह निश्चयवाचक एकवचन/बहुवचन
कर्ता (ने)	मैं/हम मैंने/हमने मैं/हम लोग	तू तुम/आप तूने तुमने/आपने तुझे तुम्हें/आपको	वह/वे उसने/उन्होंने उसे/उन्हें	यह/ये इसने/इन्होंने इसे/इन्हें
कर्म (को)	मुझे/हमें मुझको/हमको	तुझे/तुम्हें आपको	उसे/उन्हें उसको/उनको	इसे/इन्हें इसके/इनको
करण (से), द्वारा	मुझसे/हमसे मेरे द्वारा/ हमारे द्वारा	तुमसे/आपसे	उससे/उनसे	इससे/इनसे
संप्रदान (के लिए)	मुझे/हमें	तेरे लिए तुम्हारे लिए/ आपके लिए	उसके लिए/ उनके लिए	इसके लिए/ इनके लिए
अपादान (से)	मुझसे/हमसे	तुझसे/तुमसे/ आपसे	उससे/उनसे	इससे, इनसे
संबंध (का, के, की)	मेरा/हमारा मेरे/हमारे मेरी/हमारी	तेरा तुम्हारा/आपका तेरी तुम्हारी/आपकी तेरे तुम्हारे/आपके	उसका/उनका उसकी/उनकी उसके/उनके	इसका/इनका इसकी/इनकी इसके/इनके
अधिकरण (में, पर)	मुझमें/हममें मुझ पर/हम पर	तुझमें तुम में/ आप में	उसमें, उनमें उस पर, उन पर	इसमें/इनमें इस पर/इन पर

विशेषण

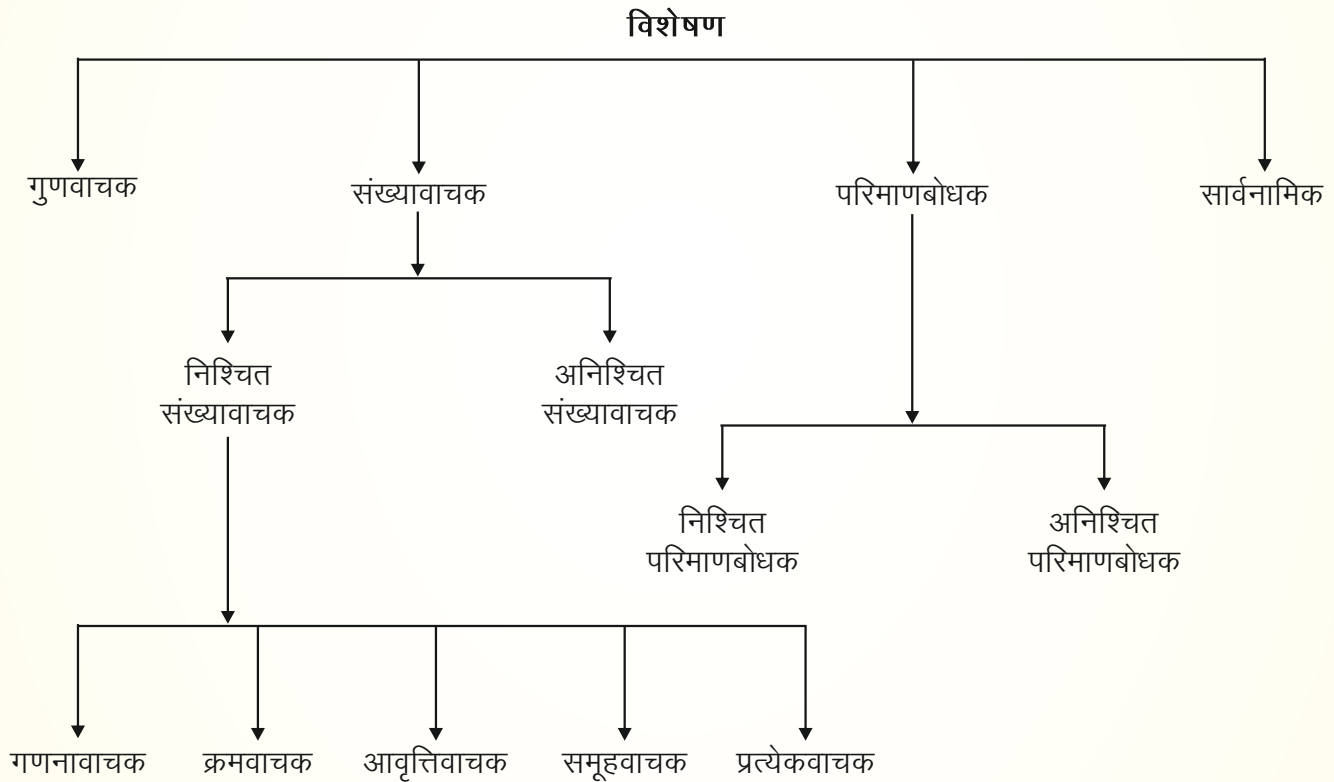
इड़ा उठी, दिख पड़ा राज-पथ, धुँधली-सी छाया चलती,
वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती ।
शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली,
छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली ।

(पुनर्मिलन, कक्षा 9)

‘नव’ ‘नवल’ ये विशेषण हैं, जो गति, लय, कंठ और जलद आदि की विशेषता बताते हैं। इसी प्रकार अन्य कविताओं में ऐसे अनेक शब्द विशेषण के रूप में देखे जा सकते हैं।

विशेषण— संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं; जैसे—काला घोड़ा, ठंडा पानी आदि।

विशेषण के निम्नलिखित प्रकार हैं —



गुणवाचक विशेषण—जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, आकार, स्वभाव, स्थिति, काल आदि का पता चले, उसे गुण वाचक विशेषण कहते हैं; जैसे—

- (1) गाय **भूरी** है।
- (2) हाथी बहुत **बड़ा** है।

संख्यावाचक विशेषण—संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्या वाचक विशेषण कहते हैं; जैसे—

- (1) विद्यालय में आम के पाँच पेड़ हैं।

संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं —

(i) निश्चित संख्यावाचक— जैसे—तीन शेर, चार लड़के आदि ।

(ii) अनिश्चित संख्यावाचक— जैसे—अनेक पक्षी, कुछ लोग, कम छात्र, अनेक यात्री आदि ।

परिमाणबोधक विशेषण— जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से माप, तौल संबंधी विशेषता का पता चले, उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं; जैसे—

(1) यह दो लीटर दूध है ।

(2) पाँच सौ ग्राम घी लाओ ।

परिमाणबोधक विशेषण भी दो प्रकार के हैं—

(i) निश्चित परिमाणबोधक— जैसे—दो किलो आम, पाँच मीटर कपड़ा, तीन लीटर तेल इत्यादि ।

(ii) अनिश्चित परिमाणबोधक— जैसे—थोड़ा दूध, कुछ कपड़े, इतना सामान इत्यादि ।

सार्वनामिक विशेषण— जो सर्वनाम संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर विशेषता को व्यक्त करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं; जैसे—

(i) वह लड़की आम खाती है ।

(ii) उस चित्र को देखें ।

तुलनात्मक-विशेषण

दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि के परस्पर मिलान का विशेषण 'तुलनात्मक विशेषण' कहलाता है । हिन्दी व्याकरण में इस विषय पर बहुत कम विचार हुआ; क्योंकि हिन्दी में विशेषणों की तुलना उस ढंग से नहीं होती, जिस तरह अंग्रेजी व्याकरण में डिग्री (Degree) के अन्तर्गत तुलना की तीन स्थितियाँ हैं —

Positive

Comparative

Superlative

Good

Better

Best

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अंग्रेजी में विशेषणों की तुलना करते समय शब्द के रूप बदल जाते हैं ।

हिन्दी में तुलना करते समय विशेषणों के रूप ज्यों के त्यों रहते हैं उनमें विकार या परिवर्तन नहीं रहता ।

हिन्दी में शब्दों के इन तीन रूपों को तीन अवस्थाओं में रखा गया है—

1— मूलावस्था

2— उत्तरावस्था

3— उत्तमावस्था

इस दृष्टि से विशेषणों के रूप इस प्रकार होते हैं —

मूलावस्था

उत्तरावस्था

उत्तमावस्था

कोमल

कोमलतर

कोमलतम

लघु

लघुतर

लघुतम

निम्न

निम्नतर

निम्नतम

अधिक

अधिकतर

अधिकतम

मूलावस्था — इसमें व्यक्ति/वस्तु की तुलना किसी अन्य से न होकर केवल उसकी स्वयं की विशेषता (गुण-दोष) प्रकट होती है; जैसे— सुंदर, मधुर, वीर आदि।

ऊपर दिए गए शब्दों के रूप केवल संस्कृत निष्ठ हिंदी में चलते हैं। हिंदी की अपनी प्रकृति संस्कृत से भिन्न होने के कारण समान्यतः 'तर' के स्थान पर 'से' और 'में' का तथा 'तम' के स्थान पर 'सबसे' और 'सबमें' जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। साथ ही 'से अधिक', 'से ज्यादा', 'से भी अधिक', 'से कम', 'से भी कम', 'से कुछ कम', 'से बढ़कर', 'से कहीं' जैसे शब्दों का प्रयोग भी देखा जाता है; जैसे— वह तुमसे कहीं अच्छा है, वह तुमसे बढ़कर है इत्यादि।

उत्तरावस्था— इसमें दो व्यक्तियों/वस्तुओं की परस्पर तुलना होती है और उनमें से किसी एक व्यक्ति/वस्तु के गुण-दोष कम या अधिक बताए जाते हैं; जैसे— घनश्याम रामलाल से अधिक समझदार है।

उत्तमावस्था— इसमें किसी व्यक्ति/वस्तु को सर्वाधिक रूप से गुणयुक्त अथवा दोषयुक्त बताया जाता है; जैसे श्री हिमांशु तिवारी हमारे विद्यालय के सबसे अच्छे अध्यापक हैं।

- 1. विशेष्य**— जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेष्य कहा जाता है।
- 2. प्रविशेषण**— कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं; जैसे—'राम बहुत तेज विद्यार्थी है। इसमें 'तेज' विशेषण है और उसका भी विशेषण है 'बहुत'।
- 3. संख्यावाचक एवं परिमाणबोधक विशेषण में अंतर**—संख्यावाचक विशेषण के द्वारा किसी वस्तु की गिनती का ज्ञान होता है; जैसे—पंद्रह बच्चे, महीने के इकतीस दिन आदि, परंतु परिमाणबोधक विशेषण वस्तुओं की माप-तौल का ज्ञान कराते हैं, जैसे—चार लीटर दूध, दो मीटर कपड़ा आदि। संक्षेप में कोई भी ऐसी वस्तु जो गिनी जा सके, संख्यावाचक कहलाती है और कोई भी ऐसी वस्तु जिसे नापा या तौला जा सके, उसे परिमाणबोधक विशेषण कहा जाता है; जैसे—बहुत आदमी (संख्या), बहुत दूध (परिमाण)
- 4. विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध**—किसी भी वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहला है विशेष्य से पहले और दूसरा विशेष्य के बाद। जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आते हैं, उन्हें विशेष्य-विशेषण या सामान्य विशेषण कहते हैं जैसे—मोहन चंचल बालक है। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं; जैसे—मेरा कुत्ता काला है।
- 5. विशेषण के लिंग, वचन आदि विशेष्य के लिंग, वचन आदि के अनुरूप होते हैं, चाहे विशेषण विशेष्य के पहले आए या बाद में;** जैसे—अच्छे लड़के पढ़ते हैं, राधा भली लड़की है।
- 6. यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हैं तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग, वचन के अनुरूप होंगे।** जैसे—नये पुरुष और नारियाँ, नई धोती और कुरता।
- 7. हिन्दी के सभी विशेषण दोनों लिंगों में समान रूप से बने रहते हैं। केवल आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में ईकारांत और बहुवचन में एकारांत हो जाता है।**

उदाहरण—	आकारांत	ईकारांत	एकारांत
	अच्छा	अच्छी	अच्छे

उपसर्ग और प्रत्यय

“उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते ।

प्रहाराहार—संहार—विहार—परिहारवत् ।।.

भावार्थ—उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है, यथा—हार शब्द का अपना एक अर्थ है, परंतु जब उसमें ‘प्र’ उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है ‘प्रहार’ और उसका अर्थ होता है—मारना । इसी प्रकार ‘आ’ उपसर्ग लगने पर ‘आहार’ बनता है, जिसका अर्थ भोजन है । इसी प्रकार यदि ‘हार’ शब्द में ‘सम्’ उपसर्ग जुड़ता है तो संहार शब्द बनता है । इस प्रकार हमने देखा कि अलग-अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है । उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता ।

उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे—सु+पुत्री=सुपुत्री, अन+पढ़=अनपढ़, स+जल=सजल, प्रति+वाद=प्रतिवाद

उपसर्ग की विशेषताएँ—

(क) उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, इसलिए इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है; जैसे—सुपुत्री शब्द में सु उपसर्ग का अपना अर्थ नहीं है ।

(ख) यह शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं; जैसे—पुत्री शब्द में ‘सु’ उपसर्ग जुड़ने का अर्थ ‘अच्छी पुत्री’ हो जाता है ।

(ग) उपसर्गों के योग से शब्दों के अर्थ में कभी उत्कर्ष, कभी अपकर्ष तो कभी भिन्न अर्थ की विशेषता आ जाती है; जैसे—सुपुत्र में पुत्र शब्द में उत्कर्ष हुआ है वहीं कुपुत्र शब्द में पुत्र शब्द का अपकर्ष हुआ है ।

सत्य में ‘अ’ उपसर्ग लगाने पर असत्य, यश में ‘अप’ उपसर्ग लगने पर अपयश हो जाता है जो अर्थ में भिन्नता उत्पन्न करता है ।

(घ) कुछ उपसर्ग मूल शब्दों का विलोम बनाते हैं; जैसे—परा+जय=पराजय, अनु+उपयोगी=अनुपयोगी

उपर्युक्त उदाहरण में जय शब्द का अर्थ है—जीत परंतु इसमें ‘परा’ उपसर्ग लगते ही जय का विपरीत अर्थ पराजय हो जाता है ।

(ङ.) उपसर्ग शब्द निर्माण में बड़ा ही सहायक होता है । एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करता है;

जैसे—प्र+हार = प्रहार : चोट करना

आ+हार = आहार : भोजन

सम्+हार = संहार : नाश

(च) कुछ उपसर्ग मूल अर्थ को और प्रगाढ़ बना देते हैं; जैसे—वि+शुद्ध=विशुद्ध,

परि+भ्रमण=परिभ्रमण

(छ) उपसर्गों की सहायता से बहुत-से नए शब्दों का निर्माण होता है, जिससे शब्दावली में वृद्धि होती है; जैसे—सुदूर, सुयश, सुडौल, सुजान आदि ।

हिन्दी भाषा में तीन प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं—

1. संस्कृत उपसर्ग
2. हिन्दी उपसर्ग
3. विदेशी उपसर्ग

संस्कृत उपसर्ग

उपसर्ग	अर्थ	शब्द रूप
प्र	अधिक, आगे, ऊपर, यश	प्रकाश, प्रचार, प्रबल, प्रभु, प्रख्यात, प्रयास आदि
परा	उल्टा, अनादर, नाश	पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत आदि
अप	लघुता, हीनता, अभाव	अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपराध आदि
सम्	पूर्णता, संयोग	संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, सम्मुख आदि
अनु	क्रम, पश्चात्, समानता	अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुचर आदि
अव	हीनता, निषेध	अवगुण, अवसर आदि
निस्/निर्	बाहर, निषेध, रहित	निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरपराध आदि
दुस्/दुर्	बुरा, कठिन, दुष्ट, हीन	दुर्दशा, दुर्लभ, दुराचार, दुस्साहस आदि
वि	भिन्नता, हीनता, असमानता	विकास, विज्ञान, विदेश, विधवा आदि
आ (आङ्.)	सीमा, ओर, समेत, कमी	आरक्त, आगमन, आकाश, आकर्षण आदि
नि	भीतर, नीचे, अतिरिक्त	निदर्शन, निकृष्ट, निमग्न, नियुक्त आदि
अधि	श्रेष्ठ, ऊपर, उस पार	अधिकरण, अधिकार, अधिराज आदि
अपि	निश्चय, भी	अपितु, अपिधान, अपिहित आदि
अति	अधिक, ऊपर, उस पार	अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय आदि
सु	सुखी, अच्छा भाव, सहज, सुन्दर	सुकर्म, सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर आदि
उत्/उद्	ऊपर, उत्कर्ष	उत्तम, उत्कंठा, उत्कर्ष, उन्नति, उद्देश्य आदि
अभि	सामीप्य, आधिक्य	अभिभावक, अभियान, अभिशाप आदि
प्रति	विरोध, बराबरी, प्रत्येक	प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि आदि
परि	आसपास, चारों ओर	परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि आदि
उप	निकटता, सदृश, गौण, सहायक	उपकार, उपनिवेश, उपदेश, उपवन आदि

हिन्दी उपसर्ग—

उपसर्ग	अर्थ	शब्द रूप
अ	निषेध के अर्थ में	अजान, अगाध, अमोल, अथाह, अलग आदि
अध	आधे के अर्थ में	अधजला, अधपका, अधखिला, अधमरा, आदि
उन	एक कम	उन्नीस, उनतीस, उनचास, उनसठ आदि
औ	हीनता, निषेध	औगुन, औघड़, औघट आदि
दु	बुरा, हीन	दुकाल, दुबला आदि

नि	निषेध, अभाव, विशेष	निकम्मा, निखरा, निडर, निहत्था आदि
बिन	निषेध	बिनव्याहा, बिनदेखा, बिनखाया आदि
भर	पूरा, ठीक	भरपेट, भरसक, भरपूर आदि
कु-क	बुराई, हीनता	कुपात्र, कपूत, कुखेत, कुकाठ आदि
सु-स	श्रेष्ठता और साथ के अर्थ में	सुडौल, सुघड़, सुजान, सुपात्र, सपूत, सजग आदि

विदेशी उपसर्ग (अरबी-फारसी)

उपसर्ग	अर्थ	शब्द रूप
अल	निश्चित	अलबत्ता, अलगरज आदि
कम	हीन, थोड़ा	कमउम्र, कमखयाल, कमसिन आदि
खुश	श्रेष्ठता के अर्थ में	खुशबू, खुशदिल, खुशकिस्मत, खुशहाल इत्यादि
गैर	निषेध	गैरहाजिर, गैरकानूनी, गैरसरकारी इत्यादि
दर	में	दरकार, दरमियान इत्यादि
ना	अभाव	नापसन्द, नामुमकिन, नाराज, नालायक इत्यादि
बद	बुरा	बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू इत्यादि
बिल	साथ	बिलकुल
बे	बिना	बेईमान, बेवकूफ, बेरहम, बेइज्जत इत्यादि
ला	बिना	लाचार, लाजबाब, लावारिस, लापरवाह इत्यादि
हम	बराबर, समान	हमउम्र, हमदर्दी, हमपेशा इत्यादि

प्रत्यय

“मालवीय जी समाज में फैले अशिक्षा के अंधकार से बहुत चिंतित थे।”

इस वाक्य में रेखांकित शब्द चिंतित को देखने से स्पष्ट होता है कि यह शब्द चिंत+इत से बना है और चिंतित शब्द में इत् प्रत्यय लगा है।

परिभाषा— जो शब्दांश शब्द के अंत में लग कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है; जैसे—दास+ता=दासता, चुन+आव=चुनाव

प्रत्यय दो शब्दों से बना है—प्रति+अय। जिसमें प्रति का अर्थ साथ में या बाद में है और अय का अर्थ है चलने वाला। अतएव प्रत्यय का अर्थ है—शब्दों के साथ चलने वाला या लगने वाला।

प्रत्यय की विशेषताएँ—

(क) प्रत्यय, उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश हैं जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं।

(ख) संज्ञा, सर्वनाम पदों के साथ ने, को, से आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें विभक्ति प्रत्यय कहते हैं।

(ग) संज्ञा से प्रत्यय प्रायः अलग रहा करते हैं; जैसे—राम ने, मोनू की, लड़कों में आदि।

(घ) सर्वनाम पद के ठीक बाद वाले कारक चिह्न उससे जुड़ जाते हैं; जैसे—मैंने, तुमको आदि।

हिन्दी में अधिकतर प्रत्यय संस्कृत से आए हैं। ये तत्सम शब्दों और धातुओं में प्रयुक्त होते हैं।

प्रत्यय के प्रयोग

संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय—

प्रत्यय	शब्द	शब्द रूप
अक	रक्ष्	रक्षक
अन	पाल्	पालन
आ	शिक्ष्	शिक्षा
अनीय	पूज्	पूजनीय
य	पूज्	पूज्य
इमा	मधुर	मधुरिमा
मान	बुद्धि	बुद्धिमान
वती	सौभाग्य	सौभाग्यवती
इक	शरीर	शारीरिक
ईय	भारत	भारतीय

हिन्दी शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय—

प्रत्यय	शब्द	शब्द रूप
ई	हँस	हँसी
आन	उड़	उड़ान
आप	मिल	मिलाप
आव	चुन	चुनाव
त	बच	बचत
आई	लड़	लड़ाई
औती	बाप	बपौती
पन	पागल	पागलपन
आ	भूख	भूखा
अक्कड़	भूल	भुलक्कड़
आऊ	बिक	बिकाऊ
ईला	चमक	चमकीला
	रस	रसीला
ऊ	पेट	पेटू
	चाल	चालू

अरबी-फारसी शब्दों के साथ प्रयुक्त प्रत्यय-

प्रत्यय	शब्द	शब्द रूप
आना	साल	सालाना
ई	दोस्त	दोस्ती
नाक	खतर	खतरनाक
मंद	अक्ल	अक्लमंद
दान	फूल	फूलदान
दार	माल	मालदार

प्रत्यय के भेद

कृत् प्रत्यय

तद्धित प्रत्यय

कृत् प्रत्यय—क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को 'कृत्' प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को 'कृदन्त' कहते हैं। यह प्रत्यय, क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं। इनसे संज्ञा और विशेषण बनते हैं।

पढ़	+ ना	= पढ़ना
तैर	+ आक	= तैराक
ओढ़	+ ना	= ओढ़ना
रेत	+ ई	= रेती
थक	+ आन	= थकान
लिख	+ कर	= लिखकर

तद्धित प्रत्यय—संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं; जैसे—

मानव	+ ता	= मानवता
बालक	+ पन	= बालकपन
अच्छा	+ आई	= अच्छाई
अपना	+ पन	= अपनापन

नोट—कृत् प्रत्यय क्रिया/धातु के अंत में लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, और विशेषण के अंत में लगता है। कृत् और तद्धित प्रत्यय में यही मूल अंतर है कि उपसर्ग की तरह तद्धित प्रत्यय भी तीन स्रोतों—संस्कृत, हिन्दी और विदेश से आकर हिन्दी शब्दों की रचना में सहायक हुए हैं।

क्रिया

गाँव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़ कर आगे निकल जाते। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे-धीरे चल रहे हैं।

ऊपर दिये गद्यांश से किसी न किसी काम के होने की सूचना मिल रही है—चला, जा रहा था, दौड़कर, खड़े होकर, इंतजार करते, चल रहे हैं। अतः ये सभी क्रियाएँ हैं।

जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं।

क्रिया की परिभाषा—जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं; जैसे— पढ़ना, चलना, जाना, पाना इत्यादि।

क्रिया के भेद—कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं—

(क) अकर्मक क्रिया

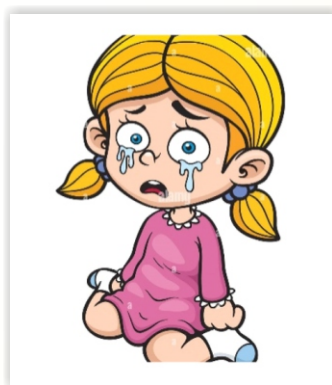
(ख) सकर्मक क्रिया

(क) अकर्मक क्रिया—अकर्मक का अर्थ है—अ+कर्मक=कर्म के बिना। जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं

अनुज हँस रहा है।



मीनू रो रही है।



ऊपर के वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया हैं, कर्म नहीं है। अतः इनकी क्रियाएँ (हँसना, रोना) अकर्मक क्रियाएँ हैं।

(ख) सकर्मक क्रिया—सकर्मक का अर्थ है—स+कर्मक=कर्म के साथ। जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं।

सोहन क्रिकेट खेल रहा है।



शिवानी चाय पी रही है।



धातु- किया का मूल रूप 'धातु' हैं। 'धातु' किया पद के उस अंश को कहते हैं, जो किसी क्रियाएँ के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनती हैं, उन्हें 'धातु' कहते हैं।

उदाहरणार्थ – 'पढ़ना' क्रिया को लें। इसमें 'ना' प्रत्यय है, जो मूल धातु पढ़ में लगा है। इस प्रकार 'धातु' की क्रिया 'पढ़' है। इसी प्रकार खाना क्रिया 'खा' धातु में 'ना' प्रत्यय लगाने से बनी है।

हिन्दी में किया का सामान्य रूप मूल धातु में 'ना' जोड़कर बनाया जाता है; जैसे – चल+ना=चलना, देख+ना=देखना। इन समान्य रूपों में ना हटाकर धातु का रूप ज्ञात किया जा सकता है। धातु की यह एक सामान्य पहचान है।

रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद-

रचना की दृष्टि से किया के सामान्यतः दो भेद बताए गए हैं –

1- सकर्मक

2- अकर्मक

1- सकर्मक क्रिया – सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या कर्म की संभावना हो, अर्थात् जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात् कर्म पर पड़े।
उदाहरणार्थ— श्याम आम खाता है। इस वाक्य में श्याम 'कर्ता' है, 'खाने' के साथ उसका कर्तृरूप से संबंध है। प्रश्न यह है कि श्याम क्या खाता है ? उत्तर है 'आम' इस प्रकार आम का सीधा संबंध खाने से है। अतः 'आम' कर्मकारक है।

2- अकर्मक क्रिया – जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़ कर 'कर्ता' पर पड़ता है।
उदाहरणार्थ— श्याम सोता है। इसमें 'सोना' क्रिया अकर्मक है, श्याम 'कर्ता' है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है। अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है। इसलिए 'सोना' क्रिया अकर्मक है।

प्रेरणार्थक क्रिया (धातु) – जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वे 'प्रेरणार्थक क्रियाएँ' कहलाती हैं, काटना से कटवाना, करना से करवाना। एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है – मोहन मुझसे किताब लिखाता है। इस वाक्य में मोहन (कर्ता) स्वयं किताब न लिखकर 'मुझसे' दूसरे व्यक्ति को लिखने की प्रेरणा देता है।

प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप हैं; जैसे – गिरना से 'गिराना' और 'गिरवाना'। दोनों क्रियाएँ एक के बाद दूसरी प्रेरणा में हैं। ध्यान रखें, अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक हो जाती हैं; जैसे – राम लजाता है। वह राम को लजवाता है।

प्रेरणार्थक क्रियाएँ सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं, ऐसी क्रियाएँ प्रत्येक स्थिति में सकर्मक ही रहती हैं; जैसे— मैंने उसे हसाया; मैंने उससे किताब लिखवाई। इस प्रकार हिन्दी में प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप चलते हैं।

पहले में 'आना' दूसरे में 'वाना' का प्रयोग होता है।

जैसे – हँसना-हँसाना-हँसवाना, उठना-उठाना-उठवाना, देना-दिलाना-दिलवाना इत्यादि।

संरचना की दृष्टि से क्रिया के पाँच भेद होते हैं—

1. सामान्य क्रिया— जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं; जैसे—

मोहन आया।

सोहन भागा।

राधा जागी।

2. संयुक्त क्रिया— जब दो या दो से अधिक क्रियाएँ आपस में मिलकर किसी एक ही क्रिया को संपन्न करती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं; जैसे—

तुम चाहो तो जा सकते हो।

राम पढ़कर जा सकता है।

इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाओं के प्रयोग के कारण ये क्रियाएँ संयुक्त क्रियाएँ हैं।

3. नामधातु क्रिया— क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों से (संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण) से जो धातुएँ बनती हैं, उन्हें नामधातु कहते हैं; जैसे—

तुमने मेरी बात झुठला दी। (झूठ—झुठलाना)

रीता की पुस्तक रमेश हथियाना चाहता है। (हाथ—हथियाना)

4. द्विकर्मक क्रिया— कुछ क्रियायें एक कर्म वाली होती हैं और कुछ दो कर्म वाली होती हैं; जैसे—

राम ने रोटी खायी।

इस वाक्य में कर्म एक ही है — 'रोटी'। किन्तु, 'मैं लड़कें को वेद पढ़ाता हूँ', में दो कर्म हैं — 'लड़के को' और 'वेद'।

5. पूर्वकालिक क्रिया—जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तब पहली क्रिया 'पूर्वकालिक क्रिया' कहलाती है; जैसे—

वह खाकर सोता है।

मैं नहाकर पढ़ूँगा।

काल परिचय

जब, मैं छोटा बच्चा था,
बड़ी शरारत करता था।
अब मैं बड़ा हो गया हूँ,
मन लगाकर पढ़ता हूँ।
जब और बड़ा हो जाऊँगा,
मैं देश का मान बढ़ाऊँगा।

इस कविता में

बच्चा था—भूतकाल
करता था—भूतकाल
हो गया हूँ—वर्तमान काल
पढ़ता हूँ—वर्तमान काल
जाऊँगा—भविष्यत् काल
बढ़ाऊँगा—भविष्यत् काल

जिस शब्द से किसी कार्य (काम) करने/होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी क्रिया के होने का कोई न कोई समय अवश्य होता है, उसी समय को 'काल' के नाम से जाना जाता है।

क्रिया के होने के समय को 'काल' कहते हैं।

काल (समय) का कितना गहरा प्रभाव क्रिया के रूप पर पड़ता है, इसे इन वाक्यों में देखा जा सकता है।

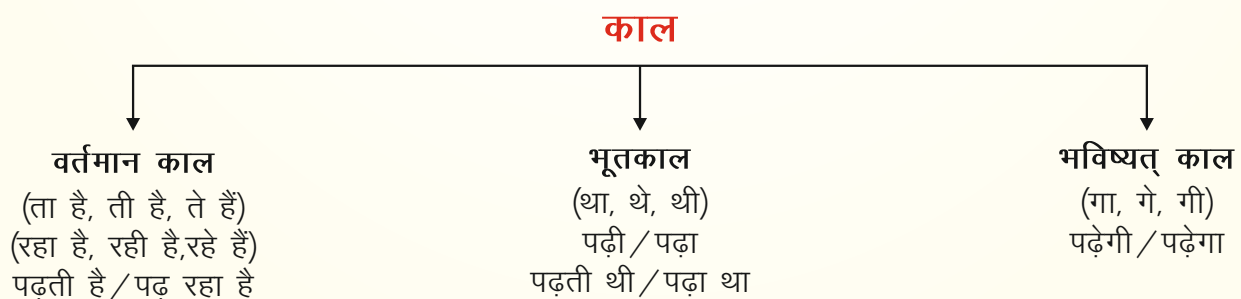
रीना लिखती है/रीना लिख रही है।

रीना ने लिखा था।

रीना लिखेगी।

उपर्युक्त वाक्यों में 'लिखना' के तीन रूप हैं—लिखती है, लिखा था, लिखेगी। ऐसा काल (समय) के कारण ही हुआ है। 'लिखती है या लिख रही है' से पता चलता है कि लिखने का कार्य वर्तमान काल में हो रहा है। 'लिखा था' क्रिया से पता चल रहा है कि लिखने का कार्य समाप्त हो चुका है तथा 'लिखेगी' क्रिया से पता चल रहा है कि लिखे जाने का कार्य भविष्य में होगा।

उपर्युक्त क्रिया रूपों के आधार पर काल की तीन अवस्थाएँ हैं—



वर्तमान काल— क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता लगता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं।

वर्तमान काल के प्रमुख चार रूप हैं—

सामान्य वर्तमान काल	तात्कालिक वर्तमान काल	संदिग्ध वर्तमान काल	संभाव्य वर्तमान काल
---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

1—सामान्य वर्तमान काल— इससे यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान समय में सामान्य रूप से होता है; जैसे— सुमित्रा रोती है।

रोहन हँसता है।

मैं प्रातः (सुबह) उठता हूँ।

इस प्रकार के वाक्यों की रचना इस प्रकार होती है—

क्रिया (धातु)+ता है/ती है/ते हैं—

सामान्य वर्तमान से स्थायी कार्य का बोध होता है; जैसे—सूर्य पूर्व में उगता है।

तारे रात में चमकते हैं, जुगनू रात में चमकते हैं।

2—तात्कालिक वर्तमान काल—इससे यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में चल रहा है और अभी समाप्त नहीं हुआ; जैसे—

चिड़िया उड़ रही है।

पानी बरस रहा है।

संध्या खा रही है।

‘तात्कालिक’ का अर्थ होता है —‘उसी समय’। यही कारण है कि इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं।

‘आशा गीत गा रही है।’

यहाँ गाने का कार्य चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है।

3—संदिग्ध वर्तमान काल—इससे क्रिया के होने में संदेह का भाव प्रकट होता है; जैसे—
आदित्य पाठ याद कर रहा होगा।

माया तबला बजाती होगी।

दिनेश इस समय दौड़ रहा होगा।

4—संभाव्य वर्तमान काल— इससे वर्तमान काल में कार्य के होने की संभावना प्रकट होती है; जैसे— वह आया हो, तो उसे बुला देना।

वह सोया हो, तो उसे जगा देना।

सोचिए कि कौन-सा वाक्य किस खाने में आएगा—

1—ऋषभ प्रतिदिन विद्यालय जाता है।

2—हिमांशु कानपुर में रह रहा है।

3—शशांक दूध पीता होगा।

4—नेहा रस्सी कूदती होगी।

5—बंटी और बबली पढ़ लिए हों, तो भेजो।

सामान्य वर्तमान काल

1—

2—

3—

तात्कालिक वर्तमान काल

1—

2—

6—आप दूध पीती हैं।

7—खुले आसमान में सुन्दर चिड़िया उड़ रही है।

8—वे सब बाजार जा रहे होंगे।

9—सूर्य पश्चिम में अस्त होता है।

10—मछलियाँ पानी में रहती हैं।

संदिग्ध वर्तमान काल

1—

2—

संभाव्य वर्तमान काल

1—

2—

भूत काल—क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं; जैसे—

शाश्वत यहाँ आया था।

महेश ने पत्र लिखा था।

अभय आनंद के साथ बाजार गया था।

ममता आ रही थी।

तुम फल लाए।

वह परीक्षा दे चुकी थी।

उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया की समाप्ति का बोध हो रहा है; जैसे—आया था, लिखा था, रही थी आदि।

भूत काल के निम्नलिखित भेद हैं :-

1—सामान्य भूत

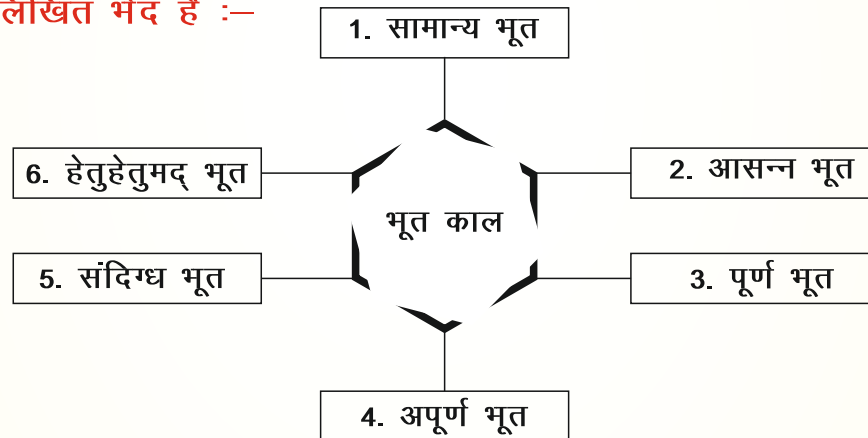
2—आसन्न भूत

3—पूर्ण भूत

4—अपूर्ण भूत

5—संदिग्ध भूत

6—हेतुहेतुमद्भूत



1—सामान्य भूत— इससे बीते हुए समय का बोध होता है, परंतु यह पता नहीं चलता कि कार्य कब समाप्त हुआ; जैसे— मोहन आया।

रीमा खाई।

मैंने कल गाड़ी चलाई।

इन वाक्यों में क्रिया की निश्चित समय पर समाप्ति का बोध नहीं हो पा रहा है। 'मोहन आया' कब आया, यह निश्चित नहीं हो रहा है।

2—आसन्न भूत— 'आसन्न' शब्द का अर्थ है 'निकट' या 'समीप'। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य निकट भूतकाल में अर्थात् कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है; तो इसे आसन्नभूत काल कहते हैं; जैसे— समीर आ गया।

भूमि अभी गई।

3—पूर्ण भूत— इससे यह बोध होता है कि काम भूतकाल में ही समाप्त हो चुका था, निकट भूतकाल में नहीं; जैसे—

उसने सच कहा था।
रानी कल आई थी।
साइना पढ़ चुकी थी।

पूर्ण भूत में क्रिया का संबंध वर्तमान से बिल्कुल नहीं रहता है।

4—अपूर्ण भूत— इससे यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, लेकिन उसके पूरा होने के बारे में पता नहीं चलता; जैसे—

रुचि आ रही थी।
विवेक खेल रहा था।
पीयूष टी०वी० देख रहा था।
श्याम गाता था।

5—संदिग्ध भूत— इससे अनुमान का बोध होता है तथा क्रिया संदेह का भाव प्रकट होता है। ऐसी क्रिया से यह स्पष्ट बोध नहीं होता कि काम पूरा हुआ या नहीं; जैसे—

रचना गई होगी।
वह गया होगा।
वंदना पढ़ी होगी।

ऐसी क्रियाओं से काम के होने की संभावना का बोध होता है, काम के निश्चित रूप से होने का नहीं। इसलिए इनके साथ 'शायद' का प्रयोग कर निश्चित या संदेह की भावना पर जोर दिया जाता है;

जैसे—शायद सोनू घर आया होगा।
शायद मनोज बाजार गया होगा।

6—हेतुहेतुमद् भूत— इससे यह बोध होता है कि जो काम भूतकाल में होने को था, वह इसलिए नहीं हो सका कि काम होने की शर्त पूरी नहीं हो सकी; जैसे—

विमल ने पढ़ाई की होती तो पास हो गया होता।
वर्षा होती तो फसल अच्छी होती।

हेतुहेतुमद् भूत में दो उपवाक्यों का होना आवश्यक है।
उदाहरण—यदि मैं गया होता तो उसका खेल देख लेता।

विचार कीजिए कि कौन—सा वाक्य किस खाने से संबंधित है;—

- 1—शरद बाजार गया।
- 2—अभय ने शुभम को पुस्तक दी।
- 3—तुम आए होते तो सबसे मिल लेते।
- 4—वह जा रहा था।
- 5—वह गया होगा।
- 6—सुनील क्रिकेट खेलता था।
- 7—माधव कल घर आया था।

सामान्य भूत

आसन्न भूत

पूर्ण भूत

अपूर्ण भूत

9-सुप्रिया दौड़ी होती तो जीत जाती।
10-रीनू राधा के साथ घूमने गई थी।

संदिग्ध भूत

हेतुहेतुमद् भूत

भविष्यत् काल-

भविष्यत् काल में आने वाले समय का बोध होता है। इस काल की क्रिया का चिह्न है- 'गा/गे/गी, जैसे-आएगा, आएँगे, आएगी।
भविष्यत् काल के तीन भेद होते हैं-

सामान्य
भविष्यत्
काल

संभाव्य
भविष्यत्
काल

हेतुहेतुमद्
भविष्यत्
काल

1-सामान्य भविष्यत् काल- इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी;
जैसे-

वह पढ़ेगा।
विपिन जाएगा।
सौम्या विद्यालय जाएगी।

वैसे तो भविष्य अनिश्चित है,
पर इस काल की क्रिया में निश्चितता
की मात्रा अधिक रहती है।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कोई काम, आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा।

2-संभाव्य भविष्यत् काल- इससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना का भाव होता है; जैसे-
संभव है कल वर्षा हो।
हो सकता है उज्ज्वल कल आए।
वह कभी न कभी यहाँ आएगा।
शायद चोर पकड़ा जाए।

3-हेतुहेतुमद् भविष्यत् काल- इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है; जैसे-
टीम खेलेगी, तभी जीतेगी।
वह आए, तो मैं जाऊँ।
वह कमाए, तो खाए।
यदि छुट्टियाँ होंगी, तो मैं आगरा जाऊँगा।

अभ्यास के प्रश्न-

निम्नलिखित वाक्यों को उनके भेदों के आधार पर छाँटकर दिए गए खानों में भरिए-

1-तुम लिखोगे।

2-शायद अनूप कल आए।

3-यदि आप पढ़ाएँगे तो मैं भी पढ़ूँगा।

4-संभव है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ।

सामान्य भविष्यत् काल

संभाव्य भविष्यत् काल

5-परसों विद्यालय खुल जाएँगे।

6-मनोहर बाँसुरी बजाता होगा।

7-रवि आज शाम तक वाराणसी आएगा।

8-हो सकता है कल से ठंड बढ़ जाए।

→ **संयुक्ताभ्यास**—प्रतिभागियों/विद्यार्थियों द्वारा अभ्यास कार्य कराया जाएगा।

काल पहचानिए—

1-प्रदीप पढ़ रहा है।

2-रमेश कल दिल्ली जाएगा।

3-बच्चे खेल रहे थे।

4-मैं कल दिल्ली जाऊँगा।

5-परसों मैंने निबंध पढ़ा था।

6-उसने खाया होगा।

7-मैं दिल्ली जाती, तो लाल किला देखती।

8-पुजारी पूजा कर रहा है।

9-हम सब सर्कस देखने जाएँगे।

10-अनुराधा पढ़ रही होगी।

→ **काल परिवर्तन करिए—**

1-जया पढ़ रही है। (भविष्यत् काल)

2-राधा दिल्ली से आएगी। (वर्तमान काल)

3-रोहन कहाँ गया? (भविष्यत् काल)

4-साकेत और बीनू खूब खेले। (वर्तमान काल, भविष्यत् काल)

5-नंदिता कविता लिखती है। (भूत काल, भविष्यत् काल)

→ **दिए गए काल के अनुसार दो-दो वाक्यों की रचना कीजिए।**

वर्तमान काल—

भूत काल—

भविष्यत् काल—

अव्यय

1—राम और श्याम मित्र हैं।

2—रंजना प्रतिदिन विद्यालय जाती है।

परिभाषा—जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार न हो, उन्हें अव्यय कहते हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में 'और' एवं 'प्रतिदिन' शब्द अव्यय हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय न हो। अव्यय शब्दों में विकार (परिवर्तन) न होने के कारण ही ये अविकारी शब्द के नाम से भी जाने जाते हैं।

परिभाषा—जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार न हो, उन्हें अव्यय कहते हैं।

अव्यय के भेद—

(1) क्रियाविशेषण

(2) संबंधबोधक

(3) समुच्चयबोधक

(4) विस्मयबोधक

(5) निपात

1—क्रियाविशेषण—'सूर्य धीरे-धीरे निकल रहा है।'

इस वाक्य में 'धीरे-धीरे' शब्द क्रिया अर्थात् सूर्य के निकलने की विशेषता को बता रहा है और इसके रूप में कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए यह क्रियाविशेषण है।

2—संबंधबोधक—'मेरे घर के आगे विद्यालय है।'

इस वाक्य में 'आगे' शब्द घर और विद्यालय में संबंध स्थापित कर रहा है।

जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर संबंध प्रकट करता है, संबंधबोधक अव्यय कहलाता है।

3—समुच्चयबोधक—'डॉ० अब्दुल कलाम और डॉ० जगदीश चंद्र बसु महान वैज्ञानिक थे।'

यहाँ 'और' शब्द डॉ० अब्दुल कलाम और डॉ० जगदीश चंद्र बसु में समानता दिखाने के लिए एक साथ जोड़ दिया गया है।

जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं।

4—विस्मयादिबोधक—'वाह—वाह! क्या बात है।'

यहाँ 'वाह—वाह!' अव्यय शब्द किसी बात पर हर्ष के साथ विस्मय प्रकट कर रहा है।

जो अव्यय शब्द सुख, दुख, घृणा, विस्मय, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट/व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं।

5—निपात—'मैं तो पढ़ रही हूँ उसे भी पढ़ने दो'

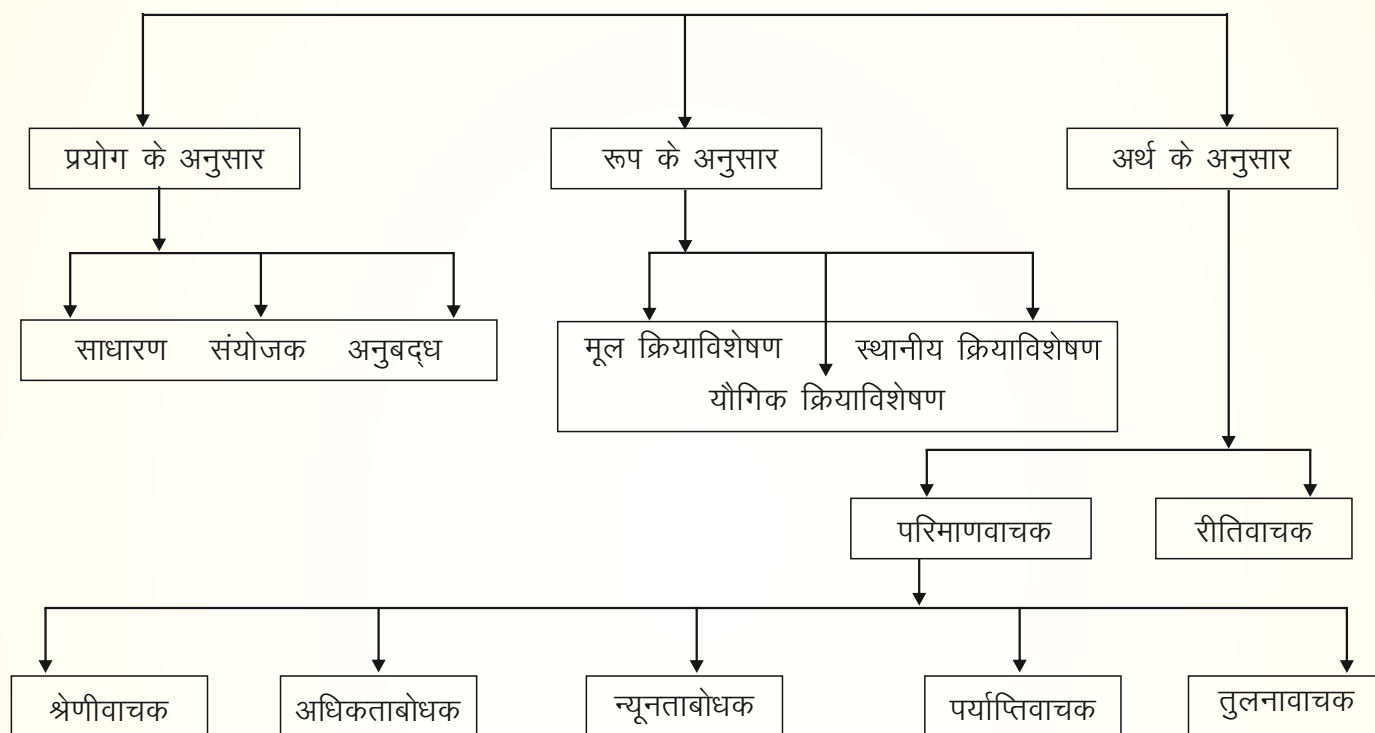
यहाँ 'तो', 'भी' शब्द निपात हैं। ये वाक्य के भाव पर विशेष बल देते हैं।

मूलतः इनका प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। निपात वाक्य को पूरा करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका कोई लिंग-वचन नहीं होता है। प्रायः निपातों में सार्थकता नहीं होती किंतु उन्हें निरर्थक भी नहीं कहा जा सकता। निपात के कुछ उदाहरण—भी, तक, तो, सो, न, जी, हाँ, मत, केवल, क्या, नहीं, ठीक इत्यादि।

क्रियाविशेषण

जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो, उसे 'क्रियाविशेषण' कहते हैं; जैसे— राम धीरे-धीरे टहलता है। इस वाक्य में 'धीरे-धीरे' राम के टहलने की (क्रिया की) विशेषता बताता है। क्रियाविशेषण अविकारी क्रियाविशेषण भी कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रियाविशेषण दूसरे क्रियाविशेषण की भी विशेषता बताता है; जैसे—वह बहुत धीरे चलता है। इस वाक्य में 'बहुत' क्रियाविशेषण है, क्योंकि यह दूसरे क्रियाविशेषण 'धीरे' की विशेषता बता रहा है।

क्रियाविशेषण के भेद



प्रयोग के अनुसार—साधारण, संयोजक, अनुबद्ध

रूप के अनुसार—मूल क्रियाविशेषण, यौगिक क्रियाविशेषण, स्थानीय क्रियाविशेषण,

अर्थ के अनुसार—परिमाणवाचक, रीतिवाचक

परिमाणवाचक—श्रेणीवाचक, अधिकताबोधक, न्यूनताबोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनावाचक

प्रयोग के अनुसार—

- 1. साधारण क्रियाविशेषण**—जिन क्रियाविशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है, उन्हें साधारण क्रियाविशेषण कहा जाता है; जैसे—सचिन 'जल्दी' आ जाना। यह क्रियाविशेषण किसी उपवाक्य से संबंध नहीं रखता है।
- 2. संयोजक क्रियाविशेषण**—जिन क्रियाविशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से रहता है, उन्हें संयोजक क्रियाविशेषण कहा जाता है; जैसे—जब परिश्रम ही नहीं 'तो' विद्या कहाँ से।
- 3. अनुबद्ध क्रियाविशेषण**—इस क्रियाविशेषण का प्रयोग निश्चय (अवधारणा) के लिए होता है; जैसे—मैंने खाया 'तक' नहीं।

रूप के अनुसार—

1. मूल क्रियाविशेषण— ऐसे क्रियाविशेषण जो किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते हैं उन्हें मूल क्रियाविशेषण कहते हैं; जैसे—ठीक, दूर, अचानक, पुनः, नहीं। उदाहरण—वह अचानक मेरे सामने आ गया।

2. यौगिक क्रियाविशेषण— ऐसे क्रियाविशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या अन्य शब्द के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रियाविशेषण कहते हैं; जैसे—जिससे, भूल से, यहाँ तक, झट से आदि।

यौगिक क्रियाविशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अव्यय के मेल से बनते हैं।

यौगिक क्रियाविशेषण इस प्रकार बनते हैं—

- ✿ संज्ञा की पुनरावृत्ति से— घर—घर, बीच—बीच।
- ✿ भिन्न संज्ञाओं के मेल से—दिन—रात, घर—बाहर।
- ✿ विशेषण पुनरावृत्ति से—ठीक—ठीक, एक—एक।
- ✿ क्रियाविशेषण की पुनरावृत्ति से—धीरे—धीरे, जहाँ—जहाँ।
- ✿ दो क्रियाविशेषणों के मेल से—जहाँ—तहाँ, जहाँ—कहीं, जब—तब।
- ✿ दो भिन्न अथवा समान क्रियाविशेषणों के बीच 'न' से— कभी न कभी, कुछ न कुछ।
- ✿ अनुकरणवाचक शब्दों की द्वाविरुक्ति से—सटासट, धड़ाधड़।
- ✿ संज्ञा और विशेषण के योग से—एक साथ, दो बार।
- ✿ अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से—प्रतिदिन, यथाक्रम।
- ✿ पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से—विशेषकर, बहुतकर, एक—एककर।

3. स्थानीय क्रियाविशेषण— ऐसे क्रियाविशेषण जो बिना किसी रूपांतर के किसी विशेष का स्थान से आते हैं; जैसे—जाओगे नहीं तो सिर चाटोगे, वह क्या खाक पड़ेगा।

अर्थ के अनुसार—

1. परिमाणवाचक क्रियाविशेषण— जिस क्रियाविशेषण से परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं; जैसे—बहुत, अतिशय (अधिकता का बोध) जरा, किंचित (न्यूनता का बोध) बस, केवल (पर्याप्तिबोधक) जितना, बढ़कर (तुलनाबोधक) तिल—तिल, बारी—बारी (श्रेणीबोधक)।

2. रीतिवाचक क्रियाविशेषण— जिस क्रियाविशेषण से निश्चय, कारण, निषेध आदि का बोध हो उसे 'रीतिवाचक क्रियाविशेषण' कहते हैं; जैसे—ऐसे, वैसे, अवश्य, कदाचित्, हाँ, क्यों, नहीं आदि।

अव्यय और क्रियाविशेषण में सूक्ष्म अंतर—'शब्दानुशासन' के अंतर्गत सभी अव्यय शब्दों को क्रियाविशेषण मानना उचित नहीं है। हिन्दी में कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनसे क्रिया की विशेषता व्यक्त नहीं होती है; जैसे—

- ✿ कालवाचक अव्यय—इन अव्ययों से समय का बोध होता है; जैसे—आज, नित्य, अभी, जब, कभी आदि। जैसे—वह आज खाना नहीं खाएगा।
- ✿ स्थानवाचक अव्यय—इन अव्ययों से स्थान का बोध होता है; जैसे—यहाँ, कहाँ, इधर कहाँ से आदि।
- ✿ दिशावाचक अव्यय—इन अव्ययों से दिशा का बोध होता है; जैसे इधर, दूर, परे, अलग, बाएँ, आर—पार आदि।
- ✿ स्थितिवाचक अव्यय—इन अव्ययों से स्थिति का बोध होता है; जैसे—नीचे, तले, सामने, भीतर आदि।

वचन

(क)

लड़का खेलता है।

घोड़ा दौड़ रहा है।

चिड़िया उड़ रही है।

(ख)

लड़के खेलते हैं।

घोड़े दौड़ रहे हैं।

चिड़ियाँ उड़ रही हैं।

ऊपर दिए खण्ड (क) के वाक्यों में 'लड़का', 'घोड़ा', 'चिड़िया' शब्द अपने 'एक' होने का बोध करा रहे हैं, जबकि खंड (ख) में प्रयुक्त 'लड़के', 'घोड़े', 'चिड़ियाँ' शब्द 'अनेक' होने का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार किसी भी शब्द के रूप में उसके एक या अधिक होने का पता चलता है, इसी को वचन कहते हैं।

वचन— संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं दूसरे शब्दों में शब्दों के, संख्याबोधक विकारी रूप का नाम 'वचन' है। 'जो शब्द एक का बोध कराए उसे एकवचन और जो एक से अधिक का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं; जैसे—

एकवचन

हाथी आता है।

लड़की गाती है।

चिड़िया दाना चुग रही है।

राम तुम्हारा भाई है।

मैं विद्यालय जाता हूँ।

वह खेलता है।

तालाब में मछली तैर रही है।

बहुवचन

हाथी आते हैं।

लड़कियाँ गाती हैं।

चिड़ियाँ दाना चुग रहीं हैं।

राम और श्याम तुम्हारे भाई हैं।

हम विद्यालय जाते हैं।

वे खेलते हैं।

तालाब में मछलियाँ तैर रहीं हैं।

लिंग

निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए—

‘क’ वर्ग

बालक पढ़ता है।

नाना जी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं।

शेर दहाड़ रहा है।

अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

भाई राखी बाँध रहा है।

‘ख’ वर्ग

बालिका पढ़ती है।

नानी जी खाना बना रही हैं।

शेरनी शिकार कर रही है।

अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिख रही हैं।

बहन राखी बाँध रही है।

ऊपर दिये उदाहरणों में ‘क’ वर्ग में लिखे शब्द—बालक, नानाजी, शेर, अध्यापक, भाई पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जबकि ‘ख’ वर्ग के वाक्यों में लिखे शब्द—बालिका, नानी जी, शेरनी, अध्यापिका, बहन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं।

शब्द के जिस रूप से पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं।

‘लिंग’ संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चिह्न या निशान। ‘चिह्न’ या ‘निशान’ किसी संज्ञा का ही होता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग।

लिंग की विशेषताएँ—

हिन्दी भाषा में लिंगों की अभिव्यक्ति प्रायः वाक्यों में होती है।

वाक्यों में लिंग, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और विभक्तियों में विकार उत्पन्न करता है; जैसे—

मेरी पुस्तक अच्छी है। (सर्वनाम में)

बुढ़ापा आ गया। (क्रिया में)

गुलाब का रंग लाल है। (विभक्ति में)

हिन्दी भाषा में संज्ञा शब्दों के लिंग का प्रभाव उनके विशेषणों तथा क्रियाओं पर पड़ता है।

जैसे— 1 बछड़ा बड़ा होकर गाड़ी खींचता है।

2 पेड़—पौधे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं।

लिंग ज्ञान के द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग किया जाता है।

हिन्दी में विशेषण का लिंग भेद— आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग में ईकारांत हो जाता है; जैसे—अच्छा—अच्छी काला—काली, भला—भली।

अकारांत विशेषणों के रूप दोनों लिंगों में समान होते हैं; जैसे—मेरी टोपी लाल है, मेरा कोट सफेद है।

अर्थ के आधार पर कुछ शब्द उभयलिंगी होते हैं, जिनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में किया जाता है; जैसे—‘यति’ शब्द जिसका अर्थ ‘संन्यासी और विराम’ है। उदाहरण—

(क) कुंभ के मेले में यतियों की भीड़ है।

(ख) यहाँ यति लगनी चाहिए।

लिंग के भेद

हिन्दी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं—

1. पुल्लिंग
2. स्त्रीलिंग

1. पुल्लिंग— शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं; जैसे— बैल, बंदर, पिता, चाचा, लड़का, पेड़, दरवाजा इत्यादि।

2. स्त्रीलिंग— शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं; जैसे—शेरनी, बकरी, दादी, नानी, माता, मामी, लड़की, लता, खिड़की इत्यादि।

लिंग की पहचान— शब्द दो प्रकार के होते हैं—प्राणिवाचक संज्ञा तथा अप्राणिवाचक संज्ञा। प्राणिवाचक शब्दों का लिंग उसकी शारीरिक बनावट आदि को देखकर पहचाना जा सकता है, परंतु अप्राणिवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण प्रायः व्यवहार के आधार पर किया जाता है। यही कारण है कि एक ही शब्द के पर्यायवाची के लिंग अलग-अलग देखे जाते हैं; जैसे—आँख—‘स्त्रीलिंग’ और नेत्र—पुल्लिंग। निम्न तरीके से हम लिंग की पहचान कर सकते हैं।

पुल्लिंग पहचानने के नियम—

- ❖ पहाड़ों, वृक्षों, दिनों, देशों, महीनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं; जैसे—हिमालय, पीपल, सोमवार, अमेरिका, भादो, सूर्य आदि।
- ❖ अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं; जैसे—गेहूँ, चावल, चना, बाजरा आदि। (ज्वार, मक्का स्त्रीलिंग)
- ❖ सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं; जैसे—हिन्द महासागर।
- ❖ रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं; जैसे—हीरा, पन्ना, मूँगा, मोती आदि।
- ❖ धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं; जैसे—सोना, पीतल, ताँबा आदि।
- ❖ शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग माने जाते हैं; जैसे—हाथ, गला, माथा, पैर, अँगूठा, दाँत, पेट आदि।
- ❖ ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं; जैसे—सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु आदि (अपवाद—पृथ्वी)।
- ❖ धातुओं तथा पदार्थों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं; जैसे—सोना, ताँबा, काँसा, सीसा, पानी, तेल, घी आदि (अपवाद—चाँदी, चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ आदि)।

स्त्रीलिंग पहचानने के नियम—

- ❖ ‘ई’, ‘ईया’, ‘आहट’, ‘ता’, ‘आई’, आदि से अंत होने वाले शब्द; जैसे—रोटी, डिबिया, गड़गड़ाहट, सजावट, शत्रुता, लड़ाई आदि स्त्रीलिंग माने गये हैं।
- ❖ नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं; जैसे—गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी आदि।
- ❖ भाषाओं और बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं; जैसे—हिन्दी, चीनी, रूसी, फ्रेंच, बंगला, राजधानी, भोजपुरी, ब्रज, अवधी आदि।
- ❖ शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग भी होते हैं; जैसे—जीभ, अँगुली, टाँग, भौंह, गरदन, आँख आदि।
- ❖ कुछ समूहवाची शब्द जैसे—सभा, मंडली, कंपनी आदि स्त्रीलिंग हैं।

संधि

संधि का साधारण अर्थ मेल होता है। दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के लिए दोनो वर्णों का निकट होना आवश्यक होता है।

‘संधि’ संस्कृत का शब्द है। संधि उच्चारण की सुविधा के लिए किया जाता है –

जैसे – विद्या + आलय = विद्यालय

हिम + आलय = हिमालय

ऊपर दिए गए उदाहरण में हम देख रहे हैं कि विद्या का अंतिम वर्ण ‘आ’ आलय के आरम्भिक वर्ण ‘आ’ से मिलकर आ (आ+आ) में परिवर्तन होकर नया शब्द ‘विद्यालय’ बना। ‘हिम’ का अन्तिम वर्ण ‘अ’ तथा ‘आलय’ का आरम्भिक वर्ण ‘आ’ मिलकर नया शब्द ‘हिमालय’ बना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के संयोग से हुए विकार (संधि) के कारण ही नये शब्द का निर्माण होता है।

संधि का अर्थ— दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न हुए विकार (बदलाव) को संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि का अर्थ ‘जोड़’ या ‘मेल’ होता है।

संधि-विच्छेद— जुड़े हुए वर्णों को अलग-अलग करना संधि-विच्छेद कहलाता है;

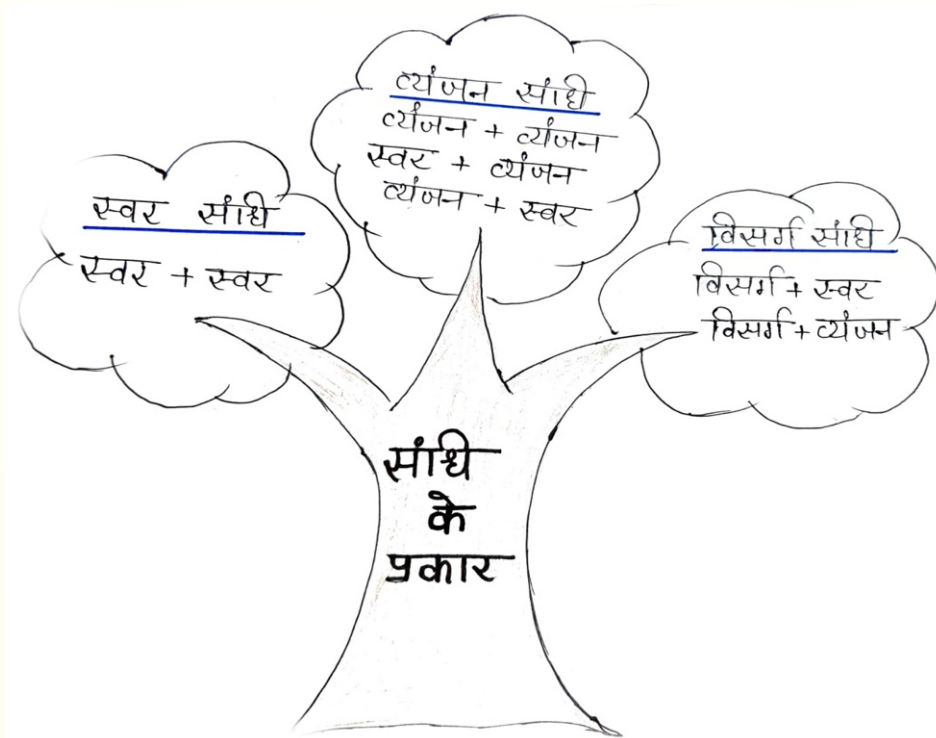
जैसे—पुस्तकालय=पुस्तक+आलय

इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण देकर संधि तथा संधि-विच्छेद में अंतर को समझ सकते हैं।

विद्यार्थी ,	धर्मार्थ ,	रवीन्द्र ,	महीश
(विद्या+अर्थी)	(धर्म+अर्थ)	(रवि+इन्द्र)	(मही + ईश)

संधि के भेद— संधि तीन प्रकार की होती है—

1. स्वर संधि
2. व्यंजन संधि
3. विसर्ग संधि



स्वर संधि

स्वर + स्वर

व्यंजन संधि

व्यंजन + व्यंजन

स्वर + व्यंजन

व्यंजन + स्वर

विसर्ग संधि

विसर्ग + स्वर

विसर्ग + व्यंजन

1. स्वर संधि— दो स्वरों के मिलने से उसमें जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं।

उदाहरण— पुरुष + अर्थ = पुरुषार्थ, (अ + अ = आ)
 गिरि + ईश = गिरीश (इ + ई = ई)
 लघु + उत्तर = लघूत्तर (उ + उ = ऊ)

2. व्यंजन संधि— किसी भी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं।

उदाहरण—जगत् + ईश = जगदीश
 त् + ई = द् (व्यंजन + स्वर)
 उत् + मत्त = उन्मत्त
 त् + म् = न् (व्यंजन + व्यंजन)

3. विसर्ग संधि—विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं।

उदाहरण—दुः + आशा = दुराशा
 वयः + वृद्ध = वयोवृद्ध

(1) स्वर संधि के प्रकार— स्वर संधि के पाँच भेद होते हैं—

- (क) दीर्घ संधि
- (ख) गुण संधि
- (ग) वृद्धि संधि
- (घ) यण् संधि
- (ङ) अयादि संधि

(क) दीर्घ संधि— जब ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, ऋ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, ऋ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई,

ऊ, ऋ हो जाते हैं।

नियम (क) —

अ + अ = आ
 अ + आ = आ
 आ + अ = आ
 आ + आ = आ

मत + अनुसार = मतानुसार
 रत्न + आकर = रत्नाकर
 विद्या + अर्थी = विद्यार्थी
 महा + आत्मा = महात्मा

नियम (ख) —

इ + इ = ई
 इ + ई = ई
 ई + इ = ई
 ई + ई = ई

हरि + इच्छा = हरीच्छा
 मुनि + ईश्वर = मुनीश्वर
 नारी + इंद्र = नारींद्र
 रजनी + ईश = रजनीश

नियम (ग) —

उ + उ = ऊ
 उ + ऊ = ऊ
 ऊ + उ = ऊ
 ऊ + ऊ = ऊ
 ऋ + ऋ = ऋ

सु + उक्ति = सूक्ति
 लघु + ऊर्मि = लघूर्मि
 वधू + उत्सव = वधूत्सव
 वधू + ऊर्जा = वधूर्जा
 पितृ + ऋण = पितृण

(ख) गुण संधि— जब अ/आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ इ, उ, ऋ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर् हो जाते हैं।

उदाहरण—

अ + इ = ए	भारत + इंदु = भारतेंदु
	स्व + इच्छा = स्वेच्छा
अ + ई = ए	परम + ईश्वर = परमेश्वर
	गण + ईश = गणेश
आ + इ = ए	महा + इंद्र = महेंद्र
	यथा + इष्ट = यथेष्ट
आ + ई = ए	महा + ईश्वर = महेश्वर
	रमा + ईश = रमेश
अ + उ = ओ	पर + उपकार = परोपकार
	सूर्य + उदय = सूर्योदय
अ + ऊ = ओ	जल + ऊर्मि = जलोर्मि
	उच्च + ऊर्ध्व = उच्चोर्ध्व
आ + उ = ओ	महा + उद्यम = महोद्यम
	गंगा + उदक = गंगोदक
आ + ऊ = ओ	गंगा + ऊर्मि = गंगोर्मि
	महा + ऊर्जा = महोर्जा
अ + ऋ = अर्	देव + ऋषि = देवर्षि
	वसंत + ऋतु = वसंतर्तु
आ + ऋ = अर्	महा + ऋण = महर्ण

(ग) वृद्धि संधि— जब अ/आ के बाद ए, ऐ या ओ, औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ या औ हो जाता है।

उदाहरण—

अ + ए = ऐ	एक + एक = एकैक
	अद्य + एव = अद्यैव
आ + ए = ऐ	सदा + एव = सदैव
	तथा + एव = तथैव
अ + ऐ = ऐ	मत + ऐक्य = मतैक्य
आ + ऐ = ऐ	रमा + ऐश्वर्य = रमैश्वर्य
	सदा + ऐक्य = सदैक्य
अ + ओ = औ	दंत + ओष्ठ = दंतौष्ठ
	परम + ओज = परमौज
आ + ओ = औ	महा + ओज = महौज
	महा + ओजस्वी = महौजस्वी
अ + औ = औ	परम + औषध = परमौषध
आ + औ = औ	महा + औषध = महौषध

(घ) यण् संधि— जब ह्रस्व या दीर्घ इ, उ, ऋ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो उस ह्रस्व या दीर्घ इ, उ, ऋ के स्थान पर क्रमशः य्, व्, र् हो जाते हैं।

उदाहरण—

इ / ई + अ = य	अति + अंत = अत्यंत
	नदी + अर्पण = नद्यर्पण
इ / ई + आ = या	अति + आचार = अत्याचार
	नदी + आगमन = नद्यागमन
इ / ई + उ = यु	अभि + उदय = अभ्युदय
	स्त्री + उपयोगी = स्त्र्युपयोगी
इ / ई + ऊ = यू	नि + ऊन = न्यून
	नदी + ऊर्मि = नद्यूर्मि
इ / ई + ए = ये	प्रति + एक = प्रत्येक
इ / ई + ऐ = यै	देवी + ऐश्वर्य = देव्यैश्वर्य
	अति + ऐश्वर्य = अत्यैश्वर्य
इ / ई + औ = यौ	वाणी + औचित्य = वाण्यौचित्य
उ / ऊ + अ = व	सु + अल्प = स्वल्प
	सु + अस्ति = स्वस्ति
उ / ऊ + आ = वा	सु + आगत = स्वागत
	वधू + आगमन = वध्वागमन
उ / ऊ + इ = वि	अनु + इत = अन्वित
उ / ऊ + ई = वी	अनु + ईक्षण = अन्वीक्षण
ऋ + अ / आ = र / रा	पितृ + अनुमति = पित्रनुमति
	मातृ + आज्ञा = मात्राज्ञा
ऋ + इ / ई = रि / री	पितृ + इच्छा = पित्रिच्छा
	मातृ + ईश्वर = मात्रीश्वर

(ङ) अयादि संधि— ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई स्वर आए, तो उस ए, ऐ, ओ, औ के स्थान पर क्रमशः अय्, आय्, अव्, आव् हो जाते हैं।

उदाहरण—

ए + अ = अय् + अ	शे + अन = शयन
ऐ + अ = आय् + अ	नै + अक = नायक
ओ + अ = अव् + अ	पो + अन = पवन
	भो + अन = भवन
औ + अ = आव् + अ	पौ + अन = पावन
	पौ + अक = पावक

2. व्यंजन संधि

किसी भी व्यंजन के बाद स्वर/व्यंजन आने पर या स्वर के बाद व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं।

व्यंजन + व्यंजन
व्यंजन + स्वर
स्वर + व्यंजन

व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं—

नियम 1—यदि वर्गों के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो वर्गों का वह पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है;

जैसे—
सत् + धर्म = सदधर्म
वाक् + ईश = वागीश

नियम 2—वर्गों के पहले वर्ण के बाद 'न' या 'म' हो तो वह पहला वर्ण उसी वर्ग के पाँचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है;

जैसे—
वाक् + मय = वाङ्मय
उत् + नायक = उन्नायक

नियम 3—यदि 'त्/द्' के बाद 'ल' आए तो वह 'त्/द्' 'ल' में परिवर्तित हो जाता है;

जैसे—
तत् + लीन = तल्लीन
उत् + लास = उल्लास

नियम 4—यदि 'त्/द्' के पश्चात च/छ आ जाए तो 'त्/द्' का च् हो जाता है;

जैसे—
उत् + चारण = उच्चारण
सत् + चरित्र = सच्चरित्र

नियम 5—यदि 'त्/द्' के पश्चात ज/झ आ जाए तो 'त्/द्' का ज् हो जाता है;

जैसे—
सत् + जन = सज्जन
उत् + ज्वल = उज्ज्वल

नियम 6—यदि 'त्/द्' के पश्चात ट/ड आ जाए तो 'त्/द्' का ट् /ड् हो जाता है;

जैसे—
तत् + टीका = तट्टीका
उत् + डयन = उड्डयन

नियम 7—यदि 'त्' के बाद 'ह' हो तो 'त्' का 'द्' और 'ह' का 'ध्' हो जाता है;

जैसे—
तत् + हित = तद्धित
उत् + हरण = उद्धरण

नियम 8—यदि किसी शब्द के अंत में ह्रस्व स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण 'छ' हो तो 'छ' के स्थान पर 'च्छ' हो जाता है;

जैसे—

वि + छेद = विच्छेद

परि + छेद = परिच्छेद

(त् के बाद श् आने पर 'त्' को 'च्' तथा 'श्' को 'छ्' हो जाता है; जैसे—उत् + श्वास = उच्छ्वास)

नियम 9—यदि 'म्' के बाद कोई स्पर्श व्यंजन (क से म तक) आए तो म् उसी व्यंजन वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाता है;

जैसे—

किम् + कर = किङ्कर (किंकर)

सम् + जीवन = सञ्जीवन (संजीवन)

नियम 10—म् के बाद म् आने पर द्वित्व 'म्म' का प्रयोग होता है;

जैसे—

सम् + मान = सम्मान

सम् + मोहन = सम्मोहन

नियम 11—म् के बाद कोई अंतःस्थ (य, र, ल, व) या ऊष्म व्यंजन (श, ष, स , ह) आ जाए तो म् का अनुस्वार (ँ) हो जाता है;

जैसे—

सम् + योग = संयोग

सम् + शय = संशय

सम् + हार = संहार

सम् + लग्न = संलग्न

नियम 12—यदि ऋ, ए, श्, के बाद 'न' व्यंजन आता है तो 'न' का 'ण' हो जाता है;

जैसे—

परि + नाम = परिणाम

शोष् + अन = शोषण

(शत्व अर्थात् 'स' का 'श'; जैसे — नि + सेध = निषेध)

नियम 13—'स' से पहले अ, आ से भिन्न स्वर हो तो 'स' का 'ष' हो जाता है;

जैसे—

सु + सुप्त = सुषुप्त

वि + सम = विषम

3. विसर्ग संधि

विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन आता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं; जैसे—

दुः + आशा = दुराशा

वयः + वृद्ध = वयोवृद्ध

विसर्ग संधि के प्रमुख नियम—

नियम 1—यदि विसर्ग के पहले 'अ' और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ अक्षर हो या य, र, ल, व, ह में से कोई एक हो तो 'अ' सहित विसर्ग (ः) के स्थान पर ओ हो जाता है; जैसे—

अधः + गति = अधोगति

मनः + रथ = मनोरथ

मनः + बल = मनोबल

नियम 2—विसर्ग का 'र्' होना—यदि विसर्ग के बाद अ, आ से भिन्न कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ अक्षर हो या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र् हो जाता है; जैसे—

निः + बल = निर्बल

दुः + बल = दुर्बल

दुः + उपयोग = दुरुपयोग

नियम 3—विसर्ग का 'श्' होना—यदि विसर्ग के बाद च, छ, या श हो तो विसर्ग का 'श्' हो जाता है; जैसे—

निः + चय = निश्चय

निः + छल = निश्छल

नियम 4—विसर्ग का 'स्' होना—विसर्ग के बाद यदि 'त' या 'स' हो तो विसर्ग का 'स्' हो जाता है; जैसे—

नमः + ते = नमस्ते

निः + संतान = निस्संतान

नियम 5—विसर्ग का 'ष्' होना—विसर्ग से पहले इ/उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ हो तो विसर्ग का 'ष्' हो जाता है; जैसे—

निः + कलंक = निष्कलंक

दुः + कर = दुष्कर

निः + फल = निष्फल

नियम 6—विसर्ग का लोप होना—

1. यदि विसर्ग के बाद 'र' हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है; जैसे—

निः + रस = नीरस

निः + रोग = नीरोग

2. यदि विसर्ग से पहले अ/आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और पास आए स्वरों की पुनः संधि नहीं होती; जैसे—

अतः + एव = अतएव

समास



लाल है जो टमाटर
संक्षेपीकरण—लाल टमाटर



नीला है जो कमल
संक्षेपीकरण—नीलकमल

दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा रूप बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है।

परिभाषा— दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से नया शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं।

जैसे—रसोई के लिए घर। इसे हम रसोईघर भी कह सकते हैं।

समास = सम्+आस (अस्+घञ्)

यहाँ सम् का अर्थ है 'अच्छी तरह से' और आस का अर्थ है 'रखना'। समास रचना में दो पद होते हैं, पहले को 'पूर्व पद' और दूसरे पद को 'उत्तर पद' कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहा जाता है; जैसे—

गंगाजल, इसमें गंगा 'पूर्व पद' और जल 'उत्तर पद' है।
 पूर्व पद उत्तर पद

माता और पिता = माता-पिता

समास विग्रह— जब समस्त पद के पदों को अलग-अलग किया जाता है, तब इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं; जैसे—प्रयोगशाला = प्रयोग की शाला

समास के भेद— समास के निम्नलिखित छः भेद हैं—

- ✿ अव्ययीभाव समास
- ✿ तत्पुरुष समास
- ✿ कर्मधारय समास
- ✿ बहुव्रीहि समास
- ✿ द्विगु समास
- ✿ द्वंद्व समास

अव्ययीभाव समास— जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, वह अव्ययीभाव समास कहा जाता है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, जिसके कारण समस्त पद के अर्थ का निर्धारण होता है।

जैसे—प्रतिदिन, आमरण, यथासंभव इत्यादि।

समस्त पद
बेहिसाब
यथाशक्ति
बीचो-बीच

विग्रह
बिना हिसाब के
शक्ति के अनुसार
बिल्कुल बीच

भरसक	जितना हो सके
सकुशल	कुशलता के साथ
यथाविधि	विधि के अनुसार
प्रत्यक्ष	आँखों के सामने
बेमतलब	बिना मतलब के
यथावसर	अवसर के अनुसार

तत्पुरुष समास— जिस समास शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पहले पद के विभक्ति चिह्नों का लोप कर नया शब्द बनाया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं; जैसे—रसोई के लिए घर—रसोईघर

समस्त पद	विग्रह
देशगत	देश को गया हुआ
अनुभवजन्य	अनुभव से जन्य
शोकाकुल	शोक से आकुल
रोगमुक्त	रोग से मुक्त
हथकड़ी	हाथ के लिए कड़ी
सूररचित	सूर द्वारा रचित
प्रयोगशाला	प्रयोग करने की शाला
रेलयात्रा	रेल से यात्रा
ज्ञानयुक्त	ज्ञान से युक्त
मंत्रालय	मंत्री के लिए आलय

कर्मधारय समास— जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं; जैसे—

समस्त पद	विग्रह
नीलांबर	नीला है जो अम्बर
कृष्णसर्प	कृष्ण है जो सर्प
कुबुद्धि	बुरी है जो बुद्धि
करकमल	कमल के समान हाथ
प्राणप्रिय	प्राणों के समान प्रिय
देहलता	देह रूपी लता
कमलनयन	कमल के समान नयन
परमानंद	परम है जो आनंद
नीलकंठ	नीला है जो कंठ

बहुव्रीहि समास— जहाँ पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है, जैसे—‘विषधर’ विष को धारण करने वाला अर्थात् शंकर। इस समास में ‘विष’ और ‘धर’ में कोई पद प्रधान या गौण नहीं है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद शंकर के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि विग्रह पद संज्ञा पद का विशेषण रूप ही होता है। इनका विग्रह करने पर विशेष रूप से ‘वाला’, ‘वाली’, ‘जिसका’, ‘जिसकी’, ‘जिसमें’ आदि शब्द पाए जाते हैं; जैसे—

समस्त पद**विग्रह**

गिरिधर	—	गिरि को धारण करने वाला अर्थात् श्रीकृष्ण
चतुर्भुज	—	चार हैं भुजाएँ जिसकी अर्थात्, ब्रह्मा
त्रिनेत्र	—	तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात् शंकर
चक्रपाणि	—	चक्र है पाणि में जिसके अर्थात् विष्णु
वीणापाणि	—	वीणा है कर में जिसके अर्थात् सरस्वती
लंबोदर	—	लंबा है उदर जिसका अर्थात् गणेश
पीतांबर	—	पीत है अंबर जिसका अर्थात् श्रीकृष्ण
निशाचर	—	निशा में विचरण करने वाला अर्थात् राक्षस
मृत्युंजय	—	मृत्यु को जीतने वाला अर्थात् शंकर
दशानन	—	दस हैं आनन जिसके अर्थात् रावण
नीलकंठ	—	नीले कंठ वाला अर्थात् शंकर

विशेष— कुछ समास विग्रह के अनुसार बदल जाते हैं, जैसे—नीलकंठ—नीला है जो कंठ, कर्मधारय, क्योंकि यहाँ कण्ठ की विशेषता बताई जा रही है। नीलकंठ—नीले कण्ठ वाला अर्थात् शंकर, क्योंकि यहाँ दोनों पद नील और कंठ गौण होकर नीले कण्ठ वाले 'शंकर' की तरफ संकेत करते हैं।

द्विगु समास— जिस समास का पहला पद (पूर्वपद) संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है; जैसे—

समस्त पद**विग्रह**

नवरात्र	नौ रात्रियों का समूह
त्रिभुज	तीन भुजाओं का समूह
शताब्दी	सौ वर्षों का समूह
पंचतंत्र	पाँच तंत्रों का समूह
चारपाई	चार पायों का समूह
नवग्रह	नौ ग्रहों का समूह
पंचमुखी	पाँच मुख वाला
तिरंगा	तीन रंगों का समूह
सप्ताह	सात दिनों का समूह
चौराहा	चार राहों का समूह

द्वंद्व समास— जिस समास के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर 'और' 'तथा' या 'एवं' लगता है, वह द्वंद्व समास कहा जाता है; जैसे—

समस्त पद**विग्रह**

अन्न—जल	अन्न और जल
नदी—नाले	नदी और नाले
धन—दौलत	धन और दौलत
पाप—पुण्य	पाप और पुण्य
सुख—दुख	सुख और दुख
नर—नारी	नर और नारी
राजा—प्रजा	राजा और प्रजा

कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर —

कर्मधारय समास में या तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है या फिर एक पद उपमेय और उपमान।

बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, समस्त पद के विग्रह के अन्तर से कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के अन्तर को भली-भाँति समझा जा सकता है; जैसे—

समस्तपद	विग्रह	समास
महावीर	महान है जो वीर महान है जो वीर (हनुमान)	कर्मधारय समास बहुव्रीहि समास
नीलकंठ	नीला है जो कंठ नीला है कंठ जिसका (शिव)	कर्मधारय समास बहुव्रीहि समास
कमलनयन	कमल जैसे नयन कमल जैसे नयन है जिसके (श्रीकृष्ण)	कर्मधारय समास बहुव्रीहि समास
महात्मा	महान आत्मा महान है जिसकी आत्मा (कोई महापुरुष)	कर्मधारय समास बहुव्रीहि समास
पीतांबर	पीत (पीला) है जो अंबर (वस्त्र) पीले अंबर है जिसके (कृष्ण)	कर्मधारय समास बहुव्रीहि समास
लंबोदर	लंबा है जो उदर लंबा है जो उदर जिसका	कर्मधारय समास बहुव्रीहि समास
घनश्याम	घन के समान श्याम घन के समान श्याम है जो (कृष्ण)	कर्मधारय समास बहुव्रीहि समास

द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर —

द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा दूसरा पद उसका विशेष्य, परन्तु बहुव्रीहि समास में पूरा पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है तथा पूरा पद विशेष्य का काम करता है। द्विगु और बहुव्रीहि समास अन्तर को भी इसके विग्रह द्वारा समझा जा सकता है; जैसे —

समस्तपद	विग्रह	समास
दशानन	दस मुखों का समूह दस है आनन जिसके (रावण)	द्विगु समास बहुव्रीहि समास
चतुर्मुख	चार मुखों का समूह चार मुख हैं जिसके (ब्रह्मा)	द्विगु समास बहुव्रीहि समास
चतुर्भुज	चार भुजाओं का समूह चार भुजायें हैं जिसकी (भीष्म)	द्विगु समास बहुव्रीहि समास

समस्तपद

विग्रह

समास

त्रिनेत्र

तीन नेत्रों का समूह
तीन नेत्र हैं जिसके (शिव)

द्विगु समास
बहुव्रीहि समास

अनादि

न आदि
नहीं आदि है जिसका (ईश्वर)

द्विगु समास
बहुव्रीहि समास

बारहसिंगा

बारह सींगों का समूह
बारह सींगों वाला (एक जानवर)

द्विगु समास
बहुव्रीहि समास

चौमासा

चार मासों (महीनों) का समूह
चार मासों का है जो (वर्षा ऋतु)

द्विगु समास
बहुव्रीहि समास

द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर –

कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद विशेषण होता है तथा समस्त पद में विशेषण और विशेष्य का योग रहता है।

जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्या वाचक विशेषण होता है, जैसे –

समस्तपद

विग्रह

समास

नवग्रह

नव (नौ) है जो ग्रह
नव (नौ) ग्रहों का समूह

कर्मधारय समास
द्विगु समास

पंचवटी

पाँच है जो वट
पाँच वटों का समूह

कर्मधारय समास
द्विगु समास

त्रिभुवन

तीन है जो भुवन
तीन भुवनों का समूह

कर्मधारय समास
द्विगु समास



वाक्य विचार

1. 'सुहावनी है रात होती चाँदनी'
2. 'पढ़ता है राम पुस्तक'
3. 'मोहन नहीं गया था विद्यालय क्यों'
4. 'जाओ मत उधर'

क्या आपको उपर्युक्त वाक्य पढ़ने या बोलने में ठीक लग रहे हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

आप सही सोच रहे हैं, ये वाक्य, भाव/अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये शब्द सही क्रम में नहीं हैं।

सही वाक्य समूह इस प्रकार होंगे—

- चाँदनी रात सुहावनी होती है।
- राम पुस्तक पढ़ता है।
- मोहन विद्यालय क्यों नहीं गया था ?
- उधर मत जाओ।

अब ये वाक्य सही लग रहे हैं क्योंकि ये शब्द समूह इसके भाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में सक्षम हैं।

वाक्य—सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो उनके भाव/अभिप्राय को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता हो, उसे वाक्य कहते हैं।

वाक्य के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं—

सार्थकता—वाक्य में प्रयुक्त शब्द सार्थक होने चाहिए, तभी भाव स्पष्ट होता है।

योग्यता—वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अर्थ स्पष्ट करने की योग्यता होनी चाहिए; जैसे—'मैंने पानी खा लिया' के स्थान पर 'पानी पी लिया' होना चाहिए।

आकांक्षा—वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, उसमें किसी शब्द की कमी /आकांक्षा न रह जाए; जैसे—वह पढ़ता है।

इस वाक्य में कर्ता को जानने की आकांक्षा उत्पन्न हो रही होगी कि वह क्या पढ़ता है, इसलिए 'वह पुस्तक पढ़ता है।' पूर्ण वाक्य होगा।

निकटता—यदि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को लिखते या बोलते समय परस्पर निकटता (धाराप्रवाहिता) का ध्यान न रखा जाए तो भी शब्द समूह वाक्य नहीं बनते हैं;

जैसे—रानी कहानी पढ़ती है। (X)

यहाँ शब्दों में निकटता नहीं है, अतः एक वाक्य होने का बोध नहीं हो रहा है।

जबकि 'रानी कहानी पढ़ती है।' (✓) वाक्य में शब्दों में पर्याप्त निकटता है।

पदक्रम—वाक्य में शब्दों/पदों का एक निश्चित क्रम होता है। यदि पद उचित क्रम में न लिखा/बोला जाए तो अभिप्राय/भाव स्पष्ट नहीं होता है।

अन्वय—अन्वय का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ उचित मेल होना चाहिए; जैसे—

लड़के और लड़कियाँ खेल रही हैं। (X)

लड़के और लड़कियाँ खेल रहे हैं। (✓)

लड़के या लड़कियाँ खेल रही हैं। (✓)

लड़कियाँ या लड़के खेल रहे हैं। (✓)

 **इसे भी समझें—**

कर्ता और क्रिया का मेल—

1. यदि वाक्य में दो भिन्न-भिन्न लिंगों के कर्ता हों एवं दोनों के बीच 'और' संयोजक आए, तो उनकी क्रिया पुंल्लिंग और बहुवचन में होगी; जैसे—बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं।
2. यदि वाक्य में दोनों लिंगों और वचनों के अनेक कर्ता हों, तो क्रिया बहुवचन में होगी उनका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा; जैसे—एक लड़का, दो बूढ़े और अनेक लड़कियाँ आती हैं।
3. यदि वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच विभाजक समुच्चयबोधक अव्यय 'या' अथवा 'वा' रहे, तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी; जैसे— मोहन का बैल या सोहन की गायें बिकेंगी।

वाक्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं—

(1) उद्देश्य

(2) विधेय

उद्देश्य

जिसके विषय/बारे में कुछ

कहा जाए, वह उद्देश्य

कहा जाता है।

विधेय

वाक्य में उद्देश्य के विषय में

जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं।

वाक्य

सरल शब्दों में कर्ता या कर्ता विस्तार को उद्देश्य कहते हैं तथा उद्देश्य के अतिरिक्त वाक्य के शेष शब्द विधेय कहलाते हैं।

उदाहरणार्थ—

उद्देश्य	विधेय	पूर्ण वाक्य
मोहन	पुस्तक पढ़ता है।	मोहन पुस्तक पढ़ता है
ईमानदार व्यक्ति	सर्वदा सुखी रहता है।	ईमानदार व्यक्ति सर्वदा सुखी रहता है
संगीत की शिक्षिका	विद्यार्थियों के साथ गाना गा रही हैं।	संगीत की शिक्षिका विद्यार्थियों के साथ गाना गा रही हैं।

वाक्य के भेद— वाक्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है—

1. अर्थ के आधार पर।
2. रचना के आधार पर।

1. अर्थ के आधार पर— अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं—

विधानवाचक वाक्य— जिस वाक्य से क्रिया के होने या करने की सूचना प्राप्त हो, ऐसे साधारण वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं; जैसे—

- ❖ दीक्षा पढ़ती है।
- ❖ राधा गाना गाती है।
- ❖ वर्षा हो रही है।
- ❖ आँधी आई है।

निषेधवाचक वाक्य— जिस वाक्य में कार्य/क्रिया के न करने या न होने का बोध हो, उसे निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं; जैसे—

- ❖ दीक्षा नहीं पढ़ती है।
- ❖ राधा गाना नहीं गाती है।

✿ वर्षा नहीं हो रही है।

✿ आँधी नहीं आई है।

प्रश्नवाचक वाक्य—जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं; जैसे—

✿ क्या दीक्षा पढ़ती है?

✿ राधा गाना क्यों नहीं गाती है?

✿ वर्षा कहाँ हो रही है?

✿ आँधी कब आई थी?

जिस वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द—कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आदि आते हैं तथा वाक्य के अंत में प्रश्नचिह्न (?) लगा हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं; जैसे—आँधी कब आई थी?

आज्ञावाचक वाक्य—जिन वाक्यों से आदेश, आज्ञा, आग्रह, प्रार्थना या अनुमति का बोध होता है, उन्हें आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं; जैसे—

✿ दीक्षा ! पढ़ो। (आज्ञा)

✿ आप गाना गाइए। (आग्रह)

✿ आप यहाँ बैठ सकते हैं। (अनुमति)

इच्छावाचक वाक्य—जिस वाक्य से वक्ता की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं; जैसे—

✿ ईश्वर करे, तुम्हें सफलता मिले। (आशीर्वाद)

✿ आशा है, तुम उन्नति करोगे। (इच्छा)

✿ आज मैं सिर्फ फल खाऊँगा। (इच्छा)

✿ प्रथम स्थान पाने की तुम्हें शुभकामनाएँ। (शुभकामना)

संदेहवाचक वाक्य—जिस वाक्य से संदेह या संभावना का बोध होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं; जैसे—

✿ शायद राधा गाना गा चुकी हो। (संदेह)

✿ दीक्षा अब तक पढ़ चुकी होगी। (संभावना)

संकेतवाचक वाक्य—जिस वाक्य में एक क्रिया/कार्य का होना दूसरी क्रिया/कार्य पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं; जैसे—

✿ अगर दीक्षा पढ़ेगी, तभी उत्तीर्ण होगी।

✿ यदि वर्षा नहीं होती है, तो फसल सूख जायेगी।

विस्मयादिवाचक वाक्य—जिस वाक्य से विस्मय, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट हों, उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं; जैसे—

✿ वाह! दीक्षा तो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण/पास हो गई। (हर्ष)

✿ शाबाश! तुमने बहुत अच्छा फुटबाल खेला। (प्रोत्साहन)

✿ अरे! ये क्या हुआ। (विस्मय)

रचना के आधार पर—रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं—

✿ सरल वाक्य / साधारण वाक्य

✿ मिश्रित वाक्य / मिश्र वाक्य

✿ संयुक्त वाक्य

सरल वाक्य—जिस वाक्य में एक या एक से अधिक कर्ता/उद्देश्य तथा एक ही क्रिया/विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं; जैसे—

✿ मोहन और सोहन बाजार गए ।

✿ शिल्पी कहानी लिखती है ।

✿ गाय घास चरती है ।

मिश्रित वाक्य / मिश्र वाक्य— जिस वाक्य में एक प्रधान (मुख्य) उपवाक्य हो तथा अन्य सहायक / आश्रित उपवाक्य (एक या एक से अधिक सहायक उपवाक्य भी हो सकते हैं) हों, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं ।

ये उपवाक्य आपस में कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर / यदि, तो आदि से जुड़े होते हैं । इसमें एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय होता है, इसके अतिरिक्त अन्य समापिक (वाक्य पूर्ति करने वाली) क्रियाएँ होती हैं; जैसे—

✿ हरीश ने बताया कि वह कम्प्यूटर सीख रहा है ।

(आश्रित उपवाक्य) (प्रधान वाक्य)

✿ यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे ।

(प्रधान वाक्य) (आश्रित उपवाक्य)

संयुक्त वाक्य— जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य योजक शब्द; जैसे—एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से संयुक्त किए गए हों / जोड़े गए हों, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं; जैसे—

✿ प्रिय बोलो पर सत्य बोलो ।

✿ कल मैं विद्यालय नहीं आया था, इसलिए कार्य पूरा न कर सका ।

✿ वह सुबह गया और शाम को लौट आया ।

✿ सही दिशा में परिश्रम किया तथा सफल हो गया ।

ध्यान दें—

संयुक्त वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा कम से कम दो उपवाक्य अधीन होते हैं, परन्तु प्रत्येक उपवाक्य की सत्ता स्वतंत्र बनी रहती है; जैसे—

मोहन ने कहा कि मैं विद्यालय जाऊँगा और श्याम ने कहा कि मैं घर पर ही रहूँगा तथा अध्ययन करूँगा ।

प्रस्तुत संयुक्त वाक्य में **मोहन ने कहा** और **सोहन ने कहा** दोनों उपवाक्य समान रूप से प्रधान उपवाक्य हैं, शेष उपवाक्य उनके अधीन होते हुए भी स्वतंत्र हैं ।

शब्द-युग्म (समध्वनि भिन्नार्थक)

हिन्दी में ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं, जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के हेर-फेर के अतिरिक्त प्रायः समान रहता है किंतु अर्थ में भिन्नता होती है। देखने में इन शब्दों में सूक्ष्म अंतर होता है। ऐसे शब्दों को ही समध्वनि भिन्नार्थक (सुनने में समान और भिन्न अर्थ करने वाला) कहते हैं। इनके उच्चारण और लेखन में भी थोड़ा अंतर होता है जिसमें सावधान नहीं रहने से भाषा में अशुद्धता और भाव या विचार प्रकट करने में अनर्थ होने की संभावना बनी रहती है। इससे बचने के लिए शब्द-युग्मों (शब्दों के जोड़ों) को जानना आवश्यक है; जैसे—

‘मैं आसन भविष्य में जापान जाने की सोच रहा हूँ।’

यह वाक्य अशुद्ध है; क्योंकि आसन का अर्थ है—बैठने की जगह। जबकि यहाँ आसन्न होना चाहिए, जिसका अर्थ होता है निकट भविष्य में।

इसी तरह यदि किसी मेहमान के आने पर ऐसा कहा जाए—आइए, पधारिए आप तो हमारे श्वजन हैं।

यदि अतिथि पढ़ा-लिखा है तो निश्चित रूप से वह अपमान का अनुभव करेगा; क्योंकि श्वजन का अर्थ है कुत्ता। इस वाक्य में श्वजन के स्थान पर स्वजन होना चाहिए।

हमने दो वाक्यों में देखा कि पहले में मात्रा के कारण अर्थ में भिन्नता आ गई तो दूसरे में वर्ण के हेर-फेर और गलत उच्चारण करने से।

इस तरह के शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इस प्रकार के कुछ शब्दों की सूची निम्नलिखित है—

1. अँगना	—	आँगन
अंगना	—	स्त्री
2. अणु	—	कण
अनु	—	पीछे
3. अभिराम	—	सुन्दर
अविराम	—	लगातार
4. अवलंब	—	सहारा
अविलंब	—	शीघ्र
5. अपेक्षा	—	इच्छा
उपेक्षा	—	निरादर
6. अतुल	—	जिसकी तुलना न हो
अतल	—	तलहीन
7. कंगाल	—	गरीब
कंकाल	—	ठठरी
8. परिक्षा	—	कीचड़
परीक्षा	—	इम्तहान
9. बिना	—	अभाव
बीणा	—	एक बाजा
10. भवन	—	मकान
भुवन	—	संसार

11. भंगी	—	मेहतर
भंगि	—	टेढ़ापन
12. शकल	—	टुकड़ा
सकल	—	सम्पूर्ण
13. सूत	—	धागा / सारथी
सुत	—	पुत्र
14. सर्ग	—	अध्याय
स्वर्ग	—	जन्नत
15. हरि	—	विष्णु
हरी	—	हरे रंग की
16. हुति	—	हवन
हूति	—	बुलावा
17. प्रतिद्वंद्वी	—	विपक्षी
प्रति द्वंद्विता	—	बराबर वालों की बीच
18. मूर्ति	—	प्रतिमा
मूर्त	—	साकार
19. आसन्न	—	निकट
आसन	—	बैठने की वस्तु
20. जिज्ञासा	—	जानने की इच्छा
जिज्ञासु	—	जानने का इच्छुक
21. युत	—	सहित
यूति	—	मेल
यति	—	विराम
22. शूर	—	वीर
सूर	—	अंधा
सुर	—	राग / लय
23. चरित्र	—	आचरण
चारित्रिक	—	चरित्र संबंधी

वाक्यांश के लिए एक शब्द

जो अनुकरण करने योग्य हो।	— अनुकरणीय
रक्षा करने वाला।	— रक्षक
जिसका कोई जवाब न हो।	— लाजवाब

आपने देखा कि उपर्युक्त रेखांकित वाक्य के सामने दिए गए शब्द रेखांकित वाक्य के भावों को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं।

अपने विचार को कम से कम शब्दों में सही ढंग से व्यक्त करना एक कला है। अपनी भाषा को गंभीर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, जो स्वयं में किसी एक वाक्य के अर्थ को समेटे रहते हैं। ऐसे शब्दों को 'वाक्यांश के लिए एक शब्द' कहा जाता है। दूसरे शब्दों में—जब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे 'वाक्यांश के लिए एक शब्द' कहा जाता है; जैसे—

जो विश्वास करने योग्य हो	— विश्वसनीय
जो क्षमा करने योग्य न हो	— अक्षम्य
जिसका अंत न हो।	— अनंत
सेवा करने वाला	— सेवक
लिखने वाला	— लेखक
जिसे दिखाई न देता हो	— अंधा

वाक्य का एक ऐसा अंश या भाग जिसका एक स्वतंत्र अर्थ निकलता हो, उसे वाक्यांश कहते हैं; जैसे—तुम उस पत्रिका को क्यों नहीं मँगाते, जो महीने में एक बार आती है। इस वाक्य में महीने में एक बार आती है, एक वाक्यांश है, क्योंकि इसका स्वतंत्र अर्थ निकलता है जबकि इस वाक्यांश के लिए एक पूर्ण शब्द 'मासिक' होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही शब्द से भाव पूर्ण स्पष्ट भी हो गया है और भाषा का सौंदर्य भी बढ़ गया है।

पाठ्यपुस्तक में दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द

वाक्यांश	शब्द
नृत्य करने वाला	— नर्तक
पढ़ने वाला	— पाठक
चिकित्सा करने वाला	— चिकित्सक
पर्यटन करने वाला	— पर्यटक
हठ करने वाला	— हठी
भक्षण करने वाला	— भक्षक
पक्ष लेने वाला	— पक्षधर
जिसने अपराध किया हो	— अपराधी
जिसे डर ना हो	— निडर
जिसका जवाब न हो	— लाजवाब
जिसे सहा न जा सके	— असहनीय
मन को हरने या आकर्षित करने वाला	— मनोहर

जिसको जीता ना जा सके	—	अजेय
जहाँ घोड़े रखे जाते हैं	—	अस्तबल
जिसकी कोई हद न हो	—	बेहद

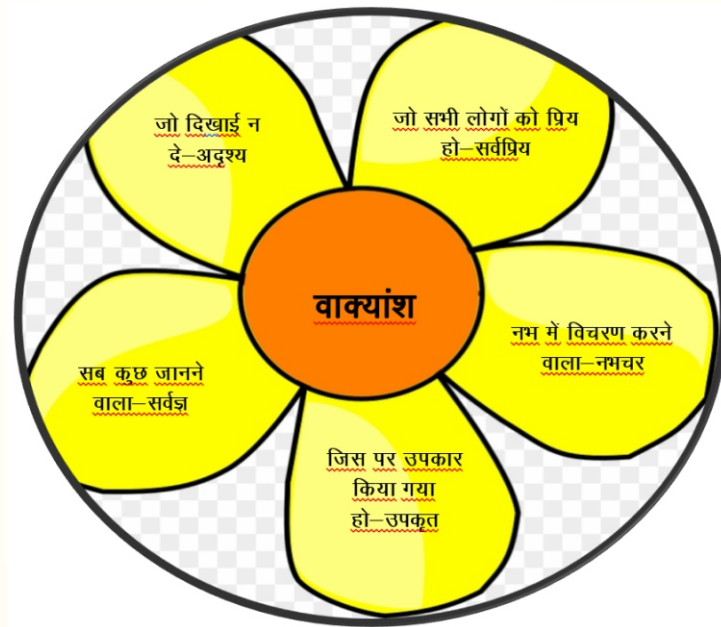
वाक्यांश		शब्द
किसी बात की परवाह न करने वाला	—	लापरवाह
वन की रक्षा करने वाला	—	वनरक्षक
जो रिश्वत लेता हो	—	रिश्वतखोर
जिसकी कल्पना न की जा सके	—	अकल्पनीय
राजनीति को जानने वाला	—	राजनीतिज्ञ
जिसका कोई आधार न हो	—	निराधार

वाक्यांश		शब्द
वह स्थान जहाँ शव जलाए जाते हैं	—	श्मशान
जो अपने मन को एकाग्र रखता हो	—	एकाग्रचित्त
जिसका स्वर्गवास हो गया	—	स्वर्गवासी
जिस पर विश्वास न किया जा सके	—	अविश्वसनीय

अन्य उदाहरण

वाक्यांश		शब्द
जहाँ जाया न जा सके	—	अगम
जिसकी उपमा न दी जा सके	—	अनुपम
कम ज्ञान रखने वाला	—	अल्पज्ञ
कम खर्च करने वाला	—	मितव्ययी
बहुत बोलने वाला	—	वाचाल
जो किसी का पक्ष न ले	—	तटस्थ
ईश्वर में विश्वास करने वाला	—	आस्तिक
ईश्वर में विश्वास न रखने वाला	—	नास्तिक
प्रतिदिन होने वाला	—	दैनिक
बिना प्रयास के होने वाला	—	अनायास
उपकार को न मानने वाला	—	कृतज्ञ
जिसका कोई इलाज ना हो	—	लाइलाज
प्रशंसा के योग्य	—	प्रशंसनीय
आँखों के सामने होने वाला	—	प्रत्यक्ष
जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो	—	प्रामाणिक
बहुत से रूप बदलने वाला	—	बहुरूपिया
100 वर्ष का समय	—	शताब्दी
किसी की हँसी उड़ाना	—	उपहास
सब कुछ जानने वाला	—	सर्वज्ञ
जिसके आर-पार दिखाई दे	—	पारदर्शी
जिसमें सब शक्तियाँ हों	—	सर्वशक्तिमान
जो क्षमा करने के लिए प्रार्थना करे	—	क्षमाप्रार्थी
जिस पर उपकार किया गया हो	—	उपकृत

दूर की बात सोचने वाला	—	दूरदर्शी
जिसे गोद लिया गया हो	—	दत्तक
जिसका कोई आरंभ न हो	—	अनादि
आकाश को चूमने वाला	—	गगनचुंबी
जो घृणा के योग्य हो	—	घृणास्पद
कम बोलने वाला	—	मितभाषी
जो दिखाई न दे	—	अदृश्य
कम खाने वाला	—	अल्पाहारी
जो शासन करता हो	—	शासक
जो न्याय के विरुद्ध हो	—	अन्याय
कठिनाई से प्राप्त होने वाला	—	दुर्लभ
जो छिपाने योग्य हो	—	गोपनीय
जिसकी आराधना की जाए	—	आराध्य
जानने का इच्छुक	—	जिज्ञासु
जो सत्य बोलता हो	—	सत्यवादी
नभ में विचरण करने वाला	—	नभचर
किसी बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहना	—	अतिशयोक्ति
जिसमें दया हो	—	दयालु
जो सभी लोगों को प्रिय हो	—	सर्वप्रिय
जो परोपकार करता हो	—	परोपकारी
जो पढ़ा लिखा न हो	—	अनपढ़ / निरक्षर
जो पढ़ा लिखा हो	—	साक्षर
जो उचित-अनुचित का विवेक रखता हो	—	विवेकशील
जो सब गुणों से संपन्न हो	—	सर्वगुणसंपन्न
जो सबको समान भाव से देखता हो	—	समदर्शी



विराम चिह्न

विराम चिह्नों का भाषा के लिखित रूप में बहुत अधिक महत्व है। इनके प्रयोग से अभिव्यक्ति में सहजता और स्पष्टता आती है तथा आशय को समझने में संदेह नहीं होता है।

निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिह्नों की स्थिति बदलने से हुए अर्थ परिवर्तन को इस प्रकार समझा या जाना जा सकता है—

1. रमेश आ गया।
2. रमेश आ गया!
3. रमेश आ गया ?
4. रोको मत, आने दो।
5. रोको, मत आने दो।

उपर्युक्त वाक्य 1,2,3 में समान पदों का प्रयोग हुआ है, किंतु अर्थ में भिन्नता है। वाक्य संख्या—1 में सामान्य कथन है, जिसमें सूचना दी गई है। वाक्य संख्या—2 में आश्चर्य का भाव प्रतीत होता है तथा वाक्य संख्या—3 में प्रश्न का भाव है। इसी प्रकार वाक्य संख्या—4 एवं 5 में भी अल्प विराम (,) के कारण अर्थ में परिवर्तन हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उचित विराम चिह्नों के प्रयोग से ही उचित भाव अथवा विचार का संप्रेषण संभव है।

आइए, अब हम विराम चिह्नों के बारे में जानते हैं—

क्रम संख्या	विराम	चिह्न
1	पूर्ण विराम	
2	अर्द्ध विराम	;
3	उप विराम / अपूर्ण विराम	:
4	अल्प विराम	,
5	प्रश्नवाचक	?
6	विस्मयादिबोधक	!
7	निर्देशक	—
8	योजक	—
9	उद्धरण	“ ” और ‘ ’
10	विवरण चिह्न	:-
11	कोष्ठक	()
12	लाघव	°

ममता पाठ — 2
कक्षा — 10

रोहतास—दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युक्ति ममता, शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसकी यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आँधी, आँखों में पानी की बरसात लिए, वह सुख के कंटक—शयन में विकल थी।

1—पूर्ण विराम (।)—सामान्यतः वार्तालाप करते समय एक वाक्य की समाप्ति पर थोड़ी देर के लिए रुका जाता है अर्थात् विराम दिया जाता है। तत्पश्चात् दूसरा वाक्य आरंभ किया जाता है। इसे ही प्रकट करने के लिए पूर्ण विराम चिह्न (।) का प्रयोग होता है।

प्रश्नवाचक (?) तथा विस्मयादिबोधक (!) वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम (।) का प्रयोग किया जाता है।

उदाहरण—

1—मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है।

2—दीपक विद्यालय चला गया।

2—अर्द्ध विराम (;)— जब पूर्ण विराम की तुलना में अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए रुका जाता है, वहाँ अर्द्ध विराम चिह्न (;) का प्रयोग किया जाता है। जब अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकने की आवश्यकता हो तब इसका प्रयोग किया जाता है;

जैसे—ध्यान से पढ़ो; परीक्षा निकट है।

हर्ष देर से सोकर उठा; नहाकर नाश्ता किया; अपनी साइकिल उठाई और विद्यालय की ओर चल पड़ा।

3—अपूर्ण या उपविराम (:)— जब किसी कथन को पृथक् करके दिखाना हो, तो वहाँ उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है; जैसे—वाराणसी : एक धार्मिक और प्राचीन नगरी।

विशेष—

इसका प्रयोग प्रायः शीर्षक आदि में किया जाता है। जैसे—‘टैगोर और गाँधी : एक तुलनात्मक अध्ययन’ ‘भारत में चालीस साल : पुनर्विचार और सिंहावलोकन’

4—अल्प विराम (,) — वाक्य के मध्य में जब अर्द्ध विराम की अपेक्षा कुछ कम समय के लिए विराम दिया जाता है, तब अल्प विराम (,) चिह्न का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में देखा जा सकता है।

✿ किसी वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद वाले शब्दों या पदबन्धों में पृथक्ता (अलगाव) प्रदर्शित करने के लिए; जैसे—मैंने चिड़ियाघर में भालू, शेर, मोर, बंदर, चीता, हाथी आदि जानवरों को देखा।

✿ हाँ/नहीं के उपरांत; जैसे—नहीं, सचमुच नहीं।

हाँ—हाँ वही शहर है हल्ला मचा हुआ है।

✿ शब्दों/वाक्यांशों की पुनरावृत्ति होने की स्थिति में;

जैसे—हाँ, हाँ, मुझे भी यही पता चला है कि रमन दिल्ली गया है।

माँ, माँ, दरवाजे पर कोई आया है।

✿ अन्य उदाहरण पाठ्य—पुस्तकों में जहाँ—तहाँ देखे जा सकते हैं।

✿ उद्धरण चिह्न से पहले; जैसे—सुभाषचन्द्र बोस ने कहा, “तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा।”

5. प्रश्नवाचक (?)—

आपके साथ कौन—कौन विद्यालय जाता है ?

बुढ़िया ने पूछा— कहाँ जाते हो ?

कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है ?

उपर्युक्त वाक्यों में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिह्न का प्रयोग हुआ है अर्थात् प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिह्न (?) का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्नवाचक चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है—

(क)—जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों; जैसे—क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, कौन आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछा जाता है वहाँ प्रश्नवाचक चिह्न का प्रयोग होता है; जैसे—

आपका नाम क्या है ?

आप विद्यालय कब जाते हैं ?

आपने पाठ क्यों याद नहीं किया ?

मोहन कहाँ रहता है ?

आप कितने भाई—बहन हैं ?



(ख)—जब सामान्य विधानवाचक वाक्य को संदेह, प्रश्न या अनिश्चय के भाव के साथ उतार—चढ़ाव में परिवर्तन कर बोला जाता है, तो वहाँ भी पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिह्न का प्रयोग किया जाता है; जैसे—

तुम यहाँ से जा तो नहीं रहे ?

तुम वही तो नहीं, जो कुछ दिन पहले यहाँ आए थे ?

इसे भी जानें—



1—जब प्रश्नवाचक शब्द संबंध सूचक के समान कार्य करता है तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिह्न न लगाकर पूर्णविराम चिह्न लगाया जाता है; जैसे—

★ क्या बताऊँ, मैं इसकी बातों में आ गया ।

★ अरे मूर्ख ! यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था, हो चुका ।

कक्षा—9 पाठ—2 'मंत्र'

2—जब प्रश्नवाचक शब्द डाँटने—फटकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं—

★ क्या बकवास (व्यर्थ की बात) कर रहे हो, जाओ यहाँ से ।

6. विस्मयादिबोधक चिह्न (!)

हे राम! मेरा दुख दूर करो ।

✿ हे ईश्वर! सबका कल्याण हो ।

✿ धिक्कार है तुम्हें!

✿ वाह! तुम्हारा क्या कहना ।

✿ हाय! ये मैंने क्या किया ।

✿ शाबाश! बहुत अच्छा खेला तुमने।

✿ काश! कोरोना वायरस नहीं आया होता तो विद्यालय बंद न होता।

✿ छिः! कितनी गंदी जगह है।

✿ अरे! कितना बड़ा वायुयान।

उक्त वाक्यों में दुःख (हे राम, हे ईश्वर, हाय), आश्चर्य (अरे), हर्ष (शाबाश) आदि मनोभाव व्यक्त हो रहे हैं।

जहाँ पर उपर्युक्त भाव हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, व्यथा, प्रसन्नता, स्तब्धता आदि भावों का बोध होता है, वहाँ विस्मयादिबोधक चिह्न (!) का प्रयोग होता है।

सामान्यतः विस्मय, घृणा, हर्ष, शोक, भय आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिह्न (!) का प्रयोग किया जाता है।

(भावानुरूप गतिविधि द्वारा वाक्यों का अभ्यास कराया जाएगा)

✿ वाह कितना सुंदर बगीचा है!

✿ अरे तुम कब आए!

✿ चुप! लगता है कोई आ रहा है।

✿ जी हाँ! मैं वही हूँ, जिससे आपकी बात हुई थी।

(उपर्युक्त वाक्यों में विराम चिह्नों का प्रयोग करिए)

7. निर्देशक चिह्न (—) इसे रेखा या रेखिका चिह्न भी कहते हैं। यह योजक चिह्न की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है।

✿ तुम्हारी बात—बात नहीं, करामात है।

✿ हमें चिन्ता है कि—आपके दर्शन नहीं होंगे।

✿ वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थीं—साध्वी, सरल, क्षमामयी, और सबके प्रति ममतामयी।

उपर्युक्त वाक्यों में निर्देशक चिह्न (—) का प्रयोग निम्न स्थितियों में हुआ है—

किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए दिए गए शब्दों के पूर्व निर्देशक चिह्न का प्रयोग होता है।

✿ प्रधानाध्यापक ने कहा—कल विद्यालय में अवकाश है।

✿ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा—सुभाष चन्द्र बोस।

✿ विनोद—रात न जाने क्यों बुखार हो गया।

✿ व्याख्या कीजिए—अहिंसा परमो धर्मः।

संवादों/वार्तालापों में नामों के तुरंत बाद निर्देशक चिह्न (—) का प्रयोग होता है।

8. योजक चिह्न (—)

गंगा—यमुना

आर—पार

घर—द्वार

माता—पिता

मान—मर्यादा

दीन—दुखी

धीरे—धीरे

मानना—मनवाना

यहाँ हम देख रहे हैं कि योजक चिह्न सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है।

योजक का अर्थ है— जोड़ने वाला।

इसके लिए निर्देशक चिह्न से छोटा चिह्न (—) योजक चिह्न लगाया जाता है।

योजक चिह्न (—) का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है—

1— जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हों तथा जिनमें 'और' अनुक्त या लुप्त हो, वहाँ योजक चिह्न लगाया जाता है; जैसे—

सीता—राम	सीता और राम
राधा—कृष्ण	राधा और कृष्ण
घर—द्वार	घर और द्वार
दाल—रोटी	दाल और रोटी
फल—फूल	फल और फूल

अन्य उदाहरणों द्वारा गतिविधियाँ —

दही — बड़ा	दही और बड़ा
-----	-----
-----	-----
-----	-----

2— दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिह्न (—) लगाया जाता है; जैसे—

माता—पिता
रात—दिन
आकाश—पाताल
पाप—पुण्य
लाभ—हानि

अन्य उदाहरण—

अमीर— — — —
शुभ— — — —
— — — — विदेश
— — — — सच

3—द्वन्द्व समास में कभी—कभी ऐसे पदों का भी प्रयोग होता है, जिनके अर्थ प्रायः समान होते हैं। ये पद बोल—चाल में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे पदों के बीच योजक चिह्न लगाया जाता है। ये 'एकार्थबोधक सहचर शब्द' कहलाते हैं।

उदाहरण—

मान—मर्यादा
दीन—दुखी
सेठ—साहूकार
भूल—चूक
साग—पात



गतिविधि—

चमक— — — — —
कूड़ा— — — — —
— — — — चलन

भूत- - - - -

4- जब दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में प्रयोग हो, वहाँ योजक चिह्न (-) लगता है; जैसे-

खट्टा-मीठा

भूखा-प्यासा

थका-हारा

 गतिविधि-

मोटा-पतला

छोटा-बड़ा

- - - - -

- - - - -

5- जब दो शब्दों में से एक सार्थक तथा दूसरा निरर्थक हो, तो वहाँ भी योजक चिह्न (-) लगाया जाता है; जैसे-

खाना-वाना

रोटी-वोटी

अनाप-शनाप

 गतिविधि-

गाना- - - - -

पानी- - - - -

- - - - -

- - - - -

6- जब दो क्रियाएँ एक साथ प्रयुक्त हों, तब दोनों के बीच योजक चिह्न (-) लगता है; जैसे-

पढ़ना-लिखना

उठना-बैठना

खाना-पीना

 गतिविधि-

रोना- - - - -

आना- - - - -

- - - - -जागना

- - - - -

7- क्रिया के मूल रूप के साथ आई प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच भी योजक चिह्न (-) का प्रयोग किया जाता है; जैसे-

उड़ना-उड़ाना

पीना-पिलाना

गिरना-गिराना

सीखना-सिखाना

 गतिविधि-

चलना-चलाना

फैलना- - - - -

ओढ़ना- - - - -

लिखना- - - - -

8—दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच भी योजक चिह्न (—) का प्रयोग किया जाता है; जैसे—

भिगाना—भिगवाना

डराना—डरवाना

चलना—चलवाना

हँसना—हँसवाना

 गतिविधि—

कटाना— — — —

जिताना— — — —

— — — — मिटवाना

9— जब एक ही संज्ञा दो बार प्रयुक्त हो तब उनके बीच योजक चिह्न (—) लगाया जाता है। इसे द्विरुक्ति कहते हैं; जैसे—

गली—गली

गाँव—गाँव

घर—घर

नगर—नगर

 गतिविधि—

चप्पा—चप्पा

कण—कण

शहर—शहर

— — — —

10—परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अव्ययों तथा 'ही', 'से', 'का', 'न' आदि के बीच योजक चिह्न (—) का प्रयोग किया जाता है; जैसे—

थोड़ा—बहुत

बहुत—बहुत

आप—ही—आप

ऐसा—वैसा

 गतिविधि—

कम—कम

ज्यों—का—त्यों

कुछ—न—कुछ

— — — —

— — — —

11— जब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के दो पद एक साथ प्रयुक्त हों, तब दोनों के बीच योजक चिह्न लगता है; जैसे—

दो—चार

चार—चार

पहला—दूसरा

 गतिविधि—

तीन—पाँच

दस—बीस

चौथा—पाँचवाँ

— — — —

12—अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे—बहुत—सी बातें तथा गुणवाचक विशेषण, जैसे—बड़ा—सा पेड़ आदि की भाँति जब 'सा', 'से', 'सी' शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ सा, से, सी के पूर्व योजक चिह्न (—) का प्रयोग किया जाता है; जैसे—

(क) अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण—

बहुत—से लोग
कम—से कम
थोड़ा—सा काम

 गतिविधि—

बहुत—से लोग
बहुत—से रुपये

(ख) गुणवाचक विशेषण—

बड़े—से बड़े लोग
छोटा—सा आदमी
बड़ा—सा लड़का

 गतिविधि—

ठिगना—सा आदमी
अच्छे—से अच्छे लोग

13—जब दो शब्दों के बीच संबंध कारक के चिह्न 'का', 'की', 'के' लुप्त हों, तब दोनों पदों के बीच योजक चिह्न (—) लगाया जाता है। ऐसे शब्दों को हम संधि या समास के नियमों से अनुशासित नहीं कर सकते। इनके दोनों पद स्वतंत्र होते हैं; जैसे—

शब्द—सागर = शब्द का सागर
लेखन—कला = लेखन की कला
शब्द—भेद = शब्द के भेद

 गतिविधि—

मुक्ति—पथ
राष्ट्र—भाषा

 इसे भी जानें—

लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति के अंत में पूरा न लिखा जा सके तो उसके पहले आधे खंड को पंक्ति के अंत में लिखकर योजक चिह्न (—) लगाया जाता है; जैसे—हम सभी को निर्भर होना चाहिए।

9. उद्धरण चिह्न (“ ”)—

यह चिह्न दो प्रकार का होता है—

✿ इकहरा उद्धरण चिह्न (‘ ’)

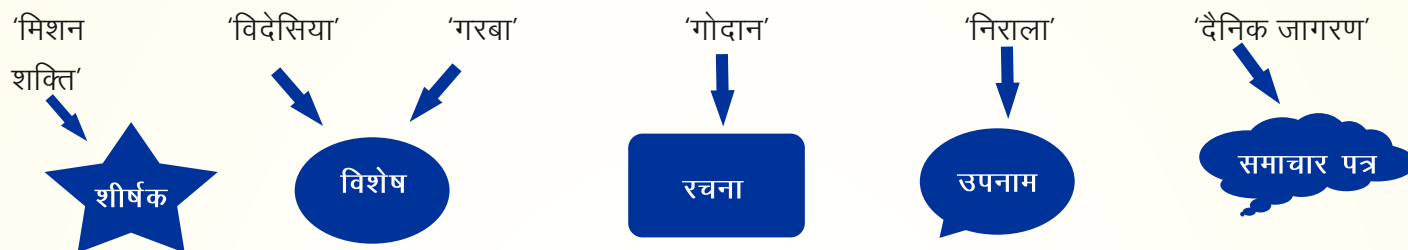
✿ दोहरा उद्धरण चिह्न (“ ”)

इकहरा उद्धरण चिह्न—

✿ भोजपुरी में पिछले अनेक वर्षों से 'विदेसिया' का खूब प्रचार हुआ है।

- ✿ गुजरात का लोकनृत्य 'गरबा' है।
- ✿ 'गोदान' मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है।
- ✿ सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे।
- ✿ 'दो बूँद जिन्दगी की'

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि, जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्यखंड आदि उद्धृत किए जाएँ, वहाँ इकहरे उद्धरण चिह्न (' ') प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, शीर्षक आदि स्थानों पर इकहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग होता है।



दोहरे उद्धरण चिह्न—(" ")

किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए 'दोहरे उद्धरण चिह्न' का प्रयोग किया जाता है।

- 1—“जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान”—अटल बिहारी वाजपेयी
- 2—“वेदों की ओर लौटो”—स्वामी दयानंद सरस्वती
- 3—“विजयी विश्व तिरंगा प्यारा”—श्यामलाल गुप्त

जैसे—कहावतों को उद्धृत करने के लिए भी दोहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है। **जैसे**—वाक्य संख्या 4,5,6

- 4—“अंधेर नगरी चौपट राजा”
- 5—“जैसा देश वैसा वेश”
- 6—“जिसकी बिल्ली उसी से म्याऊँ”

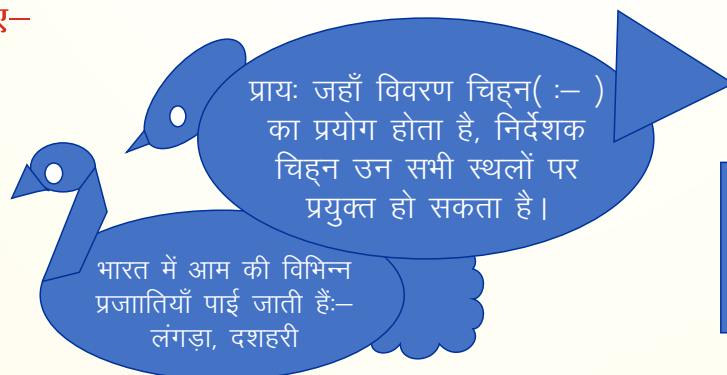
7—जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण उद्धृत किया जाए, वहाँ दोहरे उद्धरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है; “जैसे — भगत ने चौंककर कहा— चड़ढा बाबू के लड़के को ! वही चड़ढा बाबू हैं ना, जो छावनी के बँगले में रहते हैं ?”

लिंग दो प्रकार के होते हैं :—

पुंल्लिंग

स्त्रीलिंग

इसे भी जानिए—



मुंशी प्रेमचंद की रचनाएँ निम्नलिखित हैं:—गोदान, गबन, पंचपरमेश्वर

11. कोष्ठक चिह्न () :—

1—इस चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है—

(क) किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए; जैसे—

✿ प्रयागराज (इलाहाबाद) संगम नगरी के नाम से प्रसिद्ध है।

✿ डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम (मिसाइल मैन) का जन्म रामेश्वरम् में हुआ था।

वर्णों के ऊपर लगे बिन्दु (—) को अनुस्वार तथा चन्द्र बिन्दु (̣) को अनुनासिक कहते हैं।

✿ अपठित—(जो पहले पढ़ा न गया हो।)

(ख) क्रमसूचक अंकों एवं अक्षरों को शब्द से अलग दर्शाने के लिए; जैसे—

भारत की प्रमुख नदियाँ—(1) गंगा, (2) यमुना (3) — — — (4) — — —

अष्ट सिद्धि—(आठ सिद्धियाँ) (1) अणिमा (2) महिमा (3) गरिमा (4) लघिमा (5) प्राप्ति (6) प्राकाम्य (7) ईशित्व (8) वशित्व

जीवनोपयोगी प्रसिद्ध उक्तियाँ —

(अ) 'अहिंसा परमोधर्मः।'

(ब) 'परहितं परमं धर्मं नहिं भाई।'

(स) 'मातृ देवो भव', 'पितृ देवो भव', 'आचार्य देवो भव।'

(द) 'निज भाषा उन्नति अहै।'

 **गतिविधि**—प्रतिभागी/विद्यार्थी द्वारा किया जाने वाला अभ्यास कार्य।

(क) हमारे देश में प्रसिद्ध खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक, सैनिक, पर्वतारोही, अभिनेता, गायक, लेखक हुए हैं। (कॉमा का हटा दें)

(ख) कोलकाता कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है।

(ग) चिड़ियाघर में विभिन्न पशु-पक्षी थे; जैसे—शेर, चीता — — — (चिह्न हटा दें)

(घ) लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशालकाय प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से प्रसिद्ध है।

प्रतिभागियों द्वारा उपर्युक्त वाक्यों में उचित स्थान पर कोष्ठक विराम चिह्न का प्रयोग कराया जाएगा।

12. लाघव चिह्न— (०)

— हमारा देश 15 अगस्त सन् 1947 ई० को स्वतंत्र हुआ था।

— डॉ० राजेन्द्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे।

— 'सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा'—मो० इकबाल

— आपका मो० न० क्या है?

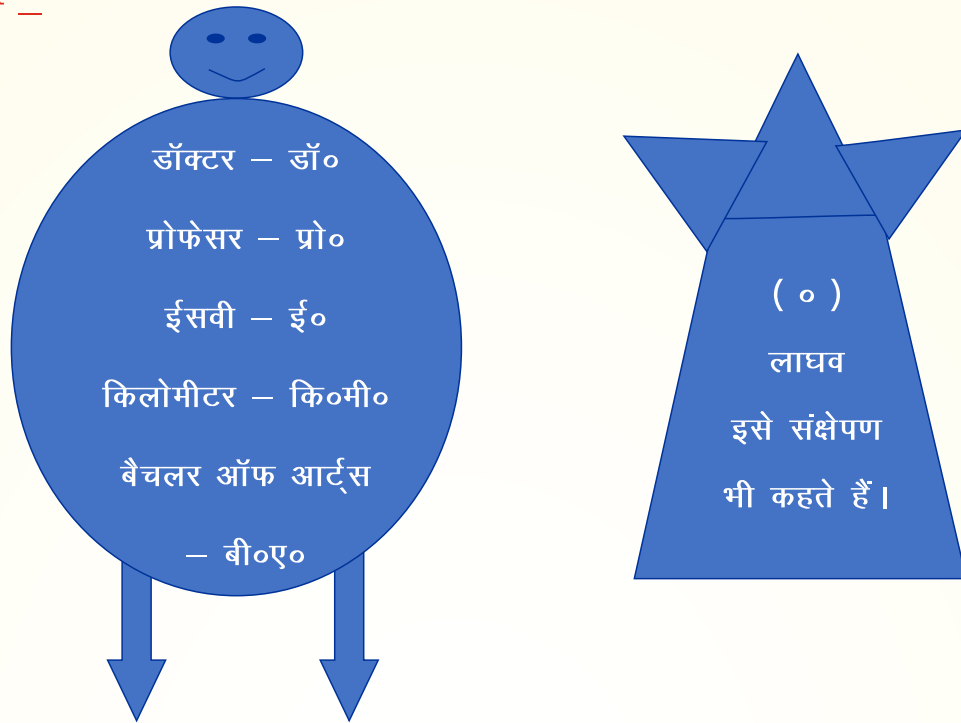
— कृपया पृष्ठ उलटिए— कृ० प० ३०।

— सुहानी के घर से विद्यालय 5 कि०मी० दूर है।

उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर स्पष्ट हो रहा है कि ये शब्द मूल शब्दों के संक्षिप्त (छोटे) रूप हैं।

अतः स्पष्ट है कि, किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिह्न (०) का प्रयोग किया जाता है। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए शब्द का कुछ अंश लिखकर लाघव चिह्न लगा दिया जाता है।

इन्हें भी देखें –



कुछ अन्य विराम चिह्न—

प्रमुख विराम चिह्नों के अतिरिक्त कुछ अन्य विराम चिह्नों का प्रयोग भी हिन्दी भाषा में होता है, जो निम्नवत् हैं—

1— हंसपद चिह्न (˘)— जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर छूट जाता है, तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंसपद चिह्न (˘) का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं; जैसे—

प्रसिद्ध

रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है।

कुशल

रोशनी धाविका है।

मित्र

दिनेश और विनोद घनिष्ठ हैं।

2- पुनरुक्ति चिह्न (")— पुनरुक्ति चिह्न का प्रयोग ऊपर लिखे किसी शब्द या वाक्य को बार-बार लिखने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए किया जाता है।

उदाहरण—

क्र०स०	छात्रों का नाम	बालक/बालिका	कक्षा
1	रीना	बालिका	6
2	रोहिणी	"	"
3	भावना	"	"
4	राकेश	बालक	"
5	पुलकित	"	"
6	रोहन	"	"

सामग्री	मात्रा
बेसन	1 किग्रा०
सूजी	" "
चना	" "
चीनी	" "
दाल	" "
नमक	1 पैकेट
बिस्किट	" "

3-तुल्यतासूचक चिह्न (=)— किसी शब्द तथा गणित के अंकों के मध्य तुल्यता (समानता, बराबरी) दर्शाने के लिए तुल्यतासूचक चिह्न का प्रयोग किया जाता है;

जैसे— जनक=पिता

जननी=माता

$$5 + 5 = 10$$

1 – विराम चिह्नों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अभ्यास प्रश्नों को छात्रों की सहायता से पूरा करें –

✿ हम भारतीय हैं

✿ आलोक कक्षा में चलो

✿ शाबाश बहुत बढ़िया हौं तुमने कर दिखाया

✿ सभी जानवर इधर उधर छिप गए

✿ नेहा कहाँ रहती है

- ✿ होइहैं वही जो राम रचि राखा
- ✿ भारतीय संविधान सन् 1950 को लागू हुआ था।
- ✿ रसोइया सफाईकर्मी पान विक्रेता किसान रिक्शा चालक राज मिस्त्री फेरीवाला आदि समाज के अभिन्न अंग हैं।
- ✿ डॉ ने मरीज से पूछा क्या तकलीफ है
- ✿ अरे तुम आ गये

2—विराम चिह्न का उचित मिलान कीजिए:—

विराम	चिह्न
प्रश्नवाचक विराम	“ ”
उद्धरण	
पूर्ण विराम	?
अर्द्ध विराम	o
योजक	;
लाघव	—
निर्देशक	()
कोष्ठक	,
अल्प विराम	—

3— उचित विराम चिह्नों का प्रयोग कीजिए—

अश्वारोही पास आया ममता ने रुक रुक कर कहा मैं नहीं जानती कि वह शंहशाह था या साधारण मुगल पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था मैं आजीवन अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही भगवान ने सुन लिया मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ तुम इसका मकान बनाओ या महल मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ।

वर्तनी

अशुद्ध रूप

अवाज
समाजिक
पुनम
इश्वर
रन
विभीषन
परीच्छा

शुद्ध रूप

आवाज
सामाजिक
पूनम
ईश्वर
रण
विभीषण
परीक्षा

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि उच्चारण और लेखन में स्वरों और व्यंजनों के प्रयोग में अनेक प्रकार की त्रुटियाँ मिलती हैं। ये त्रुटियाँ वर्तनी संबंधी सामान्य त्रुटियाँ कही जाती हैं। अंग्रेजी के स्पेलिंग (Spelling) शब्द का प्रयोग हिन्दी में 'वर्तनी' के अर्थ में होता है, जिसका अभिप्राय 'लेखन' से है।

भोलानाथ तिवारी ने 'वर्तनी' शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि **'किसी भी भाषा का कोई शब्द किसी वर्णमाला में जिस रूप में लिखा जाता है, वही उसकी वर्तनी होती है।'**

वर्तनी का आधार शुद्ध उच्चारण है।

मौखिक भाषा विकास के अन्तर्गत छात्र जब भाषा की शब्दों को शुद्ध उच्चारण के साथ सुनता है तो वह भी शुद्धता के साथ बोलने का प्रयास करता है, अन्यथा वह बोलने में भी अशुद्ध उच्चारण करता है और लिखते समय भी त्रुटियाँ करता है।

मानक हिन्दी के वर्तमान स्वरूप को यदि देखा जाए तो उस पर क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत प्रभाव पड़ा है। एक जगह से दूसरे जगह पर प्रवास का असर भी उच्चारण और वर्तनी पर पड़ा है। पंजाबी, हरियाणवी, मराठी, गुजराती, बांग्ला आदि भारतीय भाषाओं का प्रभाव हिन्दी भाषा पर पड़ा है, जिसके कारण उच्चारण और 'वर्तनी' संबंधी त्रुटि देखने को मिलती हैं; जैसे—यदि हम दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में देखें तो 'राजेंद्र नगर' का उच्चारण 'राजिन्दर नगर' करते हैं तथा लेखन में भी करते हैं। स्कूल को सकूल, भोजपुरी प्रदेशों; जैसे—बिहार में घोड़ा को घोरा, घड़ा को घरा आदि त्रुटियाँ उच्चारण और लेखन में मिलती हैं।

इंदिरानगर

—

इन्द्रानगर

जाना

—

जाणा

पेड़

—

पेर

कृष्ण

—

कृष्ण

वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ— वर्तनी अशुद्धि के कारण —

- ✿ शुद्ध उच्चारण एवं अभ्यास की कमी।
- ✿ स्वर तथा स्वर की मात्राओं से संबंधी त्रुटियाँ।
- ✿ व्यंजन संबंधी त्रुटियाँ।
- ✿ लिपि के सम्यक् ज्ञान का अभाव।

✿ मुख—सुख ।

✿ अन्य भाषाओं एवं बोलियों का प्रभाव ।

✿ व्याकरण के नियमों की जानकारी का अभाव ।

✿ भौगोलिक प्रभाव ।

✿ स्थानीय प्रभाव ।

✿ मानक जानकारी का अभाव ।

‘वर्तनी’ संबंधी त्रुटियों के कारण तो बहुत हैं पर कुछ मुख्य कारण हैं जिनका निराकरण करके ही हम बच्चों को वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करने से बचा सकते हैं ।

स्वर संबंधित त्रुटियाँ— हिन्दी भाषा के उच्चारण और लेखन में समानता और शुद्धता है; परंतु क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भाषागत शब्दों के मानक रूप और वर्तनी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जिसके फलस्वरूप वर्तनी में स्वरों के प्रयोग में कई त्रुटियाँ देखी जाती हैं ।

(क) स्वर संबंधी त्रुटियों में कभी—कभी लिखते समय ‘अ’ के स्थान पर ‘आ’ तथा ‘आ’ के स्थान पर ‘अ’ का प्रयोग होता है; जैसे—

अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप
आनाज	अनाज
सामाज	समाज
अवाज	आवाज

(ख) ‘इ’ ‘ई’ संबंधी त्रुटि भी प्रायः लिखते समय होती है । ‘इ’ के स्थान पर ‘ई’ का प्रयोग तथा ‘ई’ के स्थान पर ‘इ’ का प्रयोग होता है; जैसे—

अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप
रवी	रवि
चालिस	चालीस
नानि	नानी
इमान	ईमान
कोटी	कोटि

(ग) ‘उ’ तथा ‘ऊ’ का प्रयोग करते समय भी ‘ऊ’ के स्थान पर ‘उ’ का प्रयोग तथा ‘उ’ के स्थान पर ‘ऊ’ का प्रयोग वर्तनी में हो जाता है; जैसे—धूल का धुल, खुलना का खूलना, चूहा का चुहा, पूज्य का पुज्य आदि स्वर संबंधी त्रुटियाँ लिखते समय बच्चों द्वारा होती हैं । ऐसी अनेक त्रुटियाँ छात्र उच्चारण में भी करते हैं, जिसे बार—बार अभ्यास करा कर सुधारा जा सकता है; जैसे—

अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप
रुचि	रुचि
दयालू	दयालु
अजमाइश	आजमाइश
क्योंकी	क्योंकि
कालीदास	कालिदास
तिर	तीर
फुल	फूल

गतिविधि-1. निम्नलिखित शब्दों को बोलकर लिखवाएँ—

चालीस.....
स्वरूप.....
कवयित्री.....
उधर.....
आसमान.....
प्रीति.....
गुरु.....
आगामी.....
अतिथि.....
दुकान.....

विशेष—ऐसे ही अन्य शब्दों का अभ्यास छात्रों से कराया जा सकता है।

गतिविधि-2. निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करें—

एनक.....
आमरुद.....
अकार.....
ईमारत.....
दिपावली.....
हीरन.....
तिल्कनगर.....
वाल्मिकी.....
तिथी.....
कवी.....
बिबाह.....
समाधी.....

विशेष—उपर्युक्त की तरह ही अन्य शब्द छात्रों को देकर उनकी वर्तनी संबंधी त्रुटि को सुधारा जा सकता है।

व्यंजन संबंधी त्रुटियाँ—कुछ व्यंजन वर्णों के प्रयोग में भी प्रायः गलतियाँ होती हैं; जैसे—‘ण’ और ‘न’, ‘क्ष’ और ‘छ’, ‘व’ और ‘ब’, ‘ट’ और ‘ठ’, ‘ण’ और ‘ड़’, ‘य’ और ‘ज’ आदि। इन त्रुटियों के पीछे के कारण हैं— वर्ण, प्रयोग की जानकारी का न होना, शुद्ध-उच्चारण संबंधी ज्ञान का अभाव तथा अंग्रेजी वर्तनी प्रभाव आदि।

(क) “ण” और “न”—‘ण’ ध्वनि प्रायः तत्सम शब्दों में मिलती है। खड़ी बोली में कहीं—कहीं ‘ण’ का ‘न’ भी हो जाता है। इसी कारण बच्चा अधिकांशतः ‘ण’ के स्थान पर ‘न’ और ‘न’ के स्थान पर ‘ण’ का प्रयोग कर देता है; जैसे—

अशुद्ध

रन

रामायन

शुद्ध

रण

रामायण

रोहिणी
कृष्ण

रोहिणी
कृष्ण

 **इसे भी जानें—**

नियम

उदाहरण

1. 'ऋ' के तुरंत बाद 'न' हो तो 'न' 'ण' में बदल जाता है।
2. 'र' और 'ष' के तुरंत बाद आने वाले 'न' का 'ण' हो जाता है।

ऋण

उष्ण, रण

3. यदि 'र' 'ष' के बाद कोई स्वर वर्ण, य, र, व, ह तथा क वर्ग और प वर्ग का कोई वर्ण हो उसके बाद 'न' हो तब भी 'न' का 'ण' हो जाता है।

रामायण, रोहिणी, श्रवण

4. किंतु यदि इनसे कोई भिन्न वर्ण आए तो 'न' का 'ण' नहीं होता है।

रचना, अर्चना, प्रार्थना

5. कुछ तत्सम शब्दों में स्वभावतः 'ण' होता है।

बाण, वीणा, गण, गुण, कण, कोण

(ख) 'क्ष' और 'छ'—'क्ष' संयुक्त व्यंजन है जबकि 'छ' स्वतंत्र व्यंजन है। इन दोनों के उच्चारण में भिन्नता होते हुए भी प्रायः समान उच्चारण की भूल हो जाती है; जैसे—

अशुद्ध

शुद्ध

शिच्छा

शिक्षा

छेत्र

क्षेत्र

समीच्छा

समीक्षा

रच्छक

रक्षक

वृच्छ

वृक्ष

 **गतिविधि—**बच्चों को 'छ' और 'क्ष' से निर्मित दस-दस शब्द लिखने को कहें—

छ

.....
.....
.....
.....
.....

क्ष

.....
.....
.....
.....
.....

(ग) बच्चे 'ब' और 'व' के लेखन में भी भूल कर जाते हैं। हिन्दी में 'व' के अपेक्षा 'ब' युक्त शब्द का प्रयोग अधिक होता है, किंतु कभी-कभी 'ब' का 'व' भी हो जाता है; जैसे—

अशुद्ध

शुद्ध

बानर

वानर

बयस्क

वयस्क

वर्बर

बर्बर

बिकास
बिदेश

विकास
विदेश

 **गतिविधि—** 'व' और 'ब' से युक्त सार्थक शब्दों पर घेरा बनाए —

बे	घ	र	त	ब	ला	न	बी
स	व	वि	हा	र	त्र	कु	स
व	ज	ह	व	ब	कु	न	बा
न	ह	ल	धू	स	सु	ब	ह

(घ) श, ष और स—इन वर्णों के प्रयोग में प्रायः बच्चों को भ्रम होता है और वे गलतियाँ कर जाते हैं; जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध
प्रशाद	प्रसाद
कलस	कलश
ऋसि	ऋषि
शंसय	संशय
सोडश	षोडश

 **गतिविधि—**

1. 'श' 'ष' और 'स' वर्णों के प्रयोग से पाँच-पाँच शब्द बनाएँ—

श

.....

.....

.....

.....

ष

.....

.....

.....

.....

स

.....

.....

.....

.....

2. दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करें—

स्याम, षोषण, प्रसंशा, विस्तार, वृष्टि, कलस, शुशील, आशीस।

 **इसे भी जानें—**

- संधि में विसर्ग (:) के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ आए तो विसर्ग 'ष' हो जाता है।
- 'ट' वर्ग के पूर्व केवल 'ष' आता है।
- 'ऋ' के बाद 'ष' आता है।
- 'अ' 'आ' से भिन्न स्वर के बाद 'स' हो तो वहाँ 'स' का 'ष' हो जाता है।

(च) 'ण' और 'ड़'—इन वर्णों को लिखने में भी प्रायः गलतियाँ होती हैं; जैसे—गुड़ के स्थान पर गुण, गुण के स्थान पर गुड़, बेणी के स्थान पर वेणी, रुग्ण के स्थान पर रुड़ कर देते हैं। 'ण' के उच्चारण नासिका का सहयोग लिया जाता है जबकि 'ड़' का उच्चारण नासिक रहित होता है।

 **गतिविधि—** 1. बच्चों से श्यामपट्ट पर इन वर्णों द्वारा बने शब्दों को लिखवाएँ—

ण	ड़
कण	पेड़
क्षण	छड़
रण	घड़ा
प्रण	लड़की

2. 'ण' और 'ड़' से बने शब्दों को बोलकर छात्रों को सुनाएँ और उन्हें अनुकरण वाचन करने के लिए कहें।

(छ) ढ और ढ़—ढ और ढ़ दोनों मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। इनके प्रयोग में भी प्रायः गलतियाँ होती हैं; जैसे—

अशुद्ध

शुद्ध

मेढक

मेढक

पढना

पढना

कढाई

कढाई

 **गतिविधि—** छात्रों द्वारा पाठ्यपुस्तक से इन वर्णों से शब्दों को ढूँढ़कर अलग-अलग लिखने के लिए कहा जाएगा।

ढ

.....

.....

.....

ढ़

.....

.....

.....

(ज) 'ज्ञ' का उच्चारण—'ज्ञ' संयुक्त व्यंजन है, जो ज् + ज्ञ के योग से बना है। इसका उच्चारण अलग-अलग क्षेत्रों में अग्यौ, अग्यौ, ग्यौ, ग्यौ के रूप में होने लगा है, जिससे लेखन में भी गलतियाँ होने लगी हैं; जैसे—

अशुद्ध

शुद्ध

ग्यौन

ज्ञान

आग्यौ

आज्ञा

अग्यौत

अज्ञात

विग्य

विज्ञ

 **गतिविधि—**

1. बच्चों को इन शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराएँ।

2. निम्न शब्दों की वर्तनी शुद्ध करने का अभ्यास कराएँ —

आग्यौ.....

अग्यान.....

ग्यौत.....

अग्यौत.....

विग्य.....

ग्यौन.....

वर्तनी संबंधी कुछ विशिष्ट त्रुटियाँ—

(अ) व्यंजन गुच्छ संबंधी त्रुटियाँ—स्वर विहीन व्यंजनों को एक दूसरे से मिलाने में व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होने पर वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ होती हैं; जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध
उज्वल	उज्ज्वल
प्रज्जवलित	प्रज्वलित
मट्ठा	मट्ठा
कर्तव्य	कर्तव्य

(ब) संधिगत वर्तनी की अशुद्धियाँ—संधि होने पर वर्णों के पूर्व रूप में परिवर्तन हो जाता है। संधि के नियम न जानने के कारण ऐसे शब्दों में उच्चारण एवं लेखन की अशुद्धियाँ हो जाती हैं; जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध
उपरोक्त	उपर्युक्त
अत्योक्ति	अत्युक्ति
तदोपरान्त	तदुपरान्त

नियम

उपरि+उक्त=उपर्युक्त इ का य् (यण् संधि)
अति+उक्ति=अत्युक्ति इ का य् (यण् संधि)
तत्+उपरान्त=तदुपरान्त त का द् (व्यंजन संधि)

(स) समासगत वर्तनी की अशुद्धियाँ—

हिन्दी में समास होने पर पूर्व पद यदि दीर्घान्त रहता है तो वह ह्रस्वान्त हो जाता है; जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध
मंत्री—मंडल	मंत्रिमंडल
प्राणी—वृंद	प्राणिवृंद

3. एक विशेषण में प्रत्यय लगाकर पुनः विशेषण बनाना त्रुटिपूर्ण है; जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध
निरपराधी	निरपराध
निर्दोषी	निर्दोष

4. 'मय' के पूर्व संज्ञा शब्द लगता है विशेषण नहीं; जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध
शान्तमय	शांतिमय
गतमय	गतिमय

(द) लिंग, प्रत्यय संबंधी त्रुटियाँ

- ❖ कभी—कभी एक ही शब्द में दो प्रत्यय लगा देने से वह प्रयोग अशुद्ध हो जाता है।
- ❖ 'इक' प्रत्यय लगाने पर प्रथम वर्ण में वृद्धि हो जाती है किंतु इसमें प्रायः त्रुटियाँ देखने को मिलती हैं।
- ❖ पुल्लिङ्ग से स्त्रीलिंग बनाने में भी अज्ञानतावश 'ई' 'इनि' आदि प्रत्यय जोड़ने से शब्द अशुद्ध हो जाते हैं।

✿ विशेषण शब्द से 'ईय' या 'ई' लगाकर विशेषण बनाना त्रुटिपूर्ण है; जैसे—

अशुद्ध	शुद्ध
पिशाचिनी	पिशाची
लोकिक	लौकिक
पूज्यनीय	पूजनीय, पूज्य
भूगोलिक	भौगोलिक
स्माजिक	सामाजिक
सप्ताहिक	साप्ताहिक

गतिविधि—

1. निम्न शब्दों को बच्चों से बोलने तथा लिखने का अभ्यास कराएँ—
साहित्यिक, लौकिक, आवश्यक, पिशाची, ऐतिहासिक आदि।

हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण —

भाषा की वर्तनी से आशय उस भाषा में शब्दों को वर्णों से अभिव्यक्त करने से है, किंतु जब यह अनुभव किया जाने लगा कि एक ही शब्द की भिन्न-भिन्न वर्तनी मिलती है तो इनको अभिव्यक्त करने के लिए किसी सार्थक शब्द की खोज हुई। इन कारणों से ही वर्तनी के मानकीकरण की आवश्यकता अनुभव की गई।

इन सभी कठिनाइयों को दूर करके हिन्दी वर्तनी में एकरूपता लाने के लिए भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने सन 1961 ई० में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। समिति ने अप्रैल 1962 ई० में अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत की, जिन्हें सरकार ने स्वीकृत किया। इन्हें 1967 ई० में 'हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण' शीर्षक पुस्तिका में व्याख्या तथा उदाहरण सहित प्रकाशित किया गया था। स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में विशेष रूप से 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद' द्वारा प्रकाशित हिन्दी की पाठ्यपुस्तकों में वर्तनी के इसी मानक स्वरूप का प्रयोग किया जा रहा है।

हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण निम्न बिंदुओं से स्पष्टतः समझा जा सकता है—

1. **संयुक्त वर्ण**— खड़ी पाई या अंत पाई वाले वर्णों का संयुक्त रूप

ख—ख्याति, सख्त, ख्वाब

ग—ग्यारह, ग्राम, ग्लानि, लग्न, भग्न

घ—घ्राण, विघ्न, शत्रुघ्न

च—च्यवन, च्युत

ज—ज्वार, वज्र

ण—नगण्य, कण्व, अक्षुण्ण

त—कुत्ता, त्याग, महत्व, तत्त्व

थ—कथ्य, पथ्य, तथ्य

ध—ध्यान, मध्य

न—न्यास, अन्न, विपन्न

य—प्यास, प्रकट, प्यार

ब—ब्यौरा, ब्रज, डिब्बा

भ—लभ्य, भ्रम, भृत्य

म—म्यान, नम्र, म्लान, सम्मान

ल—मूल्य, मल्ल

श—श्मशान, श्लेष

ष—पुष्कर, षष्ठ, विष्णु, अष्ट

स—स्टॉक, स्त्री, स्थान, स्याम

2. मध्य पाई वाले व्यंजन—

क—क्यारी, वक्ता, क्रम, हुक्म

फ—फ्रेम, फ्राक, दफ़्तर, गफ़फ़ार

3. बिना पाई वाले वर्ण—

ड—वाङ्मय, दिङ्नाग

ट—ट्रक, लट्ठा, पट्ठा, गट्ठर

ड—ड्रामा, ड्राइवर, ड्योढ़ी, बुड्ढा

द—विद्या, द्रव, द्युति, दृष्टि

ह—हृदय, आह्लाद, ब्रह्मा

4. क और फ / फ़ के संयुक्ताक्षर—क और फ के शृङ्खिका को हटाकर ही संयुक्ताक्षर बनाए जाएँ; जैसे—संयुक्त, दफ़्तर, पक्का आदि की तरह बनाएँ न कि संयुक्त, पक्का, दफ़्तर की तरह।

5. ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, ह, द के संयुक्ताक्षर हल चिह्न लगाकर ही बनाए जाएँ; जैसे—वाङ्मय, लट्ठ, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा आदि।

6. संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे; जैसे—प्रकार, राष्ट्र, धर्म।

कारक चिह्न या परसर्ग—

1. हिन्दी के कारक चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में अलग से लिखे जाएँ; जैसे—राम ने, राम को, स्त्री का, सेवा में आदि। किंतु सर्वनाम शब्दों में ये चिह्न मिलाकर लिखे जाएँ जैसे—तूने, आपने, तुमसे, उसने, उसपर, मुझसे आदि। (मेरे को, मेरे से आदि रूप व्याकरण सम्मत नहीं हैं।)

2. सर्वनामों के साथ यदि दो कारक चिह्न हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाए; जैसे—उसके लिए, इसमें से।

योजक चिह्न (—)(हाइफन)

1. द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए; जैसे—राम—लक्ष्मण, चाल—चलन, लेन—देन, खाना—पीना, खेलना—कूदना, आना—जाना आदि।

2. सा, से, सी आदि से पूर्व योजक चिह्न (—) रखा जाए; जैसे—तुम—सा, चाकू—से।

3. इसी तरह यदि 'अ—नख' (बिना नख का) समस्त पद में योजक चिह्न (—) न लगाया जाए तो उसे 'अनख' पढ़े जाने से 'क्रोध' का अर्थ भी निकल सकता है। अन्—अति (नम्रता का अभाव), अनति (थोड़ा), अ—परस (जिसे किसी ने छुआ हो) : अपरस (एक चर्मरोग) आदि समस्त पदों की भी यही स्थिति है। ये सभी युग्म वर्तनी और अर्थ, दोनों दृष्टियों से भिन्न—भिन्न शब्द हैं।

अव्यय—

1. 'तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक् लिखे जाएँ जैसे—यहाँ तक, आपके साथ।

2. सम्मानार्थक 'श्री' और 'जी' अव्यय भी पृथक् लिखे जाएँ; जैसे—श्री राम, महात्मा जी आदि। (यदि श्री, जी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही भाग हो तो मिलाकर लिखे जाएँ; जैसे—श्रीराम, रामजी लाल)

3. समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय जोड़कर लिखे जाएँ; जैसे—प्रतिदिन, प्रतिशत, यथासमय, यथोचित आदि।

अनुस्वार तथा अनुनासिक चिह्न—

1. संस्कृत शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग अन्यवर्गीय वर्णों ('य' से 'ह' तक) से पहले यथावत रहेगा; जैसे—संयोग, संवाद, अंश, कंस, सिंह आदि।
2. संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग म् का सूचक है; जैसे—अहं (अहम्), एवं (एवम्), परं (परम्)।
3. पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में (साथ—साथ) आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा; जैसे—अन्न, सम्मति आदि। (अंन, संमति रूप ग्राह्य नहीं होंगे)
4. हिन्दी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्रबिंदु का प्रयोग अनिवार्य होगा। चंद्रबिंदु के प्रयोग के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है; जैसे—हंस—हँस, अंगना—अँगना, स्वांग—स्वाँग आदि। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए।

विसर्ग (ः)

1. तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है; जैसे—अतः, पुनः, प्रायः, पूर्णतः आदि।
2. दुःसाहस/दुस्साहस, निःशब्द/निश्शब्द के उभय रूप मान्य होंगे। इनमें द्वित्व वाले रूप को प्राथमिकता दी जाए। निःस्वार्थ मान्य है। (निस्स्वार्थ उचित नहीं होगा)

हल् चिह्न (,)

1. (,) को हल चिह्न कहा जाए न कि हलंत। व्यंजन के नीचे लगा हल् चिह्न उस व्यंजन के स्वर रहित होने की सूचना देता है।
2. तत्सम शब्दों का प्रयोग वांछनीय हो तो हलंत रूपों का ही प्रयोग किया जाए, विशेष रूप से तब जब उनसे समस्त पद या व्युत्पन्न शब्द बनते हों; जैसे—प्राक् (प्रागैतिहासिक), वाक् (वाग्देवी), भगवत् (भगवद्भक्ति), तेजस् (तेजस्वी) आदि।

'ऐ' 'औ' का प्रयोग

1. हिन्दी में ऐ (ै), औ (ौ) के प्रयोग दो प्रकार के उच्चारण को व्यक्त करने के लिए होते हैं। पहले प्रकार का उच्चारण 'है' 'और' आदि में मूल स्वरों की तरह होने लगा है, जबकि दूसरे प्रकार का उच्चारण 'गवैया', 'कौवा' आदि शब्दों में संध्यक्षरों के रूप में आज भी सुरक्षित है।
2. अव्वल, कव्वाल, कव्वाली जैसे शब्द प्रचलित हैं। इन्हें लेखन में यथावत रखा जाए।
3. संस्कृत के तत्सम शब्द 'शय्या' को 'शैया' न लिखा जाए।

श्रुतिमूलक 'य', 'व'

1. जहाँ श्रुतिमूलक य, व का प्रयोग विकल्प से होता है वहाँ इनका प्रयोग न किया जाए अर्थात् किए—किये, नई—नयी, हुआ—हुआ आदि में से पहले रूपों का प्रयोग किया जाए।

जहाँ 'य' श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूलक, स्वरात्मक, परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है; जैसे—स्थायी, दायित्व, अव्ययीभाव आदि (अर्थात् यहाँ स्थाई, अव्यईभाव, दाईत्व नहीं लिखा जाएगा)।

उपर्युक्त अशुद्धियों के निराकरण हेतु मानक वर्तनी संबंधी नियमों का ज्ञान आवश्यक है। इनके निराकरण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं—

- अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना।
- मानक भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना।
- श्रुतलेख और सुलेख का अभ्यास।
- समान उच्चारण वाले वर्णों, ह्रस्व—दीर्घ मात्रा के अंतर को स्पष्ट करना।
- असावधानी, शीघ्रता के कारण लिखने से होने वाली अशुद्धियों की ओर छात्रों का ध्यान आकृष्ट कर इसे दूर करना।

मुहावरे एवं लोकोवित्याँ

“अच्छा किया—अच्छा किया । कलेजा टंडा हो गया, आँखें टंडी हो गयी, लड़का भी टंडा हो गया होगा । तुम जाओ । आज चैन की नींद सोऊँगा । (बुढ़िया से) जरा तमाखू दे—दे । एक चिलम और पीऊँगा, अब मालूम होगा लाला को ! सारी साहिबी निकल जाएगी, हमारा क्या बिगड़ा ? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया ? जहाँ छह बच्चे गये थे , वहाँ एक और चला गया । तुम्हारा तो राज सूना हो जायेगा । उसी के वास्ते सबका गला दबा—दबा कर जोड़ा था न । अब क्या करोगे ? एक बार देखने जाऊँगा, पर कुछ दिन बाद । मिजाज का हाल पूछूँगा ।”

लाल पीला होना — बच्चे को मिट्टी में खेलते देख पिता गुस्से से लाल पीले हो गए ।

ऊँट के मुँह में जीरा — थाली में भोजन देख रमेश ने कहा, कि ये तो ऊँट के मुँह में जीरा है ।

‘ऊँट के मुँह में जीरा’ और ‘लाल पीला होना’ का सामान्य अर्थ ऊँट के मुँह में जीरा देना और चेहरा लाल पीला होना है । जबकि ‘ख’ वर्ग के वाक्यों में शब्दांशों के अर्थ उनके सामान्य अर्थ से भिन्न हैं । ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ है ‘अधिक आवश्यकता में कम वस्तु मिलना’ लाल पीला होना का अर्थ है—‘गुस्सा होना’ ।

इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि कुछ वाक्यों को उनके सामान्य अर्थ से भिन्न विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है ।

मुहावरा— मुहावरा ऐसे शब्दों का समूह है, जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है, अर्थात् जहाँ सामान्य अर्थ से अलग अर्थ का बोध हो; जैसे—‘ईद का चाँद होना’ जो बहुत दिनों पर दिखाई दे उसे ईद का चाँद कहते हैं, क्योंकि ईद का चाँद भी बहुत दिनों पर दिखाई देता है ।

परिभाषा— “जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रुढ़ हो जाता है, उसे मुहावरा कहते हैं; जैसे—गाँठ बाँधना का अर्थ गाँठ बाँधना नहीं बल्कि किसी चीज को याद रखने के अर्थ में प्रयुक्त होता है ।

विशेषताएँ—

1—मुहावरे में धाराप्रवाहिता होने के कारण इसका एक नाम ‘वाग्धारा’ भी है । जैसे—अगर मगर करना, खरी—खोटी सुनाना आदि ।

2—मुहावरे के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में सुंदरता आती है। जैसे—युद्ध में हमारे सैनिकों ने दुश्मनों के 'दाँत खट्टे कर दिए'। यहाँ दाँत खट्टे करने का अर्थ है बुरी तरह हरा दिया।

3—मुहावरे में आने वाले शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़कर अलग ही अर्थ देते हैं। जैसे—'पेट में चूहे दौड़ना' इसका अर्थ है भूख लगना; न कि सचमुच चूहों की उछल-कूद।

4—मुहावरे के शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों में नहीं बदला जा सकता। जैसे— उदर में मूषक दौड़ना नहीं कहा जा सकता। यहाँ पेट की जगह उदर और चूहे की जगह मूषक कर दिया गया है।

5—मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में न होकर वाक्य के अंदर उसी के अंग के रूप में होता है; जैसे—कविता ने इस वर्ष परीक्षा में प्रथम आने के लिए 'आकाश—पाताल एक कर दिया'।

6—मुहावरे का प्रयोग करते समय इनका क्रिया रूप बदल जाता है; जैसे— खाने के लिए जल्दी कुछ दीजिए, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं।

7—प्रयोग करते समय मुहावरे के लिंग तथा वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है; जैसे— 'फूल कर कुप्पा होना' मुहावरे का स्त्रीलिंग में प्रयोग करते समय यह नहीं कहा जाएगा कि वह फूल कर कुप्पी हो गई।

8—मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और चमत्कारपूर्ण हो जाती है। मुहावरों में मानव अंगों, संख्याओं, वस्तुओं और पशु-पक्षियों इत्यादि का प्रयोग बहुतायत होता है, जिनके कुछ प्रचलित उदाहरण इस प्रकार हैं—

अंगों पर आधारित मुहावरे—

- 1—हाथ तंग होना ——— पास में पैसे न रहना
- 2—नजर से उतरना ——— नापसंद होना
- 3—पाँव उखड़ना ——— लड़ाई में टिक न पाना
- 4—गाल फूलाना ——— रूठ जाना
- 5—कमर सीधी करना ——— विश्राम करना
- 6—जबान लंबी होना ——— बातूनी होना
- 7—फूटी आँख न सुहाना ——— नापसंद होना
- 8—सीना तानना ——— मुकाबले को तैयार रहना
- 9—जान हथेली पर रखना ——— जान की परवाह ना करना
- 10—तलवे चाटना ——— खुशामद करना
- 11—नजर पर चढ़ना ——— पसंद आना
- 12—निगाह फेरना ——— बेरुखी दिखाना
- 13—एड़ी रगड़ना ——— बहुत मेहनत करना
- 14—बाल पकड़ना ——— अनुभवी होना
- 15—माथे पर बल पड़ना ——— चेहरे पर क्रोध की झलक होना
- 16—कान खड़े होना ——— चौकन्ना होना

संख्याओं पर आधारित मुहावरे—

- 1—एक से इक्कीस करना ——— वृद्धि करना
- 2—दो-दो हाथ करना ——— लड़ाई झगड़ा करना
- 3—तीन-तेरह होना ——— तितर-बितर होना
- 4—चार दिन की चाँदनी होना ——— थोड़े समय का सुख होना

- 5-छठी का दूध याद आना ---- मुसीबत में पड़ना
- 6-दिमाग सातवें आसमान पर होना ---- अहंकारी होना
- 7-छक्के छुड़ाना ---- हरा देना

पशु संबंधी मुहावरे-

- 1-घोड़े बेचकर सोना ---- निश्चित होकर सोना
- 2-गधे की सींग होना ---- असमर्थ को अधिकार मिलना
- 3-गीदड़ भभकी देना ---- झूठी धमकी देना
- 4-भैंस के आगे बीन बजाना ---- मूर्ख के सामने विद्वत्ता दिखाना
- 5-घड़ियाली आँसू बहाना ---- झूठी सहानुभूति
- 6-कागज का शेर होना ---- दिखावटी बहादुर होना
- 7-सीने पर साँप लोटना ---- ईर्ष्याग्रस्त होना
- 8-आरस्तीन का साँप ---- विश्वासघाती

क्रोध पर आधारित मुहावरे-

- 1-अँगारे उगलना ---- क्रोध प्रकट करना
- 2-आग बबूला होना ---- बहुत क्रोध करना
- 3-आँखें दिखाना ---- धमकाना
- 4-आग में घी डालना ---- क्रोध को भड़काना
- 5-ईंट का जवाब पत्थर से देना ---- दुष्ट को दुष्टता से सबक सिखाना
- 6-खून का प्यासा होना ---- जान लेने को उतारू होना
- 7-धूल चटाना ---- पराजित करना
- 8-बीड़ा उठाना ---- चुनौती स्वीकार करना

अन्य प्रचलित मुहावरे-

- 1-खून के आँसू रोना ---- बहुत व्यथित होना
- 2-गागर में सागर भरना ---- थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना
- 3-गरदन पर सवार होना ---- पीछा ही न छोड़ना
- 4-गिरगिट की तरह रंग बदलना ---- सिद्धांतहीन होना
- 5-गुदड़ी का लाल ---- साधारण घर में जन्मा प्रतिभाशाली व्यक्ति
- 6-गुड़-गोबर होना ---- बात बिगड़ जाना
- 7-गुड़ियों का खेल ---- बहुत आसान काम
- 8-घड़ों पानी पड़ना ---- बहुत लज्जित होना
- 9-घाट-घाट का पानी पीना ---- अनुभवी होना
- 10-घर में गंगा बहना ---- सुविधा होना
- 11-घाव हरा होना ---- भूला दुख याद आना
- 12-घुटने टेकना ---- हार मान लेना
- 13-घड़ियाँ गिनना ---- इंतजार करना
- 14-चिराग लेकर ढूँढना ---- कठिनाई से मिलना

अभ्यास— दिए गए वाक्यों में उचित मुहावरों का प्रयोग करें—

- 1—निखिल अपनी माँ का प्रिय है।
 - 2—इन बच्चों ने मुझे परेशान कर रखा है, पता नहीं कब छुट्टियाँ होंगी।
 - 3—पुलिस को देखते ही चोर भाग गए।
 - 4—बेटी का विवाह करने के बाद वह अब पूरी तरह निश्चिंत हो गया है।
 - 5—परीक्षा में प्रथम आने के लिए सीमा कड़ी मेहनत कर रही है।
- उपर्युक्त के माध्यम से हम बच्चों को मुहावरों के उचित प्रयोग का अभ्यास करा सकते हैं।

लोकोक्ति— यह दो शब्दों से मिलकर बना है 'लोक-उक्ति' अर्थात् किसी क्षेत्र विशेष में कही हुई बात। यह गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलती है। लोकोक्तियों को कहावत भी कहते हैं। यह पूरे वाक्य जैसी होती है तथा एक इकाई के रूप में अर्थ देती है।

परिभाषा—लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं, जिसे अपने कथन की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जैसे—दूध का दूध पानी का पानी—सच और झूठ का ठीक फैसला।

विशेषताएँ—

- 1—लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ये पूर्ण वाक्य होती हैं।
- 2—लोकोक्तियाँ मूल अर्थ के साथ उससे इतर एक विशिष्ट अर्थ देती हैं।
- 3—लोकोक्तियों का प्रयोग आम जनता द्वारा परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ में किया जाता है।
- 4—यह उपदेशात्मक होती हैं।
- 5—वाक्य में प्रयुक्त होने पर इनके लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

भाषा को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से हास्य, क्रोध, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, आदि भावों को सफलतापूर्वक प्रकट किया जा सकता है।

प्रचलित लोकोक्तियाँ—

- 1—अधजल गगरी छलकत जाए ——— ओछा आदमी अधिक दिखाता है
- 2—अपनी—अपनी ढपली अपना—अपना राग ——— मत वैभिन्य होना
- 3—अरहर की टट्टी गुजराती ताला ——— साधारण वस्तु की अधिक सुरक्षा करना
- 4—आँख के अंधे नाम नयनसुख ——— गुण और नाम से मेल ना होना
- 5—उलटा चोर कोतवाल को डाँटे ——— गलती करने वाले का अकड़ना
- 6—एक हाथ से ताली नहीं बजती ——— झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं
- 7—कंगाली में आटा गीला ——— विपत्ति में और विपत्ति पड़ना
- 8—काला अक्षर भैंस बराबर ——— अनपढ़ होना

- 10—दूर के ढोल सुहावने ——— दूर की चीज अच्छी लगती है
 11—सेवा करे सो मेवा पावे ——— सेवा करने का फल हमेशा अच्छा होता है
 12—आम के आम गुठलियों के दाम ——— दोहरा लाभ
 13—ऊँची दुकान फीका पकवान ——— केवल ऊपरी दिखावा करना
 14—थोथा चना बाजे घना ——— ओछे आदमी दिखावा अधिक करते हैं
 15—कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली ——— आकाश पाताल का अंतर
 16—दूध का दूध पानी का पानी ——— झूठ और सच का सही फैसला
 17—मन चंगा तो कठौती में गंगा ——— यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है
 18—बिन माँगे मोती मिले, ——— बिना माँगे अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, माँगने पर
 माँगे मिले न चून साधारण वस्तु भी नहीं मिलती
 19—मुँह में राम बगल में छुरी ——— ऊपर से मीठी बातें और मन में शत्रुता
 20—अंत भला तो सब भला ——— परिणाम अच्छा है तो सर्वोत्तम है
 21—चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए ——— बहुत कंजूस होना
 22—जैसी करनी वैसी भरनी ——— कर्म के अनुसार ही फल मिलता है
 23—साँच को आँच नहीं ——— सच्चे मनुष्य को भय नहीं होता है
 24—अंधा क्या चाहे दो आँखें ——— मनचाही बात हो जाना
 25—ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी ——— विवाद की जड़ को ही मिटा देना
 26—रस्सी जल गई पर बल नहीं गया ——— शक्तिहीन होने पर भी अहंकार न जाना
 27—मान न मान मैं तेरा मेहमान ——— जबरदस्ती गले पड़ना
 28—हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और ——— कहना कुछ और करना कुछ
 29—आप भला तो जग भला ——— भले आदमी को सब भले ही दिखते हैं
 30—बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना ——— अचानक लाभ हो जाना

मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर—

मुहावरा देखने में छोटा होता है, अर्थात् पूरे वाक्य का अंग मात्र होता है और इसमें लाक्षणिक अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे—‘लाठी खाना’ इसमें खाना का अर्थ प्रहार सहना है, क्योंकि लाठी खाने की चीज नहीं है। इसके विपरीत लोकोक्ति में जिस अर्थ को प्रकट किया जाता है वह लगभग पूर्ण होता है। उसमें अधूरापन नहीं होता है। जैसे—‘उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे’ यह वाक्य अधूरा नहीं है।

 **गतिविधि—** नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों का वर्गीकरण हम गतिविधि के माध्यम से करना सीख सकते हैं।

- 1—ऊँची दुकान फीका पकवान
- 2—कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली
- 3—मक्खियाँ मारना
- 4—गले का हार
- 5—ढेर करना

6—नया नौ दिन पुराना सौ दिन

7—जैसी करनी वैसी भरनी

8—रफूचक्कर होना

9—मान—न—मान मैं तेरा मेहमान

10—थाली का बैंगन

लोकोक्तियाँ

1—

2—

3—

4—

5—

मुहावरे

1—

2—

3—

4—

5—

मुहावरे वाक्य में होकर ही सार्थक होते हैं और वाक्य में घुलमिल जाते हैं जबकि कहावतों का प्रयोग वाक्य की भाँति किया जा सकता है। जीवन के अनुभव को अच्छी तरह से व्यक्त करने के लिए लोकोक्तियों और कहावतों का प्रयोग किया जाता है।

नोट—कुछ प्रसिद्ध रचनाकार जैसे मुंशी प्रेमचन्द, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने मुहावरों और कहावतों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है। प्रताप नारायण मिश्र ने मुहावरों और कहावतों का प्रयोग जितना सुंदर किया है वैसा बहुत ही कम लेखकों ने किया है। कहीं—कहीं तो उन्होंने मुहावरों की झड़ी—सी लगा दी है।

उदाहरण—दो एक बार धोखा खाके धोखेबाजों की हिकमत सीख लो और कुछ अपनी ओर से झपकी—फुंदनी जोड़कर उसी की जूती उसी का सर कर दिखाओ तो बड़े भारी अनुभवशाली वरंच 'गुरु गुड़ ही रह गया और चेला शक्कर हो गया' का जीवंत उदाहरण कहलाओगे।

अलंकार

जिस प्रकार आभूषण स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं उसी प्रकार अलंकार भाषा सौंदर्य में वृद्धि करते हैं।
अब हम इन वाक्यों को देखते हैं—

साधारण वाक्य—

1. चंद्रमा की किरणें पानी और धरती पर फैली हुई हैं।
2. वह दिन में तीन बार, तीन-तीन बेर खाती हैं।
3. शाम होने वाली है।
4. हनुमान जी ने पल-भर में लंका को जला कर राख कर दिया।

अलंकारयुक्त वाक्य—

1. चारु चंद्र की चंचल किरणें, खेल रही हैं जल थल में।
2. तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं।
3. उतर रही है संध्या सुंदरी परी-सी।
4. हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग।
लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग।।

हमने देखा कि— अलंकारों के प्रयोग से साधारण कथन में सौंदर्य और आकर्षण की वृद्धि होती है।

अलंकार वाणी का सौंदर्य है। अलंकार का अर्थ है—आभूषण, सजावट या शृंगार। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले गुण/साधन अलंकार कहे जाते हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य सुन्दर और आकर्षक बन जाता है।

‘अलंकार’ में ‘अलम्’ और ‘कार’ दो शब्द हैं। ‘अलम्’ का अर्थ है भूषण और ‘कार’ का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार कह सकते हैं कि—जो अलंकृत या भूषित करे, वह अलंकार है।

अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा गया है—

‘अलम् करोति इति अलंकारः।

अर्थात् अलंकार काव्य का वह तत्त्व है जो उसे अलंकृत (सुशोभित) करता है।

अब हम कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा को देखते हैं—

1 दंडी—‘काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते’।

(काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहे जाते हैं।)

2 वामन — अलं करोति इति अलंकार (जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, वह अलंकार हैं।)

3 केशवदास— जदपि सुजाति सुलच्छनी सुबरन सरस सुवृत्त।

भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्त।।

4 रामचंद्र शुक्ल— भावों के उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी-कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है।

अलंकार के भेद/प्रकार—

क— गुरु पद रज मृदु मज्जुल अंजन।

नयन अमित दृग दोष विभंजन।

इसमें अन्त में ‘न’ वर्ण की समानता के कारण अन्त्यानुप्रास है।

कविता की दूसरी पंक्ति में 'स' वर्ण की आवृत्ति हुई है; जिससे शब्द के स्तर पर कविता की सुंदरता बढ़ गई है।

ख—नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा।

बाह्य आंतरिक प्रकृति सभी सोती रही।।

(प्रथम प्रभात—जयशंकर प्रसाद)

यहाँ कविता की प्रथम पंक्ति में शांत हृदय को नील गगन के समान बताया गया है। यहाँ एक अलग अर्थ हो जाने से कथन का सौंदर्य बढ़ गया है।

इन उदाहरणों में आपने देखा कि काव्य की शोभा कभी शब्दों में होती है और कभी अर्थों में। इसी आधार पर अलंकार दो वर्गों में विभक्त हैं—

1. शब्दालंकार
2. अर्थालंकार

1. शब्दालंकार



2. अर्थालंकार



1. शब्दालंकार— ये शब्दों पर आधारित होते हैं। यदि शब्द के स्थान पर उनका पर्यायवाची रख दें, तो काव्य की सुंदरता और आकर्षण में कमी आ जाती है। शब्द में चमत्कार कई प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। इस कारण शब्दालंकार के कई भेद हो जाते हैं; जैसे—अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि।

अनुप्रास अलंकार— जिस रचना में वर्णों की आवृत्ति के कारण सौंदर्य और चमत्कार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं—

- 1 मुदित महीपति मंदिर आए ।
सेवक सचिव सुमंत बुलाए ।।
(‘म’ और ‘स’ वर्ण की आवृत्ति)
- 2 बँदउ गुरु पद पदुम परागा ।
सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ।।
(‘प’ और ‘स’ वर्ण की आवृत्ति)
- 3 लाली मेरे लाल की जित देखौ तित लाल ।
लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल ।।
(‘ल’ वर्ण की आवृत्ति)
- 4 मधुर मधुर मुस्कान मनोहर
मनुज वेश का उजियाला
(‘म’ वर्ण की आवृत्ति)

गतिविधि-1

- 1—पलैश कार्ड के माध्यम से
उदाहरण—अनुप्रास अलंकार

अनुप्रास अलंकार के प्रकार—

छेकानुप्रास—जहाँ एक या अनेक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति हो—

कानन कठिन भयंकर, भारी,

घोर घाम हिम बारी बयारी ।

‘क’ ‘भ’ ‘घ’ और ‘ब’ वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है ।

वृत्तयनुप्रास—एक साथ अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होने पर वृत्तयनुप्रास होता है ।

तरणि के ही साथ तरल तरंग में ।

तरणि डूबी थी हमारी ताल में ।

‘त’ वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई है ।

श्रुत्यनुप्रास—मुख के एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की जहाँ आवृत्ति हो ।

तुलसीदास सीदत निसिदिन देखत तुम्हारी निटुराई ।

इनमें दन्त्य वर्णों त, स, र, न की आवृत्ति हुई है ।

लाटानुप्रास—जहाँ किसी वाक्य में शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो और अर्थ में कोई अंतर न हो लेकिन अन्वय

करने पर अर्थ बदल जाए, वहाँ लाटानुप्रास होता है।

पूत सपूत तो क्यों धन संचय

पूत कपूत तो क्यों धन संचय

अन्त्यानुप्रास छंद के चरण के अंत में आए हुए वर्णों में समानता होने पर अन्त्यानुप्रास होता है।

तुकांत कविता का यही आधार है; जैसे—

रघुकुल रीति सदा चलि आई,

प्राण जाए पर वचन न जाई।

चरण के अंत में आए वर्ण 'ई' में समानता है इसलिए यहाँ पर अन्त्यानुप्रास है।

यमक अलंकार— जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर अलग-अलग अर्थ दे, वहाँ यमक अलंकार होता है।

1. कनक—कनक ते सौ—गुनी मादकता अधिकाय।

या खाए बौराय नर, वा पाए बौराय।।

कनक—धतूरा

कनक—सोना / स्वर्ण

2. काली घटा का घमंड घटा

घटा—'बादलों के' अर्थ में

घटा—कम होने के अर्थ में

3. जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं

तारे—उद्धार किया।

तारे—आसमान के तारे

4. माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर।

कर का मनका डार दे, मन का मनका फेर।।

मनका—माला के मोती

मन का—मन की भावना

गतिविधि-1

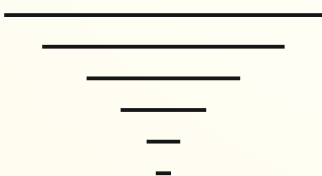
फ्लैश कार्ड के माध्यम से

उदाहरण—यमक अलंकार

“काली घटा का घमंड घटा”

एक शब्द दो या अधिक बार प्रयुक्त

घटा (कम होने के अर्थ में)



एक शब्द के हर प्रयोग पर अलग-अलग अर्थ

घटा (बादल के अर्थ में)



इसे भी जानें—

लाटानुप्रास और यमक में अंतर— लाटानुप्रास में जिन शब्दों की आवृत्ति होती है, उनका अर्थ एक ही होता है। परंतु यमक में अर्थ अलग-अलग होता है।

श्लेष अलंकार—

जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें, वहाँ श्लेष अलंकार होता है।

1. जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोय।

बारे उजियारो करें, बड़े अंधेरो होय।।

बारे

—जलना

—बचपन

बड़े

—बड़ा होने के अर्थ में

—बुझने के अर्थ में

2 मंगन को देख पट देत बार—बार है

पट—वस्त्र

पट—दरवाजा

3 सुबरन को खोजत फिरत कवि, व्यभिचारी, चोर

सुबरन

—सुंदर वर्ण

—सुंदर शरीर

सोना / स्वर्ण

4 चिरंजीवो जोरी जुरे, क्यों न सनेह गंभीर।

को घटि या वृषभानुजा, वे हलधर के वीर।।

वृषभानुजा

राधा

बैल की बहन

हलधर

बलराम

बैल

उदाहरण— रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून।

पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून।।

पानी शब्द का मुख्य अर्थ 'जल' है, अभिधा और लक्षणा के आधार पर इस कविता का अर्थ विशेष कर 'पानी' का नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पानी शब्द का अर्थ मोती के पक्ष में कांति, मानुष (मनुष्य) के पक्ष में प्रतिष्ठा और चूने के पक्ष में 'जल' है।

2. अर्थालंकार— जहाँ काव्य की शोभा और आकर्षण अर्थ पर आधारित होता है; वहाँ अर्थालंकार होता है।

प्रमुख अर्थालंकार हैं—उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, प्रतीप, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति आदि।

उपमा अलंकार— हरिपद कोमल कमल से।

इस पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित हैं। यहाँ हरिपद उपमेय है। इसकी समता कमल से की गयी है अतः कमल उपमान है। कोमलता वाले गुण से ही दोनों के बीच में समानता दिखाई गई है। अतः यह साधारण धर्म है तथा 'से' वाचक शब्द है।

रूप, गुण या भाव की दृष्टि से सर्वथा भिन्न होते हुए भी एक वस्तु या प्राणी की समानता दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है;

जैसे—मधुकर सरिस संत गुनग्राही।

आपने देखा कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति में 'संत' और 'मधुकर' इन दो भिन्न पदार्थों में गुण की समानता दिखाई गई है। इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है।

जैसे — 'पीपर पात सरिस मन डोला'

उपमेय — मन

उपमान — पीपल का पत्ता

साधारण धर्म — डोला

वाचक शब्द — सरिस (समान)

उपमा के अंग— उपमा अलंकार के चार अंग माने जाते हैं—

उपमेय— जिसकी समानता/तुलना की जाए

उपमान— जिससे समानता तुलना की जाए

समता/तुलना दिखाने वाले शब्द जैसे—सा, सम, सी, से, सरिस, इव, सदृश आदि।

साधारण धर्म— समान गुण या समान विशेषता या समान लक्षण ही साधारण धर्म कहे जाते हैं।

वाचक—

उदाहरण—राधा बदन चंद्र सा सुंदर

उपमेय—राधा बदन (मुख)

उपमान—चंद्र (चंद्रमा)

वाचक—सा

साधारण धर्म—सुंदर

लगा कर बता सकते हैं)

इसी तरह फूल सी कोमल बच्ची

जब बच्चों को उपमा अलंकार की अवधारणा स्पष्ट हो जाए तो उसके बाद इन चित्रों के साथ चारों अंगों (उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म) के कार्ड लगाकर सभी अंगों की अवधारणा तथा नाम स्पष्ट करें।

रूपक अलंकार—

जहाँ गुण की एकरूपता या समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है;

जैसे— मैया! मैं तो चंद्र खिलौना लैहों।

(चंद्रमा में खिलौना का आरोप है)

चरण—सरोज पखारन लागा।

(चरण में सरोज (कमल) का आरोप है)

पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।

(राम रतन में धन का आरोप है)

वन शारदी चंद्रिका—चादर ओढ़े।

(चंद्रिका को चादर के समान न बता कर चादर ही बताया गया है। दूसरे शब्दों में, चंद्रिका में चादर का आरोप है)

उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग,

बिगसे सन्त सरोज सब हरखे लोचन भृंग।

(यहाँ रघुवर, मंच, संत तथा लोचन उपमेय पर क्रमशः बालसूर्य, उदयगिरि, सरोज (कमल), तथा भृंग (भौरे) उपमान का भेदरहित आरोप है।)

अतिशयोक्ति अलंकार—

जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा-चढ़ा कर किया जाए की सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ 'अतिशयोक्ति अलंकार' होता है।

अब जीवन की है कपि आस न कोय।

कनगुरिया की मुंदरी कंगन होय।।

(यहाँ शरीर क्षीणता को व्यंजित करने के लिए अँगूठी को कंगन होना बताया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है।)

बाँधा को विधु को किसने, इन काली जंजीरों से,

मणिवाले कणियों का मुख, क्यों भरा हुआ था हीरों से।।

(यहाँ मातियों से भरी हुई प्रिया की माँग का कवि ने वर्णन किया है। विधु या चन्द्र से मुख को काली जंजीरो से केश का और मणिवाले कणियों से मोती भरी माँग का बोध होता है।)

उत्प्रेक्षा अलंकार—

जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।

जनु, जानहु, जानो, ज्यों, मनु, मनहु, मानो, मनो आदि इसके वाचक शब्द होते हैं।

उदाहरण—

1 सोहत ओढ़े पीत पट, स्याम सलोने गात।

मनहु नीलमनि सैल पर, आतप पर्यौ प्रभात।।

उपर्युक्त उदाहरण में श्रीकृष्ण के श्याम शरीर (उपमेय) नीलमणियों के पर्वत (उपमान) की तरह तथा पीत पटु (उपमेय) पर प्रभात की धूप (उपमान) की संभावना की गई है एवं वाचक शब्द मनहु है।

- 2 चमचमात चंचल नयन, विच घूँघट पर झीन ।
मनहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुग मीन ।।
- 3 चित्रकूट जनु अचल अहेरी ।
- 4 ले चला मैं तुझे कनक ।

संदेह अलंकार — जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने पर यह निश्चित न हो पाए कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य, वहाँ संदेह अलंकार होता है ।

लंका दहन के वर्णन में हनुमान की पूँछ को देखकर यह निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता कि यह आकाश में अनेक पुच्छल तारे हैं या पर्वत से अग्नि की नदी सी निकल रही है—

कैधौं व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु
कैधौं चली मेरु तैं कृसानुसारि भारी है ।

इसी प्रकार द्रौपदी चीरहरण के प्रसंग से एक प्रसिद्ध उदाहरण और भी देखा जा सकता है—

नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है
कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है ।

भ्रांतिमान अलंकार— संदेह अलंकार में तो यह संदेह बना रहता है कि यह वस्तु रस्सी है या सर्प, किंतु भ्रांतिमान में तो अन्यंत समानता होने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है अर्थात्, उसके दूसरी वस्तु होने का निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है और उसी अनुसार कार्य भी कर लिया जाता है; जैसे—

बिल बिचारि प्रविसन लग्यौ नाग शुंड में व्याल ।
ताह कारी ऊख भ्रम लियो उठाय उत्ताल ।।

यहाँ सर्प को हाथी की सूँडे में बिल होने की भ्रांति हुई और वह यही मानकर उसमें घुसाने लगा । उधर हाथी को भी सर्प में काले गन्ने की भ्रांति हुई और उसने उसे वैसा ही समझकर उठा लिया ।

महत्व और उपयोगिता—

अलंकार साहित्य के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माने गए हैं । इनके प्रयोग से कथन/उक्ति में वह शक्ति आ जाती है कि उसे पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता तत्काल ही आकर्षित होकर उस कथन/उक्ति में तन्मय हो जाता है । जब कोई कवि अपनी सामान्य बात को भी विशेष ढंग से कहना चाहता है, तब वह अलंकारों की सहायता लेता है । भावों को स्पष्ट करने तथा दृश्य को प्रत्यक्ष कराने में अलंकारों की महती भूमिका होती है । अलंकारवादी आचार्य अलंकारों को काव्य का प्राण—तत्त्व अर्थात् काव्य की आत्मा तक मानते हैं ।

आचार्य केशव के शब्दों में, “भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त” अर्थात् आभूषण के बिना जैसे स्त्री शोभा नहीं पाती, वैसे ही अलंकारों के बिना कविता अच्छी नहीं लगती ।

सरल शब्दों में कहा जाए, तो अलंकारों के महत्व को हम इस प्रकार देख सकते हैं—

- अलंकारों से कविता की सुंदरता बढ़ती है ।
- सुंदरता बढ़ने से कविता अधिक प्रभावशाली हो जाती है ।
- अलंकारों की सहायता से अपने भावों को सरल और आकर्षक ढंग से प्रकट किया जा सकता है ।

निबंध

निबंध शब्द बंध (बाँधना) धातु में 'नि' उपसर्ग के योग से बना है,। इसका अर्थ है विचारों या भावों को सुसंबद्ध रूप से बाँधकर प्रकट करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में— “यदि गद्य कवियों की या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है।” श्यामसुंदर दास का कहना है कि निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया जाता है।

इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आलोक में हम पाते हैं कि निबंधकार निबंध में स्वयं को अभिव्यक्त करता है तथा वह पाठक से आत्मीयता स्थापित करता है, उसे शिक्षा या उपदेश नहीं देता। निबंध मानसिक प्रतिक्रियाओं, भावनाओं एवं विचारों का एक सँवरा रूप है।

निबंध की चार प्रमुख विशेषताएँ हैं—

1. व्यक्तित्व का विकास— निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप में पाठक के सामने प्रकट होता है। वह पाठकों से मित्र की तरह खुलकर सहज संलाप करता है।

2. संक्षिप्तता— निबंध जितना छोटा जितना अधिक गठा होता है, उतना ही प्रभावशाली होता है। शब्दों का व्यर्थ प्रयोग निबंध को निकृष्ट बनाता है।

3. एकसूत्रता— निबंध में विचारों का एक क्रम या व्यवस्था होना आवश्यक होता है, अन्यथा वह विचारों को बाँध नहीं पाता।

4. अन्विति— निबंध में विचारों तथा भावों का प्रत्येक आवेग आपस में अन्वित होकर संपूर्णता के भाव की सृष्टि करता है।

निबंध की शैली— निबंध लिखने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है—भाव और भाषा। भाव और भाषा दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। भाव और भाषा को समन्वित करने के ढंग को शैली कहते हैं। शैली दो प्रकार की होती है—प्रसाद शैली तथा समास शैली। सामान्य ढंग से सरल सहज भाषा में बात कहना प्रसाद शैली है। सहजता शैली का प्रधान गुण है। इसमें वाक्य सरल होते हैं। गंभीर भावों को भी साधारण शब्दों में व्यक्त किया जाता है। समास शैली में किसी बात को कठिन शब्दों में कहा जाता है। इसमें भाषा दुरुह एवं जटिल होती है। इसमें प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है तथा वाक्य मिश्र और संश्लिष्ट होते हैं।

निबंध के अंग

निबंध के प्रमुख तीन अंग माने गए हैं—

1. भूमिका— यह निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखी जाती है, जिसमें मुख्यतः विषय का परिचय दिया जाता है। इसका आकार छोटा किंतु सशक्त होना चाहिए। प्रायः निबंध का आरंभ किसी काव्य पंक्ति, सूक्ति वाक्य, संक्षिप्त प्रासंगिक कथा, वार्ता, उद्धरण आदि से प्रभावशाली माना जाता है। निबंध के इस अंग के अंतर्गत विषय का परिचय, विषय स्थापना या विषय का स्पष्टीकरण किया जाता है।

2. विस्तार— इसे निबंध का प्रमुख अंग मानते हैं। इसमें लेखक को पूर्णतया सजग तथा जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। इस भाग में निबंध से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर तीन चार अनुच्छेदों में चर्चा की जाती है किंतु इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि प्रत्येक अनुच्छेद अपने पहले वाले तथा बाद वाले से संबद्ध हो।

3. उपसंहार— ‘समाप्ति’ ‘उपसंहार’ या ‘निष्कर्ष’ में ऊपर कही गई बातों का सारांश दो-चार पंक्तियों में बहुत सुंदर ढंग से देना चाहिए। निबंध का समापन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि मूल भाव पाठक के मन-मस्तिष्क में गूँजता रहे।

निबंध के प्रकार— विषयवस्तु के आधार पर निबंध के तीन प्रकार हैं—

✿ भावात्मक

✿ विचारात्मक

✿ वर्णनात्मक

भावात्मक — इस वर्ग के निबंधों में भाव की प्रधानता होती है, पराधीन सपनेहुँ सुख नहीं, परोपकार, सत्संगति, मन के जीते जीत आदि निबंध भावात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं।

विचारात्मक— इस वर्ग के निबंधों में विचारों की प्रधानता होती है। सैद्धांतिक विषयों के प्रतिपादन संबंधी निबंध इस श्रेणी में आते हैं।

वर्णनात्मक— इस वर्ग के निबंधों में वस्तुओं, घटनाओं, स्थान, दृश्य, त्योहार आदि का यथातथ्य वर्णन किया जाता है। जैसे—दीपावली, रक्षाबंधन, ऋतुराज बसंत, ताजमहल आदि विषयों के निबंध इस वर्ग में आते हैं।

निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए—

- 1—निबंध लिखने से पहले रूपरेखा बना लेनी चाहिए जिससे निबंध लेखन में सरलता आ जाती है।
- 2— विषय से संबंधित सभी पक्षों पर अच्छे से विचार कर लेना चाहिए।
- 3—भाषा में स्पष्टता, सरलता, प्रवाहमयता होनी चाहिए। जगह—जगह पर मुहावरों का प्रयोग और सार्थक शब्दों का चयन करना चाहिए।
- 4—प्रसंग के अनुसार काव्य पंक्तियों, सूक्तियों, महान व्यक्तित्व के उदाहरण समाहित करने चाहिए।
- 5—वाक्य सुलझे और संक्षिप्त होने चाहिए, वर्तनी शुद्ध हो तथा विराम चिह्नों का भी यथास्थान प्रयोग करना चाहिए।
- 6— निबंध लेखन में मौलिकता का ध्यान रखना चाहिए।

‘पत्र लेखन’

पत्र हर वर्ग के व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त होने वाला सबसे सस्ता, सरल एवं प्रभावशाली माध्यम है। मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्राचार से होती है। भावों—विचारों का आदान—प्रदान पत्रों द्वारा ही संभव है।

पत्र लेखन दो व्यक्तियों के बीच होता है। इसके द्वारा दो लोगो का संबंध दृढ़ होता है। अतः पत्राचार ही एक ऐसा साधन है, जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावनाओं को एक संगत भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। व्यावहारिक जीवन में यह वह सेतु है जिससे मानवीय संबंधों की परस्परता सिद्ध होती है। अतः पत्र लेखन का बहुत महत्व है।

‘ पत्र लेखन’ एक कला है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी, वह उतना ही प्रभावशाली होगा। एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्यबोध और अंतरंग भावनाओं का अभिव्यंजन आवश्यक है। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएँ ही व्यक्त नहीं होतीं अपितु उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि सभी एक साथ झलकते हैं। अतः पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है, लेकिन इस प्रकार की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक तथा साहित्यिक पत्रों में अधिक होती है।

पत्र की विशेषताएँ—

एक अच्छे पत्र में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—

सरल भाषा शैली— पत्र की भाषा सरल और बोल—चाल की होनी चाहिए। शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। ये शब्द उपयुक्त, सटीक, सरल एवं स्पष्ट हों।

स्पष्टता—पत्र में लेखक के विचार स्पष्ट और सुलझे होने चाहिए। उनमें कहीं भी पांडित्यप्रदर्शन की चेष्टा नहीं होनी चाहिए।

संक्षिप्तता और संपूर्णता— पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। वह अपने में संपूर्ण और संक्षिप्त होना चाहिए। उसमें अतिशयोक्ति, वाग्जाल और विस्तृत विवरण के लिए स्थान नहीं होना चाहिए।

पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—

1. पत्र साफ और स्पष्ट हो; अर्थात् विषय की प्रस्तुति स्पष्ट हो।
2. भाषा सरल और वाक्य छोटे हों।
3. संबोधन, अभिवादन आदि का ध्यान रखा जाए।
4. पत्र पर भेजने वाले का नाम, पता, तिथि अवश्य होनी चाहिए।

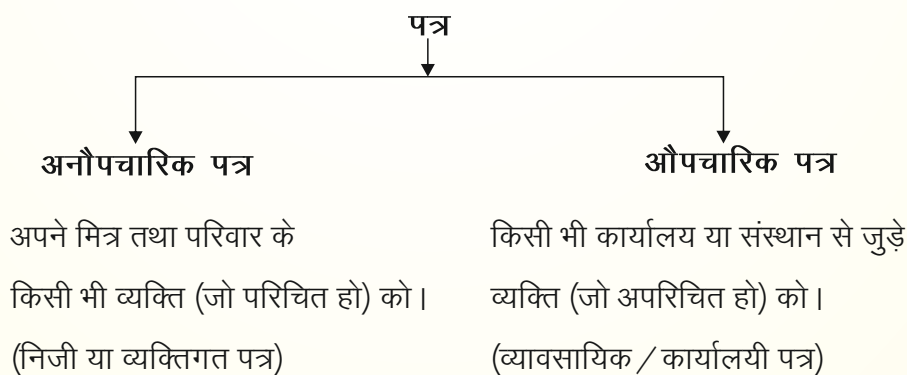
पत्र के अंग—

1. प्रारंभ (अभिवादन)
2. मध्य (मूल विषय की प्रस्तुति)
3. अंत (धन्यवाद तथा प्रेषक का नाम, पता)

इसे भी जानें—

जिन्हें पत्र लिखा हो	संबोधन	अभिवादन	समापन
छोटों को	प्रिय, चिरंजीवी आयुष्मान.....	बहुत-बहुत स्नेह, प्रसन्न रहो शुभाशीष	शुभचिंतक, शुभाकांक्षी, शुभेच्छु।
बड़ों को	आदरणीय, पूजनीय माननीय	सादर प्रणाम, चरणस्पर्श	आज्ञाकारी, आपका पुत्र/पुत्री भाई/बहन आदि
बराबर वालों को	मित्रवर, प्रिय	सप्रेम नमस्ते, नमस्कार	तुम्हारा हितैषी, शुभाभिलाषी
अपरिचित को	मान्यवर, महोदय	प्रायः नहीं होता	प्रार्थी, भवदीय/भवदीया विनीत आदि

पत्र के प्रकार—



अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों का कुछ उदाहरण देखें—

(अनौपचारिक पत्र का प्रारूप)

411, सुतहट्टी बाजार

स्टेशन रोड, जौनपुर

05/01/2022

प्रिय आराध्य

सस्नेह आशीर्वाद

बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, मन बेचैन था। तुम्हारे विद्यालय से संदेश आया है कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो परंतु खेलों की ओर तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। इस कारण शायद तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। देखो आराध्य, पढ़ाई के साथ-साथ खेलों का भी जीवन में बहुत महत्व है। खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है, अप्रत्यक्ष रूप से शरीर का भी व्यायाम होता है, चित्त प्रसन्न और प्रफुल्ल रहता है। अब तो खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया जैसे कार्यक्रम के जरिए खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहा भी गया है— 'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।' इसलिए नियमित रूप से खेलों में भाग लो। खेलों के माध्यम से तुम खेल भावना, प्रतिस्पर्धा, धैर्य और नियंत्रण क्षमता इन सब चीजों को सीख कर आगे बढ़ोगे। अतः मैं चाहती हूँ कि तुम खेलों में भाग लो।

अबकी बार जब पत्र लिखो तो खेलों के विषय में अपने विचार जरूर व्यक्त करना। यहाँ तुम्हें सभी बहुत याद करते हैं। माँ-पापा ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजा है।

पाने वाले का नाम व पता

तुम्हारी बड़ी बहन

सुयशी

औपचारिक पत्र का प्रारूप

भीमनगर, बड़ागाँव

वाराणसी

07/01/2022

सेवा में,

खंड विकास अधिकारी/ग्राम प्रधान/

ग्राम विकास अधिकारी भीमनगर, बड़ागाँव

वाराणसी

विषय—गाँव की गंदगी की साफ-सफाई के लिए प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

मैं भीमनगर गाँव में रहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे गाँव में गंदगी बहुत बढ़ गई है। यहाँ कूड़ा इकट्ठा करने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जिस कारण यहाँ का कूड़ा इधर-उधर पड़ा हुआ सड़ता रहता है, उससे भारी बदबू भी आती है और मच्छर भी पैदा होते हैं। इसके फलस्वरूप कुछ लोग मलेरिया और डेंगू के शिकार हो रहे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि गाँव के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही करें।

धन्यवाद

भवदीय

सोहन

सत्र योजना

सत्र योजना-1

प्रकरण— वर्ण—विचार (स्वर, व्यंजन), वर्णों के मानक रूप समझ।

अवधि—1:30 घंटा

उद्देश्य—

1. भाषा की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया को जान सकेंगे।
2. हिन्दी ध्वनियों की मानक वर्णमाला से परिचित हो सकेंगे।
3. ध्वनियों के उच्चारण स्थान का सही ज्ञान प्राप्त करते हुए शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित होंगे।
4. शुद्ध लेखन कर सकेंगे।

सहायक सामग्री— श्याम/श्वेत बोर्ड, चॉक, डस्टर, चार्ट, फ्लैक्स एवं आई.सी.टी. (वीडियो) का प्रयोग।

प्रस्तुतीकरण— सर्वप्रथम बड़े समूह में प्रतिभागियों से प्रश्न के माध्यम से चर्चा शुरू करेंगे; जैसे—

क. भाषा क्या है ?

ख. भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है ?

ग. स्वर क्या है ?

घ. व्यंजन क्या है ?

(इसके बाद भाषा की उत्पत्ति और विकास पर विस्तार से चर्चा करेंगे।)

 गतिविधि 1—

अ आ इ ई उ ऊ ऋ
ए ऐ ओ औ अं अः
क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण ढ़ ड़
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व श
ष स ह क्ष त्र ज्ञ श्र

प्रशिक्षक प्रतिभागियों को वर्णमाला लिखने को कहेंगे।

 निर्देश — प्रशिक्षक प्रतिभागियों से कहेंगे कि लिखते समय वर्णों की मानक आकृतियों एवं बनावट का ध्यान रखेंगे।

प्रशिक्षक, प्रतिभागियों द्वारा लिखे वर्णमाला को अवलोकित करते हुए संशोधन करेंगे।

समेकन — प्रशिक्षक वर्ण विचार (स्वर, व्यंजन) को संदर्भित करते हुए समेकन करेंगे।

अधिगम प्रतिफल — प्रतिभागी वर्णों (स्वरों और व्यंजनों) का समझ पा रहे हैं।

प्रतिभागी लिखते समय मानक आकृतियों व बनावट को समझ पा रहे हैं।

गतिविधि 2 (वर्णों का मानक रूप)

- प्रशिक्षक प्रतिभागियों को पाँच-पाँच के समूह में बाँटेंगे।
- प्रत्येक समूह को वर्ण माला के फ्लैश कार्ड का एक-एक सेट देंगे।
- प्रतिभागी समूह में वर्णों को निम्नलिखित के आधार पर अलग-अलग करके रखेंगे—
- स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्ताक्षर के आधार पर वर्गीकरण करेंगे।
- समूहों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

समेकन—प्रशिक्षक सत्र का समेकन करेंगे।

अधिगम प्रतिफल—

1. प्रतिभागी वर्णमाला का सही तरह से वर्गीकरण कर पा रहे हैं।
2. प्रतिभागी संयुक्ताक्षर को समझ पा रहे हैं।

गतिविधि 3 (वर्णों का मानक रूप)

- प्रशिक्षक निम्नलिखित वर्णों के पूर्वरूप और वर्तमान (मानक) रूप लिखेंगे और प्रत्येक समूह के लिए एक-एक सेट तैयार करेंगे।

पूर्वरूप — प्र ख झ ण घ ह ल क्ष त्र श्च
मानक रूप—अ, ख, झ, ण, घ, ह, ल, क्ष, त्र, श्च, क्त, श्व

- प्रशिक्षक प्रतिभागियों का पाँच-पाँच के समूह में बाँटेंगे।
- प्रत्येक समूह को वर्णमाला के पूर्वरूप और मानक रूप का एक-एक सेट देंगे।
- प्रतिभागी वर्णमाला के पूर्वरूप और मानक रूपों का मिलान करेंगे।
- समूहों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

समेकन—प्रशिक्षक वर्णों के मानक रूप पर पुनः प्रकाश डालते हुए समेकन करेंगे।

अधिगम प्रतिफल—

1. प्रतिभागी वर्णों के पूर्वरूप समझते हैं।
2. प्रतिभागी वर्णों के मानक रूप को समझते हैं।
3. वर्णों के मानक रूप का लेखन में प्रयोग करते हैं।

सत्र योजना—2

प्रकरण अनुनासिक/अनुस्वार, संयुक्ताक्षर तथा 'र' के विभिन्न रूप।

उद्देश्य—

1. अनुनासिक, अनुस्वार, संयुक्ताक्षर तथा 'र' के विभिन्न रूपों को शब्दों में प्रयोग करने में सक्षम होंगे।
2. संयुक्त व्यंजन का लेखन एवं उच्चारण करने में सक्षम होंगे।
3. 'र' के विविध रूपों में अंतर कर सकेंगे।

सहायक सामग्री— बोर्ड, चॉक, डस्टर, चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड, मार्कर, पेन्सिल इत्यादि।

प्रस्तुतीकरण— प्रशिक्षण प्रतिभागियों को चार समूहों में विभक्त करेंगे। निम्न बिन्दुओं के आधार पर चर्चा कराई जाएगी।

समूह 1 – पंचम वर्ण कौन-कौन से हैं ? कुछ ऐसे शब्द बताएँ जिनमें इनका प्रयोग हुआ है।

समूह 2 – वर्णमाला में वे कौन-से वर्ण हैं जिनके कई रूप हैं ? लिखें, और उससे बनने वाले शब्द लिखें।

समूह 3 – ऐसे शब्द बताएँ जिनमें दो वर्णों का संयुक्त रूप हो।

समूह 4 – अनुस्वार की मदद से बनने वाले शब्दों को लिखें। अनुनासिक की मदद से बनने वाले शब्दों को लिखें।

प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

समेकन- प्रशिक्षक प्रतिभागियों के कार्यों को संशोधित करते हुए समेकन करेंगे।

अधिगम प्रतिफल- प्रतिभागी पंचम वर्ण को समझ पा रहे हैं।

प्रतिभागी वर्णमाला की सभी वर्णों को समझ पा रहे हैं।

प्रतिभागी अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कर पा रहे हैं।

• **गतिविधि 3-** प्रतिभागियों को संयुक्ताक्षर की सहायता से बनने वाले शब्दों और 'र' के विभिन्न रूपों से बनने वाले शब्दों को पाठ्य-पुस्तक की सहायता से चिह्नित करने का अवसर दिया जाएगा।

• समयानुसार कुछ प्रतिभागियों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

समेकन- अंत में अनुस्वार, अनुनासिक, संयुक्ताक्षर तथा 'र' के विभिन्न रूपों को स्पष्ट करते हुए तथ्यों का समेकन करेंगे।

अधिगम प्रतिफल-

1. प्रतिभागी वर्णों (स्वरोँ और व्यंजनों) को अलग-अलग समझते हुए उनके विभिन्न प्रकारों का स्वतंत्र रूप से शब्दों में प्रयोग कर रहे हैं।

2. प्रतिभागी अनुस्वार और अनुनासिक के विविध रूपों को समझ कर वर्णों के साथ प्रयोग कर लेते हैं।

3. प्रतिभागी संयुक्त व्यंजनों का उचित उच्चारण के साथ शुद्ध लेखन कर लेते हैं।

4. प्रतिभागी 'र' के विभिन्न रूपों का सम्यक प्रयोग कर लेते हैं।

सत्र योजना-3

प्रकरण- शब्द और उसके प्रकार।

अवधि-1:30 घंटा

(तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द)

उद्देश्य-

1. तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों को समझते हुए उनमें अंतर कर सकेंगे।

2. शब्द भंडार में वृद्धि कर सकेंगे।

3. तत्सम, तद्भव देशज, विदेशी और संकर शब्दों का वाक्य में यथोचित प्रयोग कर सकेंगे।

सहायक सामग्री- ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड, मार्कर, पेन्सिल इत्यादि।

प्रस्तुतीकरण— निर्देश (बड़े समूह में)

गतिविधि 1—

1. सभी प्रतिभागियों से बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले एक-एक सार्थक शब्द बोलने को कहेंगे और प्रशिक्षक उन्हें बोर्ड पर लिखते रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे कि कौन-सा शब्द किस प्रकार (तत्सम, तद्भव आदि) का है।

प्रशिक्षक इन शब्दों की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए इनके अंतर पर ध्यान आकृष्ट करेंगे।

गतिविधि 2— निर्देश (चार समूह में)

- प्रत्येक समूह को कक्षा— 9,10,11 एवं 12 की हिन्दी की पुस्तक देकर उन्हें जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द आए हों, ढूँढने को कहेंगे।
- पाठ में आए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों को छाँटकर चार्ट पर लिखने को कहेंगे। इसके बाद समूहवार प्रस्तुतीकरण कराएँगे।
- प्रतिभागियों द्वारा चार्ट पर लिखे गए शब्दों पर चर्चा करेंगे तथा उनके अंतर को स्पष्ट करेंगे।

गतिविधि 3— निर्देश (प्रतिभागियों को पाँच समूह में बाँट देंगे)

- तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा संकर शब्दों के दस-दस शब्द फ्लैश कार्ड पर लिख देंगे। उदाहरण —

तत्सम	अश्रु	उलूक	कच्छप	ग्राम	गृह	चतुर्थ	तृण	दधि	नयन	भ्रमर
तद्भव	आँसू	उल्लू	कछुआ	गाँव	घर	चौथा	तिनका	दही	नैन	भौरा
देशज	पटकना	डगमग	लचक	डकार	गोल	बकबक	लोटा	डिबिया	खिचड़ी	खिड़की
विदेशी	आलपीन	फीता	नर्स	पार्सल	सुराग	तोप	अमीर	किशमिश	मौसम	बीमार
संकर	घड़ीसाज	घुड़सवार	चालबाज	मच्छरदानी	राजमहल	फूलदान	मोमबत्ती	रेलयात्रा	तिमाही	जेबघड़ी

- एक समूह के प्रतिभागियों को बुलाकर तत्सम तथा तद्भव कार्ड में से तत्सम कार्ड छाँटने को कहेंगे।
- दूसरे समूह के प्रतिभागियों को बुलाकर प्रथम समूह द्वारा छाँटे गए तत्सम शब्दों में से पूछे गए तत्सम शब्दों के तद्भव पूछे जाएँ।
- शेष तीसरे, चौथे और पाँचवें समूह के प्रतिभागियों को बुलाकर क्रमशः देशज, विदेशी तथा संकर शब्द छाँटने को कहेंगे।

गतिविधि—4 (बड़े समूह में)

 तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों की पर्ची बनाएँ।

2. प्रतिभागियों को एक गोल घेरे में खड़ा कर दिया जाए।
3. एक संगीत की धुन पर प्रतिभागियों को चलने को कहा जाए। जब ध्वनि रुकेगी तब एक प्रतिभागी द्वारा एक पर्ची उठाई जाएगी।
4. प्रतिभागी पर्ची पर लिखे शब्द का अर्थ बताते हुए यह बताएगा कि वह शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या संकर में से कौन-सा है। यदि प्रतिभागी बता देता है तो क्रमशः गतिविधि आगे संचालित होगी। प्रतिभागी द्वारा न बता पाने की स्थिति में अन्य प्रतिभागी बताएगा। इसी प्रकार गतिविधि आगे बढ़ानी है।

समेकन— प्रशिक्षक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों को पुनः बारीकी से स्पष्ट करते हुए सत्र को समेटेंगे।

(प्रशिक्षक समय एवं आवश्यकतानुसार गतिविधि का प्रयोग करें।)

अधिगम प्रतिफल—

1. प्रतिभागी तत्सम, तद्भव शब्दों के अंतर को समझ पा रहे हैं।
2. प्रतिभागी खड़ी बोली में प्रयुक्त देशज, विदेशी तथा संकर शब्दों को पहचानने में समर्थ हो रहे हैं।
3. प्रतिभागी अपने वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।

सत्र योजना-4

प्रकरण— समानार्थक (पर्यायवाची), एकार्थक, अनेकार्थक और विपरीतार्थक शब्द।

अवधि—1:30 घंटा

उद्देश्य—

1. पर्यायवाची, एकार्थक, अनेकार्थक और विपरीतार्थक शब्द के संबंध में समझ विकसित हो सकेगी।
2. परिवेश में उपस्थित समानार्थक (पर्यायवाची), एकार्थक, अनेकार्थक और विपरीतार्थक शब्दों को सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर उनमें अंतर कर सकेंगे।
3. व्यावहारिक जीवन में इन सभी शब्दों का सार्थक प्रयोग करने में सक्षम हो सकेंगे।

सहायक सामग्री— ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, चार्ट, फ्लैश कार्ड, स्केच पेन, शब्दों के फ्लैश कार्ड, मार्कर, रंग इत्यादि।

प्रस्तुतीकरण— (बड़े समूह में)

गतिविधि 1— नीचे लिखे प्रश्नों के माध्यम से चर्चा की शुरुआत करेंगे—

‘शब्द’ से आप क्या समझते हैं ?

- ‘शब्द’ के कितने प्रकार होते हैं ?

संक्षिप्त चर्चा के बाद प्रतिभागियों को सात समूहों में बाँटा जाएगा —

समूह	कार्य
1	समानार्थी (पर्यायवाची) शब्द
2 व 3	विपरीतार्थक शब्द
4 व 5	एकार्थक शब्द
6 व 7	अनेकार्थक शब्द

निम्नानुसार शब्द कार्ड समूहवार वितरित किया जाएगा—

समानार्थक समूह (1)	विपरीतार्थक समूह (2-3)	एकार्थक समूह (4-5)	अनेकार्थक समूह (6-7)
सूर्य गंगा जल कमल बादल	बड़ा राजा उदय जय आशा दिन आकाश कठोर ठंडा आय	खेद शोक क्षोभ दुःख अहंकार दर्प अभिमान घमंड	कनक अंबर सर अंक खर कर अतिथि अवकाश आराम कल

निर्देश— प्रशिक्षक प्रत्येक समूह को दिये गये पत्रक में लिखे गये शब्दों के समानार्थक, विपरीतार्थक, एकार्थक तथा अनेकार्थक शब्द अपनी कॉपी में लिखने को कहेंगे।

प्रशिक्षकों के सहायतार्थ—

समानार्थक शब्द—

सूर्य—रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्तण्ड, मरीची, प्रभाकर।
गंगा—सुरसरि, त्रिपथगा, देवनदी, जाहनवी, भागीरथी।
जल—पानी, वारि, नीर, तोय, अंबु, सर, सलिल।
कमल—नीरज, पंकज, जलज, सरोज, अंबुज।
बादल—मेघ, जलधर, पयोद, पयोधर, घन।

विपरीतार्थक शब्द—

बड़ा — छोटा, राजा — रंक, उदय — अस्त, जय — पराजय, आशा — निराशा, दिन — रात,
आकाश — पाताल, कठोर — कोमल, ठंडा — गर्म, आय — व्यय।

एकार्थक शब्द—

खेद — किसी गलती पर दुःखी होना।
शोक — किसी की मृत्यु पर दुःखी होना।
क्षोभ — सफलता न मिलने पर दुःख व्यक्त करना।
दुःख — साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा का होना।
अहंकार — मन का गर्व, झूठे अपनेपन का बोध।
दर्प — नियम के विरुद्ध कार्य करने पर घमंड।
अभिमान — प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना।
घमंड — सभी स्थितियों में अपने को बड़ा और दूसरे को हीन समझना।

अनेकार्थक शब्द—

कनक — धतूरा, सोना	अंबर — वस्त्र, आकाश	सर — तालाब, झील, सिर
अंक — गोद, संख्या	खर — दुष्ट, गधा, तिनका	कर — हाथ, लगान, सूँड़
अतिथि — मेहमान, साधु, यात्री	अवकाश — छुट्टी, अवसर, अंतराल	
आराम — विश्राम, निरोग होना	कल — बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, मशीन	

समेकन—उपर्युक्त गतिविधि के अंत में प्रशिक्षक शब्द, शब्द के प्रकार, समानार्थक, विपरीतार्थक, अनेकार्थक पर प्रकाश डालते हुए समेकन करेंगे।

शब्दों को स्पष्ट करते हुए सत्र को समाप्त करेंगे।

अधिगम प्रतिफल—

1. प्रतिभागी समानार्थक, विपरीतार्थक, अनेकार्थक शब्दों को स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं।
2. प्रतिभागी उन शब्दों का प्रयोग कर सकेंगे।
3. उन शब्दों के समानार्थक, विपरीतार्थक, अनेकार्थक शब्दों में स्पष्टता विकसित हो रही है।

सत्र योजना—5

प्रकरण— संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण।

अवधि—1:30 घंटा

उद्देश्य—

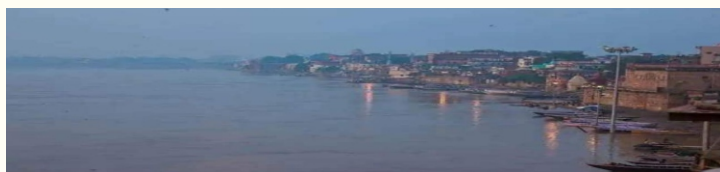
1. संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के संबंध में समझ विकसित करना।
2. व्यावहारिक भाषा में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का प्रयोग कर सकेंगे।

सहायक सामग्री— चार्ट पेपर, आई.सी.टी., विशेषण पेटिका, मार्कर।

प्रस्तुतीकरण—

गतिविधि- 1 (बड़े समूह में)

2. चार्ट पेपर पर बने नदी के चित्र एवं उससे संबंधित गद्यांश को प्रतिभागियों के समक्ष प्रदर्शित किया जाए, जिसमें आए हुए संज्ञा शब्दों को अलग-अलग रंगों से इंगित किया जाए। इसके माध्यम से संज्ञा की अवधारणा स्पष्ट की जाएगी।



गंगा नदी भारत की एक पवित्र नदी है। यह हिमालय से निकलती है। इसमें स्नान करके लोग सुखद अनुभूति प्राप्त करते हैं तथा इसके जल को अमृत तुल्य मानते हैं। जहाँ-जहाँ कुंभ मेला लगता है, वहाँ लोगों की भारी भीड़ होती है। इस मेले में विभिन्न प्रकार के सामान भी मिलते हैं जैसे- खिलौने, मिठाइयाँ, लकड़ी एवं लोहे के घरेलू सामान।

गतिविधि 2— 'संवाद विधि'

 **निर्देश—** निम्नलिखित संवाद को प्रशिक्षक चार्ट पेपर पर या वीडियो क्लिप द्वारा प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और रेखांकित शब्दों का उच्चारण करने को कहेंगे—

जज — तुम्हारा नाम क्या है ?

बालक — मेरा नाम 'आजाद' है।

जज — तुम्हारी आयु क्या है ?

बालक — मेरी आयु '15 वर्ष' है।

जज — तुम्हारे पिता का क्या नाम है ?

बालक — मेरे पिता का नाम 'स्वतंत्रता' है।

जज — तुम्हारी माता का क्या नाम है ?

बालक — मेरी माँ का नाम 'भारत माता' है।

उनकी ऐसी बातों को सुनकर वह भड़क गया और उन्हें इस व्यवहार के कारण 15 कोड़ों की सजा सुनाई।

संज्ञा — चंद्रशेखर आजाद, जज

सर्वनाम — तुम्हारा, क्या, मेरा, तुम्हारी, मेरी, तुम्हारे, मेरे, उनकी, ऐसी, वह, उन्हें, इस।

उपर्युक्त संवादों में रेखांकित शब्दों के माध्यम से संज्ञा तथा सर्वनाम की अवधारणा स्पष्ट की जाएगी।

गतिविधि-3 (विशेषण पेटिका)

 **निर्देश—** शिक्षक प्रतिभागियों के समक्ष पर्चियों में लिखे गए विभिन्न विशेषणों की पेटिका रखेंगे। प्रतिभागियों से एक विशेषण की पर्ची निकालकर अपने शब्दों में वाक्य की रचना करने को कहेंगे। इस प्रकार से विशेषण की अवधारणा स्पष्ट की जाएगी।

समेकन— प्रशिक्षक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को पुनः स्पष्ट करते हुए सत्र को समेटेंगे।

अधिगम प्रतिफल—

1. प्रतिभागी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को समझ पा रहे हैं।
2. प्रतिभागी संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण का उचित स्थान पर प्रयोग कर पा रहे हैं।
3. वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का अंतर समझकर उन्हें अलग कर पा रहे हैं।

सत्र योजना-6

प्रकरण— उपसर्ग और प्रत्यय ।

अवधि—1:30 घंटा

उद्देश्य—

1. मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में समझ विकसित कर सकेंगे ।
2. प्रयुक्त शब्दों में मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर कर सकेंगे ।
3. आवश्यकतानुसार उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग कर सकेंगे ।

सहायक सामग्री— ब्लैकबोर्ड, मार्कर, पेन्सिल तथा कक्षा 9,10,11 एवं 12 की पाठ्यपुस्तकें ।

गतिविधि— (बड़े समूह में) दिए गए शब्दों में उपसर्ग युक्त एवं प्रत्यययुक्त शब्दों को छाँटेंगे तथा मूल शब्द से उपसर्ग एवं प्रत्यय को अलग-अलग करेंगे ।

उदाहरण— अधिकरण, अभिशाप, उद्गम, निदर्शन, पराजय, विक्रम, सुगम, भरपेट, प्रतिदान, उपकार, गानेवाला, पढ़ाई, सजावट, घबराहट, सुन्दरता, पागलपन, महत्व, बलवान, गतिमान ।

सहायतार्थ— अज्ञान, ज्ञानवान, अज्ञानी, ज्ञानी ।

गतिविधि—(6 समूह में)

निर्देश— प्रत्येक समूह को एक-एक पृष्ठ/पाठ देकर उन्हें उसमें आए उपसर्ग तथा प्रत्यय वाले शब्दों को छाँटकर चार्ट पर लिखेंगे, साथ ही साथ उसका मूल शब्द तथा उपसर्ग/प्रत्यय भी लिखकर प्रस्तुत करेंगे ।

उदाहरण—‘अज्ञानी’

मूल शब्द	उपसर्ग	प्रत्यय
ज्ञान	अ	ई

प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रशिक्षक आवश्यक बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए सत्र का समापन करेंगे ।

समेकन— शिक्षक मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय को स्पष्ट करते हुए सत्र को समेटेंगे ।

अधिगम प्रतिफल—

1. प्रतिभागी मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय को समझ पा रहे हैं ।
2. प्रतिभागी शब्द के पूर्व उपसर्ग और अंत में प्रत्यय लगाकर नए शब्दों की रचना कर लेते हैं ।
3. प्रतिभागी उपसर्ग और प्रत्यय लगे शब्दों की पहचान करने में समर्थ हो रहे हैं ।

सत्र योजना-7

प्रकरण— क्रिया एवं काल परिचय ।

अवधि—1:30 घंटा

उद्देश्य—

1. क्रिया एवं काल के स्वरूप को पहचान सकेंगे ।
2. काल के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन कर सकेंगे ।
3. क्रिया और काल को समझते हुए वाक्य तथा अनुच्छेद आदि का निर्माण (रचना) कर सकेंगे ।

सहायक सामग्री— फ्लैश कार्ड, चित्र, कक्षा-कक्ष की परस्पर सहभागिता, आई.सी.टी. का प्रयोग ।

प्रस्तुतीकरण—

गतिविधि— 1 (बड़े समूह में)

 **निर्देश—**

 प्रशिक्षक श्याम पट्ट पर कुछ वाक्यों को लिखेंगे और प्रतिभागियों से उन वाक्यों के माध्यम से उसमें आई क्रिया को पहचानने के लिए कहेंगे । प्रतिभागियों द्वारा बताए गए क्रिया शब्दों को प्रशिक्षक रेखांकित करेंगे ।

1— वह खेलता है ।

2— सरोवर में कमल खिलते हैं ।

3— जंगल में मोर नाचते हैं ।

प्रतिभागियों से पुनः श्यामपट्ट पर लिखे क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए उससे भिन्न तीन-तीन वाक्य बनाने के लिए कहेंगे ।

1. प्रतिभागियों द्वारा बताए गए क्रिया शब्दों को प्रशिक्षक श्यामपट्ट पर लिखेंगे ।

2. प्रतिभागियों से पुनः श्यामपट्ट पर लिखे क्रिया शब्दों से वाक्य बनाने के लिए कहा जाएगा; जैसे पीना — रेनू पानी पीती है ।

पढ़ना — अनिरुद्ध पुस्तक पढ़ता है ।

प्रशिक्षक वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों पर प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित कराएँगे ।

गतिविधि-2 (काल)1

1— उसने खाना खाया ।

2— राम पुस्तक पढ़ रहा है ।

3— वह गाना गाती है ।

4— मैं कल दिल्ली जाऊँगी ।

5— तुम कब आओगे ?

6— वर्षा हो रही है ।

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से सर्वप्रथम श्यामपट्ट पर लिखे गए वाक्यों में काल की पहचान करने को कहेंगे ।

प्रशिक्षक प्रतिभागियों को तीन समूहों में विभाजित करेंगे और दिए गए वाक्यों से अन्य दोनों कालों के वाक्य बनाने को कहेंगे ।

कहानी (क्रिया एवं काल के लिए)

एक चूहा था । वह रास्ते पर जा रहा था । उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला । वह उसे लेकर आगे बढ़ा । उसने एक दर्जी की दुकान देखी । दर्जी के पास जाकर उसने कहा —

चूहा : दर्जी रे दर्जी! इस कपड़े की टोपी सिल दे ।

दर्जी : यह कौन बोल रहा है ?

चूहा : मैं चूहा, चूहा बोल रहा हूँ । इसकी एक टोपी सिल दे चल ।

दर्जी:चल...रास्ता नाप । वरना कैची उठा कर मारूँगा ।

चूहा: अरे ! तू मुझे डरा रहा है ।

कचहरी में जाऊँगा, सिपाही को बुलाऊँगा, तूझे खूब पिटवाऊँगा और तमाशा देखूँगा ।

यह सुन दर्जी डर गया उसने झटपट टोपी सिल दी ।

टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा । रास्ते में कशीदाकार की दुकान देखी । चूहे की टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई ।

चूहा: भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा काढ़ दे । कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा । फिर उसको धमकाया और कहा, 'चल...चल.. यहाँ किसे फुरसत है ।

चूहा: अच्छा, तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन, कचहरी में जाऊँगा, सिपाही को बुलवाऊँगा, तूझे खूब पिटवाऊँगा और तमाशा देखूँगा ।

यह सुन कशीदाकार घबराया । उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका । उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा काशीदा काढ़ दिया । चूहा तो खुश हो गया ।

उपर्युक्त कहानी के आधार पर क्रिया व काल पर चर्चा की जाएगी ।

1. संदर्भदाता द्वारा पाँच-पाँच क्रियाओं का बना हुआ फ्लैश कार्ड एवं चित्र समूह में बराबर-बराबर बाँटेंगे।
2. बाँटे गए/दिखाए गए क्रिया चित्रों को पहचान कर, बताए गए काल में (वर्तमान काल, भूत काल, भविष्यत् काल) लघु कहानी की रचना करने के लिए कहा जाएगा।

3. प्रतिभागी दी गई क्रियाओं के साथ अन्य क्रियाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं।

4. प्रत्येक समूह अपनी-अपनी लघु कथा का प्रस्तुतीकरण करेंगे।

समेकन— संदर्भदाता द्वारा की गई गतिविधि और प्रस्तुतीकरण को समेटते हुए क्रिया और काल की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। साथ ही प्रतिभागियों की जिज्ञासा एवं समस्याओं का उचित मार्गदर्शन द्वारा समाधान करते हुए सत्र को समेटेंगे।

अधिगम प्रतिफल—

1. प्रतिभागी क्रियाओं की पहचान भली-भाँति कर रहे हैं।
2. विभिन्न क्रियाओं का प्रयोग कर वाक्य-निर्माण कर ले रहे हैं।
3. वाक्यों द्वारा तीनों कालों की पहचान कर रहे हैं।
4. तीनों कालों का प्रयोग करते हुए लघु-कथा, अनुच्छेद, गद्यांश आदि का निर्माण कर रहे हैं।

सत्र योजना—8

प्रकरण— अव्यय, क्रियाविशेषण, वचन एवं लिंग।

अवधि—1:30 घंटा

उद्देश्य—

1. अव्यय, क्रियाविशेषण, वचन एवं लिंग की अवधारणात्मक समझ विकसित हो सकेगी।
2. क्रियाविशेषण, अव्यय, वचन एवं लिंग की पहचान कर सकेंगे।
3. क्रियाविशेषण, अव्यय, वचन एवं लिंग का प्रयोग कर वाक्य निर्माण कर सकेंगे।

सहायक सामग्री— ब्लैक बोर्ड, चार्ट, चॉक, मार्कर, लिखी हुई पर्चियाँ एवं हिन्दी की पाठ्यपुस्तकें, पेन इत्यादि।

प्रस्तुतीकरण—

गतिविधि-1 (बड़े समूह में)

निर्देश—

क्रियाविशेषण, अव्यय, वचन एवं लिंग से युक्त कुछ वाक्य चार्ट पर लिखेंगे। लिखे हुए चार्ट—पेपर को बोर्ड पर लगा देंगे। इन वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाविशेषण, अव्यय, वचन एवं लिंग को रेखांकित करके उसके बारे में स्वतंत्र रूप से वार्तालाप करेंगे; जैसे—मुझे उतना ही खाना पसंद है, जितना मैं पचा सकता हूँ। इस वाक्य में क्रियाविशेषण, अव्यय, वचन एवं लिंग की पहचान कराई जाएगी।

गतिविधि-2 (आठ समूह में)

सामग्री— हिन्दी की पाठ्यपुस्तकें, चार्ट, पेन, मार्कर, ब्लैकबोर्ड इत्यादि।

निर्देश—

1. प्रथम समूह में क्रियाविशेषण का कार्य देंगे, द्वितीय समूह में अव्यय देंगे और तृतीय और चतुर्थ समूह को वचन और लिंग देंगे।
- चीता तेज दौड़ता है। मेरी कक्षा में चालीस बच्चे हैं।
- हमें प्रतिदिन टहलना चाहिए। अनीता आगरा घूमने गयी।
1. प्रत्येक समूह को एक-एक अध्याय देकर उसमें आए शब्दों को छाँटकर चार्ट या ब्लैकबोर्ड पर लिखेंगे। तत्पश्चात् सभी समूहों से बारी-बारी से प्रस्तुतीकरण कराएँगे।
3. प्रशिक्षक आवश्यकतानुसार बीच-बीच में तथ्यों को स्पष्ट करेंगे।

गतिविधि-3 (पच्ची उठाओ, करके दिखाओ)

कोई प्रतिभागी पर्चियों की टोकरी/बंडल से एक पर्ची निकालेगा फिर उससे संबंधित अभिनय करके दिखाएगा। तत्पश्चात् शेष प्रतिभागियों द्वारा अपनी नोट बुक/कॉपी में क्रियाविशेषण और अव्यय के साथ एक-एक वाक्य बनाकर लिखेंगे।

सहायतार्थ— प्रशिक्षक निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं—

1. अपनी आँख को छत की ओर धीरे-धीरे उठाना और गिराना।
2. मंच पर धीरे-धीरे टहलना।
3. श्यामपट्ट पर जल्दी-जल्दी लिखना।
4. तुम्हें कम बोलना चाहिए।
5. सुमन अपना कार्य ध्यान पूर्वक करती है।
6. खाना धीरे-धीरे खाना चाहिए।

समेकन— प्रशिक्षक क्रिया विशेषण, अव्यय, वचन और लिंग शब्दों को पुनः स्पष्ट करते हुए सत्र को समेटेंगे।

अधिगम प्रतिफल—

1. प्रतिभागी अव्यय, क्रियाविशेषण, वचन और लिंग को समझ पा रहे हैं।
2. उन्हें पहचान कर प्रयोग करने में समर्थ हो पा रहे हैं।
3. क्रियाविशेषण और अव्यय के सूक्ष्म अंतर को समझ कर अपने वाक्यों में प्रयोग कर पा रहे हैं।

सत्र योजना-9

प्रकरण— संधि।

अवधि—1:30 घंटा

उद्देश्य—

1. संधि की अवधारणा को पुष्ट कर सकेंगे।
2. संधि के भेद जान सकेंगे।
3. संधि की उपयोगिता एवं महत्व को समझ सकेंगे।

सहायक सामग्री— अनुच्छेद, लिखे चार्ट, चर्चा-बिन्दु, आई.सी.टी. आदि।

प्रस्तुतीकरण— 'हम सभी किसी न किसी विद्यालय के शिक्षक हैं।' इस वाक्य में आया 'विद्यालय' शब्द किन-किन शब्दांशों से मिलकर बना है? —चर्चा की शुरुआत करेंगे।

गतिविधि-1 (बड़े समूह में)

 **निर्देश**— प्रशिक्षक निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे—

रजनीश और सुरेंद्र का घर संगम तट पर है। वे सदैव सूर्योदय से पहले उठकर व्यायाम करते हैं, तत्पश्चात् सन्मार्ग पर चलने के लिए अपने इष्ट की आराधना करते हैं। वे जीवन को उत्सव की तरह जीने का प्रयास करते हैं। दोनों ही मन के बहुत अच्छे हैं। उनका विश्वास है कि निश्चल रहने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। वे विकासोन्मुखी उद्यम के प्रयास में लगे रहते हैं।

- अनुच्छेद में आए रेखांकित शब्दों को लिखने को कहेंगे।
- रेखांकित शब्दों में जुड़े शब्दों को अलग-अलग करने को कहेंगे।

 **निर्देश**— निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे—

- क. स्वर संधि से क्या अभिप्राय है?
- ख. व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन/स्वर वर्ण के मेल से निर्मित शब्द क्या कहे जाते हैं?
- ग. विसर्ग संधि से आप क्या समझते हैं?

चर्चा में आए बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखते रहेंगे और अंत में अपने विचार रखते हुए सभी बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे।

विषय से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे।

गतिविधि-2

1. नीचे दिये गये संधिसूचक शब्दों को चार्ट पेपर पर लिख लें अथवा चिपका लें।
2. चार्ट को प्रतिभागियों को भली-भाँति दिखा दें।

3. अब प्रदर्शित शब्दचित्रों को अलग-अलग पर्ची पर लिखकर दो डिब्बों में रखेंगे। तत्पश्चात् एक-एक प्रतिभागी को बुलाकर उनकी संधि बनवाएँ। (यह प्रक्रिया पाँच-छह प्रतिभागियों के साथ दुहराएँगे)

भारत + इंदु
रत्न + आकर

भारतेंदु
रत्नाकर
नदीश
गिरीश
पुस्तकालय
हिमालय

गतिविधि-3

1. प्रशिक्षक कुछ संधि-विच्छेद किए हुए शब्दों को कार्ड पर लिखकर दो भागों में विभक्त करके रखेंगे। सत्, वाक्, उत्, अनु, अद्य शब्दों को तथा दूसरे भाग में क्रमशः जन, मय, ज्वल, अय, एव आदि शब्दों को रखेंगे।

2. अब 10-10 प्रतिभागियों के दो समूहों को बुलाकर एक समूह से प्रथम पद वाले शब्द कार्ड उठाने को कहेंगे तथा दूसरा समूह द्वितीय पद वाले शब्द कार्ड उठाएगा।

3. दोनों पक्षों के प्रतिभागी अपने मेल वाले शब्दों के साथी के साथ खड़े होकर प्रदर्शित करेंगे कि उन दोनों शब्दों के मेल से निर्मित शब्द क्या है, वह संधि के किस भेद के अंतर्गत आता है? यह प्रक्रिया हम समयानुसार अन्य समूहों से करा सकते हैं।

समेकन— अंत में संधि और विच्छेद संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए सत्र को समेटेंगे।

अधिगम प्रतिफल—

1. संधि की अवधारणा स्पष्ट करते हैं।
2. संधि के भेद—उपभेद को स्पष्ट करते हैं।
3. संधि और संधि-विच्छेद कर लेते हैं।

सत्र योजना-10

प्रकरण— समास

अवधि—1:30 घंटा

उद्देश्य—

1. प्रतिभागी समास की अवधारणा स्पष्ट कर पाएँगे।
2. समास के भेदों की पहचान और उनका उचित प्रयोग कर पाएँगे।

सहायक सामग्री— चार्ट पेपर, समास के नामों की पर्ची, चित्र, स्टिक पपेट, पॉकेट चार्ट इत्यादि।

प्रस्तुतीकरण— प्रतिभागियों से बड़े समूह में 'समास किसे कहते हैं' पर चर्चा करते हुए समास की समझ बनाएँगे।

गतिविधि-1

प्रतिभागियों को चार समूहों में बाँट देंगे। सभी समूह को एक-एक पर्ची देंगे। पर्ची में दिए गए शब्द समूहों को जोड़कर समस्त पद बनाना है और समस्त पद किस समास का उदाहरण है, यह भी लिखना है।

क्र०सं०	शब्द समूह	समस्त पद	समास
1.	विद्या से हीन		
2.	चंद्र के समान मुख वाली		
3.	नौ ग्रहों का समूह		
4.	राधा और कृष्ण		
5.	परीक्षा के लिए भवन		
6.	कमल के समान चरण		
7.	भला है जो मानस		
8.	विष को धारण करने वाला		

गतिविधि-2

नीचे दिए गए अनुच्छेद से समास को छाँटने और उनके भेद को बताने के लिए प्रतिभागियों से कहेंगे।

रमाकांत भलामानस है। वह प्रतिदिन घर के सामने चौराहे पर माला-फूल की दुकान लगाता है। यथाशक्ति वह गरीबों की मदद भी करता है। शाम को घर लौटते समय महादेव के दर्शन अवश्य करता है। चारपाई पर लेटी रोगपीड़ित माँ के लिए रसोईघर में रोटी स्वयं ही बनाता है, उसका हृदय दयासागर है।

समस्त पद	भेद

उपर्युक्त गतिविधि के द्वारा समास की पहचान और उनको वर्गीकृत करने की क्षमता विकसित की जा सकती है।

गतिविधि-3

प्रतिभागियों को छह समूह में बाँट देंगे। प्रत्येक समूह का नाम समास के नामों की पर्ची के नाम पर होगा। सभी समूहों को अपने नाम की प्राप्त पर्ची पर लिखे समास को उदाहरण और गतिविधि के साथ चार्ट पेपर पर समझाना है। गतिविधि के लिए अन्य साधनों का भी प्रयोग किया जा सकता है।

समेकन-समूहों के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् संदर्भदाता प्रशिक्षण सत्र को समेटते हुए समास के शिक्षण में उपर्युक्त गतिविधियों के महत्व को बताएँगे।

अधिगम प्रतिफल-

1. प्रशिक्षण के उपरान्त प्रतिभागी समास की अवधारणा को गतिविधि के माध्यम से स्पष्ट कर लेते हैं।
2. समास के विभिन्न भेदों की पहचान कर उनका उचित प्रयोग कर लेते हैं।

सत्र योजना-11

प्रकरण— वाक्य—विचार

अवधि—1:30 घंटा

उद्देश्य—

1. शब्द समूह और वाक्य में अंतर की अवधारणा विकसित हो सकेगी।
2. उद्देश्य और विधेय को समझते हुए छोटे-बड़े वाक्यों की रचना कर सकेंगे।
3. अर्थ के आधार पर वाक्यों के विभिन्न रूपों को पहचान सकेंगे, साथ ही उनका प्रयोग और उनमें परिवर्तन कर पाएँगे।
4. रचना के आधार पर वाक्यों को विभाजित कर पाएँगे तथा उनका रूपांतरण कर सकेंगे।

सहायक सामग्री— संज्ञा एवं क्रिया से संबंधित शब्दों के चित्र (12), पर्चियाँ, फ्लैश कार्ड, चार्ट, आईसीटी का प्रयोग।

 **गतिविधि-1** (बड़े समूह में)

 **निर्देश—**

(क) प्रशिक्षक ब्लैक बोर्ड पर कुछ अव्यवस्थित शब्द लिखेंगे, जैसे—

1. है कल आया राम।
2. वकालत है करती सुनीता।
3. रहे हैं बच्चे खेल।
4. मोहन लड़का है शरारती।

संदर्भदाता प्रतिभागियों से उपर्युक्त शब्द-समूह को पढ़ने के लिए कहेंगे और पूछेंगे, “क्या ये सभी शब्द-समूह वाक्य कहे जा सकते हैं?”

प्रतिभागियों के उत्तर के पश्चात् संदर्भदाता वाक्य को स्पष्ट करते हुए उन्हें वाक्य रचना के बारे में बताएँगे।

 **गतिविधि 2** — (छह समूहों में)

 **निर्देश—** प्रशिक्षक श्यामपट्ट पर पर कुछ वाक्य लिखेंगे—

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1— घोड़ा दौड़ रहा है। | 5— मोहन अपने दादा जी को नहला रहा है। |
| 2— लड़की साइकिल चला रही है। | 6— लड़कियाँ क्रिकेट खेल रही हैं। |
| 3— हाथी पानी पी रहा है। | 7— बच्चे पढ़ रहे हैं। |
| 4— शिक्षिका पढ़ा रही है। | 8— दरजी कपड़ा सिल रहा है। |

सभी प्रतिभागियों की सहायता से वाक्यों में आये पदों पर चर्चा करेंगे, यथा— उद्देश्य, विधेय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया—विशेषण आदि।

गतिविधि 3 —

- प्रत्येक प्रतिभागी को अर्थ के आधार पर (कुल — 8 प्रकार) एवं रचना के आधार पर (कुल 3 प्रकार) पर एक— एक वाक्य बनाने/लिखने के लिए कहा जाएगा।

वाक्य की परिभाषा— शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान—प्रदान करता है।

भेद —

- 1— अर्थ के आधार पर
- 2— रचना के आधार पर

अर्थ के आधार पर –

1— विधानवाचक	भारत एक देश है।
2— निषेधवाचक	मैंने खाना नहीं खाया।
3— प्रश्नवाचक	भारत देश की राजधानी कहाँ है ?
4— विस्मयादिवाचक	अहा! कितना सुन्दर उपवन है।
5— आज्ञावाचक	कृपया बैठ जाइए।
6— इच्छावाचक	नववर्ष मंगलमय हो।
7— संकेतवाचक	महादेव का मन्दिर उधर है।
8— संदेहवाचक	क्या उसने कार्य कर लिया ?

रचना के आधार पर –

- | | |
|--|--|
| 1— सरल वाक्य / साधारण वाक्य | — राकेश ने भोजन किया। |
| 2— संयुक्त वाक्य | |
| क—संयोजक — सीता गई और गीता आई। | |
| ख—विभाजक — वह मेहनत तो बहुत करता पर फल नहीं मिलता। | |
| ग—विकल्प सूचक— या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूँगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूँगा। | |
| घ—परिणाम बोधक—आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूँगा। | |
| 3— मिश्रित / मिश्र वाक्य | —यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे।
— मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। |

रचना किए गए वाक्यों को कुछ प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत कराया जाएगा।

समेकन— संशोधन करते हुए सत्र का समापन किया जाएगा।

अधिगम प्रतिफल—

1. प्रतिभागी सार्थक वाक्य—रचना कर लेते हैं।
2. वाक्यों के उद्देश्य एवं विधेय का अंतर बता पाते हैं।
3. अर्थ के आधार पर वाक्य—रचना कर उसके भेद बता लेते हैं।

सत्र योजना—12

प्रकरण— युग्म / श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द एवं वाक्यांश के लिए एक शब्द।

अवधि— 1:30 घंटा

उद्देश्य—

1. शब्द—युग्म के अर्थ, उच्चारण में भिन्नता और वाक्य में अंतर की समझ विकसित होगी।
2. वाक्य और वाक्यांश में अंतर को जान पाएँगे।
3. वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द के लिए वाक्यांश लिख / बता सकेंगे।
4. इनके प्रयोग और उपयोगिता को समझ सकेंगे।

सहायक सामग्री—चार्ट पेपर, स्केच पेन, कुछ शब्दों के फ्लैश कार्ड; जैसे—अपेक्षा, परीक्षा, कंगाल, अवलंब, अणु, अंगना, वीणा, अतुल, आसान, शूर।



गतिविधि—1 (बड़े समूह में)

निर्देश—

1. संदर्भदाता सभी प्रतिभागियों को एक—एक करके शब्दों का फ्लैश कार्ड दिखाएँगे और प्रतिभागियों से कहेंगे कि इन शब्दों से मिलते—जुलते शब्द (जो सुनने एवं बोलने में लगभग समान लगते हों) उन्हें बताएँ; जैसे— परीक्षा—परीक्षा।

1. जब सभी शब्दों का युग्म/जोड़ा बन जाए तो, उन्हें बोर्ड पर लिखकर प्रतिभागियों से अर्थ बताने/अनुमान लगाने के लिए कहें; जैसे— परिक्षा — कीचड़, परीक्षा — इम्तिहान
2. शब्द युग्मों का अर्थ लिखने के बाद, जिस शब्द का अर्थ प्रतिभागी न बता सकें, उसका अर्थ संदर्भदाता स्पष्ट कर देंगे।

गतिविधि-2 (छोटे समूह में)

1. संदर्भदाता प्रतिभागियों को 4 समूह में विभक्त कर देंगे।
2. सभी समूह को तीन-तीन वाक्यांश देकर उन्हें उस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने को कहेंगे।

1— जो विश्वास करने योग्य हो —.....

2— जिसका अंत न हो —.....

3— जो अपनी बात से टले नहीं

3. अंत में प्रत्येक समूह प्रस्तुतीकरण करेगा।

गतिविधि-3 (दो बड़े समूह में)

बोर्ड पर कुछ शब्द लिख देंगे; जैसे—अनुपम, मितव्ययी, प्रशंसनीय, दया, प्रामाणिक, अदृश्य, मितभाषी, पारदर्शी, दयालु, सत्यवादी, घृणास्पद, अनादि, क्षमाप्रार्थी, उपहास, साक्षर, निरक्षर, समदर्शी, विवेकशील, उपकृत, दुर्लभ।

1. सभी प्रतिभागियों को दो बराबर समूहों में विभाजित कर देंगे।

2. बोर्ड पर दोनों तरफ 10—10 शब्द लिख देंगे।

दो बोर्डों का प्रयोग भी कर सकते हैं।

3. दोनों समूह के 5—5 प्रतिभागियों को बुलाकर दो पंक्तियों में खड़ा करेंगे और उन्हें प्रत्येक शब्द के लिए वाक्यांश लिखने के लिए कहेंगे। इसके लिए 10 से 15 मिनट का समय देंगे।

4. पंक्तियों में खड़ा एक सदस्य एक शब्द के लिए एक वाक्यांश लिखकर सबसे पीछे खड़ा हो जाएगा, इसी प्रक्रिया से पंक्ति के अंत में खड़ा सदस्य पुनः प्रथम स्थान पर आ जाएगा।

5. समूह के अन्य सदस्य, जो बैठे हुए हैं, वह वाक्यांश को बताने में अपने समूह की सहायता करेंगे, ताकि उन्हें सुनकर उनके समूह के सदस्य सही वाक्यांश लिख सकें।

6. अंत में संदर्भदाता वाक्यांशों का विश्लेषण कर बताएँगे कि वे सही हैं या नहीं।

जिस समूह ने ज्यादा से ज्यादा सही वाक्यांश बनाए हों, उन्हें प्रोत्साहित करें।

समेकन— अंत में संदर्भदाता शब्द—युग्मों, वाक्यांश के लिए एक शब्द की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। गतिविधियों में सभी प्रतिभागियों की सहभागिता का ध्यान रखते हुए गतिविधि को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करेंगे।

अधिगम प्रतिफल—

1. प्रतिभागी शब्द—युग्म व वाक्यांश के लिए एक शब्द के अर्थ को बता लेते हैं।
2. वाक्यों व अनुच्छेदों में इनका प्रयोग कर लेते हैं।
3. इनकी उपयोगिता को समझते हैं।



उद्देश्य-

1. विराम-चिह्नों को पहचानकर उसके महत्व को समझ सकेंगे।
 2. विराम-चिह्नों का प्रयोग करते हुए उतार-चढ़ाव के साथ वाचन कर सकेंगे, जिससे वाक्य का भाव स्पष्ट हो पाएगा।
 3. विराम-चिह्नों का प्रयोग करते हुए वाक्य को सही ढंग से लिख सकेंगे।
- सहायक सामग्री-फ्लैश कार्ड, लघु-वाक्य अथवा कहानी लिखित कार्ड, आई.सी.टी. का प्रयोग।

प्रस्तुतीकरण-

गतिविधि-1 (बड़े समूह में)

निर्देश- संदर्भदाता द्वारा प्रतिभागियों को वाक्यांश (कथांश) सुनाकर तथा उनसे पढ़वाकर विराम-चिह्नों की जानकारी दी जाएगी।

निम्नलिखित वाक्यों में विराम-चिह्न पहचानकर उनके नाम लिखिए-

1. संध्या का समय था।
2. क्या तुम कल विद्यालय गये थे ?
3. 'प्रियप्रवास' के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' जी हैं।
4. गेहूँ हम खाते हैं, गुलाब सूँघते हैं।
5. हमे अपने माता-पिता एवं गुरुजनों का आदर करना चाहिए।
6. सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी।

गतिविधि 2-(बड़े समूह में)

निर्देश-

इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें-

स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो मैं चला जाऊँ स्त्री विचार कर रही थी मैं ब्राह्मणी हूँ मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए परन्तु यहाँ नहीं नहीं। सब विधर्मी दया के पात्र नहीं परन्तु यह तो दया नहीं कर्तव्य करना है तब-

स्वस्थ होकर मुगल ने कहा- "माता ! तो मैं चला जाऊँ ?" स्त्री विचार कर रही थी- "मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि-देव की उपासना- का पालन करना चाहिए, परन्तु यहाँ..... नहीं-नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं परन्तु यह तो दया नहीं.....कर्तव्य करना है। तब ?"

इन दोनों वाक्यांशों को पढ़कर क्या अंतर स्पष्ट हुआ ?

(उपर्युक्त प्रथम अवतरण में विराम-चिह्नों के प्रयोग के अभाव में संवादों के भावों में स्पष्टता नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कौन किससे कह रहा है। जबकि दूसरे अवतरण में विराम-चिह्नों के प्रयोग से वाक्यांशों के भावों को स्पष्ट रूप से समझने में सरलता हो रही है।)

समेकन- संदर्भदाता उपर्युक्त गतिविधियों के माध्यम से यह स्पष्ट करेंगे कि विराम-चिह्न की क्या उपयोगिता है और विराम-चिह्नों का उचित प्रयोग न होने से वाक्य का भाव स्पष्ट नहीं हो पाता है एवं अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है।

अधिगम प्रतिफल-

1. प्रतिभागी विराम-चिह्नों को पहचान लेते हैं।
2. विराम-चिह्नों के महत्व को समझते हुए उनका प्रयोग उचित स्थान पर कर रहे हैं।
3. प्रतिभागी विराम-चिह्नों के उचित प्रयोग से भाव को समझ लेते हैं।
4. विराम-चिह्नों का प्रयोग करते हुए लघु कथा, अवतरण आदि की रचना कर लेते हैं।

सत्र योजना-14

प्रकरण-शुद्ध वर्तनी

अवधि-1:30 घंटा

उद्देश्य-

1. वर्तनी संबंधी बारीकियों से अवगत हो सकेंगे।
2. वर्तनी के मानकीकरण से परिचित हो सकेंगे।
3. शुद्ध उच्चारण और लेखन करने में समर्थ हो सकेंगे।

सहायक सामग्री- ब्लैक बोर्ड, मार्कर, चार्ट पेपर, चॉक।

प्रस्तुतीकरण-

 गतिविधि-1 (बड़े समूह में)

 निर्देश- सबसे पहले चार-पाँच वाक्यों को अशुद्ध रूप में ब्लैकबोर्ड पर लिखेंगे -

जैसे-

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. आज हम बजार चलेंगे। | 3. कमल उज्ज्वल है। | 5. अगले वर्ष मंदिर का श्रृंगार होगा। |
| 2. गुरुजी से आशीर्वाद लो। | 4. संयासी मंदिर में हैं। | |

अब नीचे लिखे प्रश्नों से चर्चा की शुरुआत करें-

चर्चा प्रश्न-

1. इन वाक्यों को पढ़ने में आपको क्या कमियाँ दिख रही हैं ?
2. इनका शुद्ध स्वरूप क्या होगा ?
2. प्रायः हम किन-किन शब्दों को लिखने/बोलने में त्रुटियाँ करते हैं ?

(प्रतिभागियों से प्राप्त शब्दों को बोर्ड पर लिखकर वर्तनी अशुद्धि पर चर्चा करते हुए इसे स्पष्ट करेंगे।)

 गतिविधि 2- (लेखन व उच्चारण से संबंधी।)

- दो समूह बनाकर एक समूह के प्रतिभागियों को कुछ शब्द बालने को कहा जाएगा। दूसरे समूह के प्रतिभागियों को उन शब्दों को सुनकर लिखने को कहेंगे। शब्दों को लिखने के पश्चात एक दूसरे की कॉपी जाँचने को कहेंगे तथा शब्दों में प्राप्त अशुद्धियों की गणना करके नम्बर लिखने को कहेंगे।

नोट - जो भी शब्द बोले जाएँगे श्रुतलेख करने वाले प्रतिभागी उसे सुनकर उच्चारण के आधार पर वैसे ही लिखेंगे।

अब प्रशिक्षक श्रुतलेख पर प्राप्त नम्बर को समूह में सुनाएँगे। (प्रतिभागियों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।)

निर्देश- प्रस्तुतीकरण के दौरान वर्तनी संबंधी अशुद्धियों एवं उनके मानकीकरण के स्वरूप को स्पष्ट करते चलेंगे।

 गतिविधि 3- प्रशिक्षक चार्ट पेपर/श्यामपट्ट पर नीचे लिखे शुद्ध और अशुद्ध शब्द लिखेंगे और प्रतिभागी उन्हें अलग-अलग करके लिखेंगे।

अनधिकार, उज्ज्वल, प्रदर्शनी, महत्व, पूज्यनीय, अभिज्ञ, सप्ताहिक, महत्ता, तत्त्व, उपर्युक्त, निर्दोषी, इकट्ठा, अत्यधिक, उद्योगीकरण, ब्राह्मण, निरोग, अंतर्ध्यान अनुग्रहीत, श्रृंगार, विध्यालय, बगीचा, सारणी, शीर्साषन

अशुद्ध	शुद्ध

पुनः छाँटे गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके प्रतिभागी अपने-अपने नोट-बुक में लिखेंगे और कुछ प्रतिभागियों से प्रस्तुतीकरण भी कराएँगे।

समेकन— प्रशिक्षक पुनः वर्तनी के शुद्ध और अशुद्ध रूपों पर प्रकाश डालते हुए तथ्यों को समेकित करेंगे।

अधिगम प्रतिफल—

1. प्रतिभागी वर्तनी के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने में प्रयोग कर रहे हैं।
2. वर्तनी के मानकीकरण को समझकर प्रयोग में ला रहे हैं।

सत्र योजना—15

प्रकरण—मुहावरे और लोकोक्तियाँ

अवधि—1:30 घंटा

उद्देश्य—

1. मुहावरों और लोकोक्तियों की जानकारी हो सकेगी।
2. दोनों में अंतर करते हुए वाक्य-प्रयोग कर सकेंगे।

 **गतिविधि—**

सहायक सामग्री— चित्र (पेन्सिल, फ्लैश कार्ड, ऊँट, लाठी, जीरा, पाँव, बेड़ी, भैंस, अंगूर, लोमड़ी, गागर, तिल, सागर, ताड़ का पेड़)।

क्रियाकलाप— इसी तरह मुहावरे के चित्रों के फ्लैशकार्ड को कुछ प्रतिभागियों के बीच में बाँट देंगे और अपने मुहावरे को पूरा करने के लिए सही चित्रों वाले साथी के साथ जोड़े बनाने के लिए कहेंगे।

1. पाँचों अंगुलियाँ घी में होना
2. चिराग तले अंधेरा होना
3. आँखों का तारा
4. लाल पीला होना
5. एक अनार सौ बीमार
6. आग बबूला होना
7. नाक कटना
8. आँखें खुलना
9. पीठ दिखाना
10. थाली का बैगन

गतिविधि-2

क्रियाकलाप— अब प्रशिक्षक फ्लैश कार्ड पर बने चित्रों को दिखाते हुए उनकी मदद से बनने वाले मुहावरों को लिखने को कहेंगे।

मुहावरे और लोकोक्तियों में अन्तर स्पष्ट किया जाएगा—

मुहावरा— ‘मुहावरा’ उस पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है।

मुहावरे में कम से कम दो शब्द होते हैं— प्रायः एक विशेषण और एक संज्ञा,

जैसे — चिकना घड़ा, हवाई किले; या एक संज्ञा और क्रिया जैसे— आँख आना, हाथ मलते रह जाना।

लोकोक्ति— लोकोक्तियाँ वे होती हैं जिनका अर्थ शाब्दिक, सीधा—सादा और सीमित होता है। इनका अर्थ लाक्षणिक और व्यापक हो जाता है।

शाब्दिक अर्थ — अति सर्वत्र वर्जयेत्, अपनी इज्जत या पगड़ी अपने हाथ, अल्पाहारी सदा सुखी।

लाक्षणिक अर्थ — ऊँची दुकान फीका पकवान, आम के आम गुठलियों के दाम, अपनी पगड़ी अपने हाथ।

मुहावरों एवं लोकोक्तियों के विशेषताओं के साथ अंतर को स्पष्ट किया जाएगा।

समेकन— मुहावरों एवं लोकोक्तियों में पुनः अन्तर स्पष्ट करते हुए सत्र का समेकन करेंगे।

अधिगम प्रतिफल—

1. लोकोक्ति और मुहावरों की पहचान कर लेते हैं।
2. वाक्यों में आवश्यकतानुसार इनका प्रयोग कर लेते हैं।

सत्र योजना-16

प्रकरण—

अवधि—1.30 घंटा

उद्देश्य— निबंध लेखन

1. निबंध लेखन की समझ विकसित हो सकेगी।
2. निबंध लेखन द्वारा बच्चों में मौलिक चिंतन का विकास हो सकेगा।
3. निबंध के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे।

सहायक सामग्री— चर्चा पत्रक, चार्ट, मार्कर, स्केचपेन, सादा कागज, इत्यादि।

 **गतिविधि 1—** प्रतिभागियों को किसी एक विषय पर निबंध लिखने को कहा जाएगा।

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1— पर्यावरण सुरक्षा—जीवन रक्षा | 2—जल है तो कल है |
| 3—नारी सम्मान—भारतीय संस्कृति | 4—शिक्षित समाज—विकसित देश। |

इसके प्रतिभागियों को प्रस्तुतीकरण का अवसर देंगे।

छोटे समूह में चर्चा—

प्रशिक्षक निम्नलिखित बिन्दुओं पर छोटे समूह में चर्चा करें—

1. जो लेखन कार्य आपने किया ‘क्या उसे निबंध—लेखन के रूप में रखा जा सकता है ?
2. क्या यह मौलिक लेखन है?
हाँ / नहीं / क्यों?
3. किस प्रकार के लेखन को निबन्ध लेखन कहेंगे ?
4. निबंध लेखन में मौलिकता को बढ़ावा देने के लिए हमें किन-किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए?

बड़े समूह में चर्चा बिन्दुओं का प्रस्तुतीकरण कराएँगे। चर्चा के दौरान निम्नलिखित बातों को उभारने का प्रयास करेंगे—

- 1—निबंध लेखन में विविधता बच्चों में लिखने का विश्वास जगाता है।
- 2—अपने विचार और जानकारी को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करना।

समेकन— संदर्भदाता निबंध—लेखन कौशल के विशेष बिंदुओं को बताते हुए समेकन करेंगे।

अधिगम प्रतिफल—

1. विधागत (निबंध) समझ विकसित हो रही है।
 2. निबंध लेखन के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं।
- अपने मौलिक चिंतन का प्रयोग करके निबंध लिख रहे हैं।

सत्र योजना-17

प्रकरण—पत्र लेखन

उद्देश्य—

- पत्र लेखन की समझ विकसित हो सकेगी।
- पत्र लेखन के व्याकरणगत उपयोग की जानकारी हो सकेगी।
- पत्र लेखन के महत्व को समझ सकेंगे।

सहायक सामग्री— चर्चा—पत्र, चार्ट, मार्कर, स्केच पेन, सादा कागज आदि।

 **गतिविधि 1—** प्रतिभागियों को 4-5 समूहों में बाँटकर निम्नलिखित विषयों पर पत्र लिखने को कहेंगे। प्रत्येक समूह एक-एक विषय पर पत्र लिखेगा।

1. माता—पिता को सालगिरह पर बधाई।
2. अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर बधाई।
3. पुत्री द्वारा पिता को साइकिल की जरूरत हेतु पत्र।
4. छात्र द्वारा प्रधानाध्यापक को अपनी बहन की शादी में जाने हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र।
5. प्रधानाध्यापक को खेल प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रार्थना पत्र।

प्रशिक्षक प्रत्येक समूह से प्रस्तुतीकरण कराएँगे तथा पत्र लेखन की विशेषताओं, मान्यताओं आदि को दृष्टि में रखकर चर्चा करेंगे।

2. छोटे समूह में चर्चा—

पत्र लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं?

माध्यमिक कक्षा के बच्चों में पत्र लेखन के कौन-कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं?

पत्र लेखन एक कला है; इसे सभी नहीं जानते। (सहमत / असहमत / कैसे?)

हम अपनी कक्षाओं में बच्चों को पत्र लेखन के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं?

पत्र लेखन में विचारों की क्रमबद्धता आवश्यक है। (सहमत / असहमत / कैसे?)

पत्र लेखन में संबोधन, दिनांक, स्थान एवं प्रेषक आदि का स्थान निश्चित रहता है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। (सहमत / असहमत / कैसे?)

प्रशिक्षक चर्चा पत्र पर छोटे समूहों में चर्चा करते हुए पत्र लेखन की विभिन्न बारीकियों, तरीकों, मान्यताओं पर विस्तार से चर्चा करें।

बड़े समूहों में—

प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों से व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग विषयों पर पत्र लेखन अभ्यास कराएँ।

अधिगम प्रतिफल—

1. पत्रलेखन कौशल की समझ विकसित हो रही है।
2. पत्रों को सही-सही अपने शब्दों में लिख रहे हैं।

समय—सारिणी

प्रथम दिवस	पंजीकरण	भाषा और वर्ण विचार	अनुनासिक अनुस्वार / संयुक्ताक्षर	तत्सम / तद्भव / देशज / विदेशी शब्द
द्वितीय दिवस	समानार्थक / एकार्थक / अनेकार्थक / विपरीतार्थक शब्द	संज्ञा, सर्वनाम विशेषण	उपसर्ग प्रत्यय	क्रिया एवं काल परिचय
तृतीय दिवस	अव्यय, क्रियाविशेषण, वचन, लिंग	संधि	समास	वाक्यविचार
चतुर्थ दिवस	युग्म / श्रुति समभिन्नार्थक / वाक्यांश के लिए एक शब्द	विराम चिह्न	शुद्ध वर्तनी	मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ
पंचम दिवस	निबंध	पत्रलेखन	मूल्यांकन / पश्च पोषण	समापन / पुरस्कार वितरण

पश्च पोषण

1. वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है ?
2. कुल व्यंजनों की संख्या लिखिए ।
3. 'र' के विभिन्न रूपों को एक-एक उदाहरण के साथ बताइए ।
4. अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए ।
5. तीन उपसर्गों और तीन प्रत्ययों के उदाहरण दीजिए ।
6. एक वाक्य की रचना कीजिए जिसमें कम से कम दो अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ हो ।
7. बहुव्रीहि और कर्मधारय समास के दो-दो उदाहरण लिखिए ।
8. मुहावरों और लोकोक्तियों में क्या अंतर है ?
9. श्लेष और यमक अलंकार का एक-एक उदाहरण लिखिए ।
10. नीचे लिखे अवतरण में उचित विराम चिह्न का प्रयोग कीजिए—

यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए सम्भव नहीं था